

# भारत सरकार\*

## भारत का विधि आयोग

बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और  
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के  
पुनरीक्षण विषय

पर

एक सौ नब्बेवीं रिपोर्ट



सरकार द्वारा

जून, 2004

न्यायमूर्ति  
एम० जगन्नाथ राव  
अध्यक्ष,

भारत का विधि आयोग  
शास्त्री भवन  
नई दिल्ली-110001  
दूरभाष: 3384475  
फैक्स 3073874, 3388870  
निवास:  
1, जनपथ  
नई दिल्ली-110011  
दूरभाष: 3019455

1 जून, 2004

अर्धशासं 6(3)75/2002-एल०सी०(एल एस)

माननीय श्री भारद्वाज जी,

मुझे, “बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के पुनरीक्षण” पर भारत के विधि आयोग की 190वीं रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। आयोग ने यह विषय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कहने पर लिया है जिसमें तारीख 9 अप्रैल, 2002 के पत्र के द्वारा अधिनियम, 1938 का पुनरीक्षण करने हेतु सिफारिशें देने का अनुरोध किया था।

2. बीमा क्षेत्र का निरन्तर विकास हो रहा है और यह क्षेत्र दीर्घकालिक संविदाजात विधियों का प्रमुख स्रोत है जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक हैं। आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के साथ, बीमा क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। इस बदलते आर्थिक परिदृश्य में बीमा कारबार के विनियम और विकास के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए, आयोग का विचार है कि बीमा अधिनियम, 1938 के पुनिविलोकन और पुनरीक्षण की आवश्यकता है। परन्तु अधिनियम का पुनरीक्षण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे न केवल बीमा कारबार को ही प्रोत्साहन मिले अपितु पालिसीधारियों के हितों की भी रक्षा हो और इस क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को भी सुदृढ़ बनाए।

3. बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के साथ कई दौर की चर्चा के पश्चात् विधि आयोग ने जून, 2003 में एक विस्तृत परामर्शी-पत्र तैयार किया जिसे उसी माह आयोग की वैबसाइट पर दे दिया गया। उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार के समुचित मंत्रालय, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों, उपभोक्ता संगठनों तथा बीमा और विधि के क्षेत्र के अनेकों विशेषज्ञों को भी भेजी गयीं। इस परामर्शी-पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-1 के रूप में भी संलग्न की गई है। इस परामर्शी-पत्र पर बड़ी संख्या में लिखित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ की प्रतिरक्षा में बीमा कम्पनियों, बीमाकांकों आदि के साथ भी चर्चा की गई। परामर्शी-पत्र पर मौखिक और लिखित प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के पश्चात्, आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है।

4. यद्यपि परामर्शी-पत्र, जैसाकि इसकी विषय-सूची से स्पष्ट है, बहुत विस्तृत था जिसमें विषय से संबंधित विविध प्रश्न सम्मिलित किए गए थे। आयोग ने अपनी सिफारिशों को बीमा अधिनियम, 1938 से उत्पन्न होने वाले विधि संबंधित विवादिकों तक सीमित रखा है और बीमा तथा आर्थिक नीतियों संबंधी प्रश्नों को छोड़ दिया है। विधि विवादिकों में शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना, बीमा अधिनियम की धारा 45 के अधीन जीवन बीमा पालिसियों का निराकरण और धारा 39 और धारा 38 के अधीन क्रमशः नामनिर्देशक और पालिसियों का समनुदेशन और अन्तरण सम्मिलित हैं।

5. पालिसीधारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए, लोक शिकायत समाधान नियम, 1998 के अधीन वर्तमान लोकायुक्त (अम्बाइसमैन) प्रणाली पालिसीधारियों की दृष्टि से संतोषप्रद नहीं पायी गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन उपचार भी बड़ी संख्या में निर्णयाधीन मामलों में प्रभावी सिद्ध नहीं

हुआ है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की है कि (क) बीमा किए गए व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच विवाद; (ख) बीमाकर्ता तथा मध्यवर्तीयों के बीच विवाद; (ग) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के बीच विवाद निपटने के लिए शिकायत समाधान प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए। तथापि, शिकायत समाधान प्राधिकरण को तीसरा पक्ष मोटरयान बीमा और जलयान बीमा से संबंधित मामलों में कोई अधिकारिता नहीं होगी। शिकायत समाधान प्राधिकरण में एक न्यायिक सदस्य, जो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, और दो अन्य तकनीकी सदस्य होंगे। शिकायत समाधान प्राधिकरण के अतिरिक्त, यह सिफारिश की गई है कि एक बीमा अपीलीय अधिकरण भी गठित किया जाना चाहिए जो शिकायत समाधान प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुन सकेगा। बीमा अपीलीय अधिकरण द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अन्वेषणकर्ता अधिकारियों के न्यायनिर्णय के पश्चात् पारित सभी आदेशों के विरुद्ध की जाने वाली सभी अपीलें भी सुनी जानी चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील की जा सकेगी।

6. जीवन बीमा पालिसी के निराकरण के बारे में, बीमा अधिनियम, 1938 की वर्तमान धारा 45 में यह उपबंधित है कि बीमे की तरीख से दो वर्ष के भीतर बीमाकर्ता इस आधार पर पालिसी का निराकरण कर सकेगा कि प्रस्ताव या दस्तावेज में कोई सारवान तथ्य गलत है या सत्य नहीं है। दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर बीमाकर्ता धारा 45 के दूसरे भाग में उल्लिखित सभी तीनों शर्तों को पूरा करके पालिसी का निराकरण कर सकेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि यदि कोई जीवन पालिसी 6 वर्ष तक स्वीकार्य रही है तब इसके पश्चात् उसकी वैधता पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यद्यपि, धारा 45 के वर्तमान उपबंधों के अधीन जीवन बीमा निगम दो वर्ष के पश्चात किसी समय-सीमा के बिना कभी भी वैधता पर आपत्ति कर सकता है।

7. पालिसीधारियों तथा बीमाकर्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने तथा विधि आयोग द्वारा अपनी 112वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सुझाव को ध्यान में रखते हुए अब यह सिफारिश की है कि पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् जीवन बीमा की किसी पालिसी का किसी भी आधार पर निराकरण नहीं किया जाएगा। तथापि, कोई बीमाकर्ता पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी पालिसी का निराकरण इस आधार पर कर सकेगा कि जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उसने कोई त्रुटिपूर्ण कथन किया है या किसी सारवान तथ्य को छिपाया है। तदनुसार, आयोग ने धारा 45 को प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की है।

8. बीमा अधिनियम की धारा 38 में जीवन बीमा पालिसियों के समनुदेशन और अन्तरण का उपबंध किया गया है। धारा 38 की उपधारा (5) और (7) के कार्यकरण में कतिपय विसंगतियां पाई गई हैं। आयोग ने सिफारिश की है कि पूर्ण समनुदेशन और सशर्त समनुदेशन के बीच स्पष्ट रूप से अन्तर किया जाना चाहिए। समनुदेशन की सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए कतिपय सुरक्षोपायों की सिफारिश की गई है। धारा 38 के प्रतिस्थापन की सिफारिश की गई है।

9. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 में यह उपबंध किया गया है कि पालिसीधारी की मृत्यु हो जाने पर पालिसी की संचित राशि का संदाय किए जाने के लिए पालिसीधारी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा। सरबती देवी (एआईआर 1984 सुको 346) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से और विधि आयोग द्वारा अपनी 137वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के विचार से आयोग ने यह सिफारिश की है कि 'लाभार्थी', नामनिर्देशित तथा 'संग्रहकर्ता' नामनिर्देशिती के बीच अन्तर करने के लिए धारा 39 में संशोधन किया जाना चाहिए। नामनिर्देशितियों की ऐसी श्रेणियों का विस्तृत विवरण रिपोर्ट में दिया गया है।

10. समिति ने यह सिफारिश भी की है कि बीमा अधिनियम, 1938 की कतिपय परिभाषाओं में रिपोर्ट के परिशिष्ट-II में उल्लिखित के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

11. इसके अतिरिक्त, बीमा अधिनियम, 1938 की कतिपय परिभाषाओं को निकाले जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे निरर्थक हो चुकी हैं। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-III में दिए गए इस आशय के उपबंध निकाल दिए जाने चाहिए।

12. इस समय, बीमा संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए दो पृथक विधान हैं, एक है बीमा अधिनियम, 1938 और दूसरा है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999। आयोग ने

परामर्शी-पत्र में सुझाव दिया है कि दोनों अधिनियमों को मिलाकर एक अधिनियम बनाया जाना चाहिए। इस पत्र की प्रतिक्रियाओं में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। आयोग ने इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि इस विषय के लिए दो पृथक विधान रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह सिफारिश की गई है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का बीमा अधिनियम, 1938 में विलय रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में निर्दिष्ट की गई पद्धति पर कर दिया जाना चाहिए। परामर्शी-पत्र में निर्दिष्ट अन्य विषयों के बारे में सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय अपेक्षित हैं और आयोग की दृष्टि में ऐसे नीतिगत निर्णय किए जाने से पूर्व विधि में संशोधन करने की सिफारिश करना समीचीन नहीं है।

मैं, परामर्शी-पत्र तथा अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने में विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य डॉ एस-मुरलीधर के योगदान की सराहना करता हूँ।

भवदीय  
हॉ-

(एम् जगन्नाथ राव)

शादर,  
श्री एक आरू भारद्वाज,  
माननीय विधि और न्याय मंत्री,  
भारत सरकार,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली।

## विषय-सूची

	पृष्ठ	
अध्याय-एक	प्रस्तावना तथा पृष्ठभूमि	1-7
अध्याय-दो	परिभाषाओं में परिवर्तन और अनावश्यक उपबंधों का निकाला जाना	8-11
अध्याय-तीन	बीमा विनियामक और विकास अधिनियम के उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 के साथ विलय	12-13
अध्याय-चार	शिकायत समाधान क्रियाविधि	14-22
अध्याय-पांच	बीमा विधियों में सुधार अपेक्षित विधिक विषय	23-33
अध्याय-छह	समनुदेशन और अंतरण	34-39
अध्याय-सात	नामनिर्देशन	40-44
अध्याय-आठ	शास्तियों तथा अन्य परिवर्तनों से संबंधित उपबंध	45-46
अध्याय-नौ	परामर्शीपत्र के अन्य विषय जिनके बारे में विधि आयोग इस स्तर पर कोई सिफारिश नहीं करना चाहता है	47-50
अध्याय-दस	सिफारिशों का सारांश	51-59
परिशिष्ट-I	बीमा अधिनियम, 1938 के पुनरीक्षण के बारे में भारत के विधि आयोग का परामर्शीपत्र	60-81
परिशिष्ट-II	उपबंध जिनको संशोधन की आवश्यकता है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित के अतिरिक्त)	82-89
परिशिष्ट-III	उपबंध जो अनावश्यक हो गए हैं और जिनके निकाले जाने की आवश्यकता है	90-96
परिशिष्ट-IV	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 में विलय करने संबंधी प्रस्ताव	97
परिशिष्ट-V	रजिस्ट्रीकरण करने, रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार करने निलम्बित करने या उसका नवीकरण करने के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में परिवर्तन	98-101
परिशिष्ट-VI	रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने आदि के अतिरिक्त उपर्युक्त में दी गई बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के बारे में परिवर्तन	102-107

## अध्याय-एक

### प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

#### 1.1 प्रस्तावना

1.1.1 भारत के लिए विधि आयोग ने बीमा अधिनियम, 1938 की समीक्षा करने का कार्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कहने पर लिया है जिसमें तारीख 9 अप्रैल, 2002 के अपने पत्र द्वारा आयोग से अधिनियम की पुनरीक्षा करने और उसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सिफारिशें करने का अनुरोध किया था।

1.1.2 बीमा क्षेत्र का निरन्तर विकास हो रहा है और यह क्षेत्र दीर्घकालिक संविदाजात विधियों का प्रमुख स्रोत है जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की दूसरी रिपोर्ट (2001-2002) में इस पहलु को प्रकाश में लाया गया है। इसके अनुसार देश में बीमा बाजार का क्षेत्र जीवन तथा गैर जीवन दोनों में, 9.94 बिलियन डॉलर तक है। वर्ष 2001-2002 में वार्षिक विकास दर जीवन बीमा के क्षेत्र में 43% और गैर जीवन बीमा में 13.6% थी।

1.1.3 वर्ष 2001-2002 में, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमे के प्रीमियम की कुल राशि 49821.91 करोड़ रुपये थी जबकि इससे पहले वर्ष में यह राशि 34,892.02 करोड़ रुपये थी, इस प्रकार 42.79 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गई। तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम की आय पिछले वर्ष की 54766.60 करोड़ रुपये की आय की तुलना में बढ़कर 73780.07 करोड़ रुपये हो गई और इस प्रकार आय में 34.71% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अन्त में जीवन बीमा कारबार के क्षेत्र में, जहां भारतीय बीमा निगम ही सरकारी क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम था, निजी क्षेत्र में 12 कम्पनियों थीं जिनमें से प्रत्येक में विदेशी कम्पनी भागीदारी इक्विटी शेयर पूँजी 26% की अनुज्ञा सीमा तक थी।

1.1.4 इसी अवधि के दौरान, अर्थात् 2001-2002 में, सरकारी क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कम्पनियों, अर्थात् भारतीय आरिएंटल बीमा निगम, यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ये सभी चारों भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियों) की कुल प्रीमियम आय 11917.58 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष की आय में पिछले वर्ष की तुलना में 21.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सामान्य बीमा कारबार में, मोटर-यान बीमा, समुद्री बीमा, विमानन बीमा, ग्रामीण संपत्ति बीमा तथा अन्य सम्बंधित हैं। इस समय, सामान्य बीमा निगम एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता है और उस पर समस्त देश के लिए पुनर्बीमा बाजार में एकमात्र कार्यकर्ता का दायित्व है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वर्ष 2001-2002 की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सामान्य बीमा कम्पनियों की लाभप्रदता पर दबाव बना हुआ है। निजी क्षेत्र में, कम से कम आठ कम्पनियों में 26% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी थी।

1.1.5 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 624.56 करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी का निवेश अभी तक नए जीवन और गैर जीवन कारबार में हुआ है और यह कि इससे यह विश्वास और सुदृढ़ होता है कि भारत में दीर्घकालिक नीति के रूप में बीमा कारबार के विकास में नए संयुक्त उद्यमों की वचनबद्धता है जिनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का विकास होगा।" बीमा कम्पनियों/निगम, क्योंकि ये दीर्घकालिक संविदाजात बचत संस्थान हैं, द्वितीय ऋण बाजार और प्रतिभूतियों को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बीमा कारबार के विस्तार से विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, बचतों में वृद्धि होगी जो सकल उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगा। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास प्राप्त करने की दृष्टि से, इस क्षेत्र के कारबारी उद्यमों को विनियमित करने के लिए एक सुदृढ़ विधि व्यवस्था होना अनिवार्य है।

## 1.2. विधायी व्यवस्था

1.2.1 भारत में बीमा कारबार के बारे में प्रमुख विधान बीमा अधिनियम, 1938 (यहां इसके पश्चात अधिनियम के रूप में निर्देशित) है। इस क्षेत्र में कठिनय अन्य विधान हैं – जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, समुद्री बीमा अधिनियम, 1963, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के उपबंध सभी बीमा संविदाओं को लागू होते हैं जो जीवन संबंधी हों या गैर जीवन संबंधी। इसी प्रकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध बीमा कारबार करने वाली कम्पनियों पर लागू होते हैं।

1.2.2 अधीनस्थ विधान में बीमा निगम, 1939 और केन्द्रीय सरकार द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 के अधीन द्वारा बनाए गए अम्बड़समैन नियम, 1998 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 के तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के अधीन विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के कम से कम 27 सेट उपलब्ध हैं।

## 1.3 हाल के विधायी परिवर्तनों की पृष्ठभूमि

1.3.1 वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की उद्घोषणा से विनियमित से उदारीकृत अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई थी और यह विचार किया गया था कि विनियमों से मुक्त अर्थव्यवस्था से बीमा क्षेत्र का नियोक्तर होगा और इसमें अधिकाधिक नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी तथा इससे दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों के प्रसार में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था के इस संक्रमण का तात्पर्य यह भी था कि भविष्य में प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से बढ़ेगी और निजी क्षेत्र के बहुत से उद्यमों विशेषकर संयुक्त उपकरणों में भारतीय भागीदारों के साथ विदेशी कम्पनियों को प्रवेश प्राप्त होगा। बीमाकर्ताओं द्वारा पालिसीधारियों और शेयरधारियों की निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में एक प्रभावी विनियामक अधिकरण की आवश्यकता थी। क्योंकि बीमाकर्ताओं में जनता का विश्वास निहित था इसलिए उनके कारबार का विनियामक यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य था कि वे इस विश्वास के योग्य अभिरक्षक थे। इसके अतिरिक्त, बीमे के पैसे से ऐसी निधियों का सृजन होता था जिनका निवेश सामाजिक क्षेत्र में और आधारभूत संरचना के विकास के लिए करना आवश्यक था। इसलिए, बीमा विनियमन के लिए आज एक पर्यवेक्षी और निगरानी भूमिका से विकास की भूमिका के लिए परिवर्तन आवश्यक था ताकि बीमा कारबार से आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन मिल सके।

### मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट

1.3.2 भारत सरकार ने, नई औद्योगिक नीति की पृष्ठभूमि में, बीमा उद्योग की संरचना की समीक्षा करने, लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने और विकास के विरोध संसाधन जुटाने का प्रभावी माध्यम होने के प्रयोजन से उसकी शक्ति और दुर्बलताओं का मूल्यांकन करने और बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए सुधारों का सुझाव देने हेतु श्री आरएन० मल्होत्रा की अध्यक्षता में वर्ष 1993 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की थी।

1.3.3 मल्होत्रा समिति ने वर्ष 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों निम्नलिखित हैं:

- (क) एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की भाँति) की स्थापना;
- (ख) बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति;
- (ग) कारबार, विशेषकर ग्रामीण कारबार की व्यक्तिगत और गैर आबद्धकर श्रेणियों में प्राप्त करने के लिए इसे एक प्रभावी माध्यम बनाने हेतु एजेन्टों के कमीशन के ढाँचे में सुधार करना;
- (घ) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बीमा योजनाएं और संस्थागत एजेन्टों की नियुक्ति;
- (ङ) व्यवसायिक पर्यवेक्षकों/हानि मूल्यांकनकर्ताओं के एक संस्थान की स्थापना;
- (च) एक पृथक सांविधिक निकाय के रूप में प्रशुल्क (टैरिफ) सलाहकार समिति का कार्यकरण;
- (छ) अधिनियम की धारा 2.7 में निर्धारित पद्धति पर पूंजीनिवेश;

- (ज) समाज के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लिए जीवन बीमा पालिसियों का निपटन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट अनुपात में कारबार;
- (झ) राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा जीवन बीमा करने के लिए उपबंध;
- (ज) गैर परम्परागत ग्रामीण कारबार के रूप में साधारण कारबार के विनिर्दिष्ट भाग का कार्य नए उद्यमियों द्वारा किया जाना;
- (ट) साधारण बीमे की कल्याणोन्मुख योजनाएं;
- (ठ) भारतीय साधारण बीमा निगम का प्रौद्योगिकी चालित कार्यसंचालन; साधारण बीमा निगम का अनन्य पुनर्बीमाकर्ता के रूप में कार्य करना और होलिंडग कम्पनी होना समाप्त किया जाना;
- (ड) बीमा कम्पनियों द्वारा यूनिट-सहबद्ध पैशेन योजनाएं आरम्भ किया जाना;
- (ढ) बीमा उद्योग का पुनर्गठन।

## 1.4 विनियामक विधायी व्यवस्था

### बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999

1.4.1. मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने एक अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण का गठन किया और तत्पश्चात बीमा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन और उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यहां इसके पश्चात प्राधिकरण/आईआरडीए० के रूप में निर्दिष्ट) के गठन को भारत में बीमा सुधार कार्य के क्षेत्र में एक उद्भारकर्ता के रूप में देखा गया है।

1.4.2 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में प्राधिकरण के गठन, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवाशर्तें, पदावधि, पद से हटाए जाने, प्राधिकरण के कर्तव्य, विनियम बनाने और शक्ति प्रत्यायोजन की शक्ति सहित शक्तियां और कृत्य, बीमा सलाहकार समिति की स्थापना, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि का गठन, नियम बनाने और निर्देश देने तथा प्राधिकरण को, यदि आवश्यक हो, अतिप्रित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति के उपबंध तथा अन्य प्रक्रीण उपबंध किए गए हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बीमा अधिनियम, 1938 में बहुत से संशोधनों की सूची दी गई है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की दूसरी अनुसूची में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में धारा 30क अन्तःस्थापित की गई है जिसके द्वारा भारत में बीमा कारबार करने का जीवन बीमा निगम के अनन्य विशेषधिकार समाप्त हो जाएगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की दूसरी अनुसूची में भी इसी प्रकार धारा 24क अन्तःस्थापित करके ऐसा ही उपबंध किया गया है जिसके अनुसार साधारण बीमा कारबार के संबंध में साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के अनन्य विशेषधिकार समाप्त हो जाएंगे।

1.4.3 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 में किए गए संशोधन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य बीमाकर्ताओं को भारत में बीमा कारबार करना तथा पालिसीधारकों की निधियों का भारत से बाहर निवेश करना निषिद्ध करते हैं। विदेशी भागीदारी को किसी बीमा कम्पनी की समादृत साधारण पूंजी के 26 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। संशोधनों में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:-

- (क) बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं दोनों के लिए समादृत साधारण पूंजी की आवश्यकता;
- (ख) संप्रवर्तकों द्वारा आधिक्य शेयरधारण को निनिहित करने के रीति;
- (ग) विनिधान की रीति और शर्तें;
- (घ) बीमाकर्ताओं द्वारा सदैव अपेक्षित शोधन क्षमता को बनाए रखना;
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा बीमा एजेन्टों, मध्यवर्तीयों या बीमा मध्यवर्तीयों तथा पर्यवेक्षकों को लाइसेंस दिया जाना तथा उनका निलम्बन और रद्द किया जाना;

- (च) ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक अनिवार्य रूप से बीमा कारबार करना बीमाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी;
- (छ) अधिनियम के उपबंधों का पालन करने में विफलता तथा कम्पनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए वर्धित शास्त्रियां;
- (ज) अधिनियम द्वारा अपेक्षित विनियम बनाने की प्राधिकरण की शक्ति।

#### बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

1.4.4 बीमा कारबार और पुनर्बीमा कारबार को विनियमित संप्रवर्तित और व्यवस्थित रूप से उसका विकास सुनिश्चित करना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कर्तव्य है। प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्प्रिलिपि हैं :-

- (क) बीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण करना, उसका उपांतरण करना या उसे रद्द करना;
- (ख) कम्पनियों से पूंजीगत ढांचे तथा शोधन क्षमता के अनुरक्षण की अपेक्षा का पालन करना, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र में बीमा कारबार कम्पनियों की विवरणियों तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बीमा कारबार के विलय और अंतरण की योजनाएं बनाना और स्वीकृत करना;
- (ग) बीमा मध्यवर्तियों या एजेन्टों को लाइसेंस जारी करना;
- (घ) बीमाकर्ताओं के प्रबंधन पर नियंत्रण रखना;
- (ड.) तलाशी और अभिग्रहण;
- (च) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण;
- (छ) बीमा कारबार करने वाले वृत्तिक संगठनों का संप्रवर्तन और विनियमन;
- (ज) बीमा कम्पनियों द्वारा निधियों के विनिधान का विनियमन;
- (झ) बीमाकर्ताओं के कार्यकलापों का अन्वेषण और निरीक्षण;
- (ज) बीमाकर्ताओं तथा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णय;
- (ट) ईरिक सलाहकार समिति के कार्यकरण का पर्यवेक्षण; और
- (ठ) बीमा अधिनियम, 1938 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विनियम बनाना।

1.4.5 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमांकिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व, भारतीय बीमा कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण, बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना, लेखा अभिलेख के वार्षिक विवरण के स्वरूप, बीमा दलालों आदि विभिन्न विषयों पर विनियमों के 27 सैट तैयार किए।

#### 1.5 वर्ष 1999 के पश्चात विधायी प्रगति

बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 ने, जो 9 अगस्त, 2002 से प्रभावी हुआ, बीमा अधिनियम, 1938 में धारा 2(8क) अन्तःस्थापित करके सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 या सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी भी राज्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों को किसी भी श्रेणी का बीमा कारबार करने की अनुमति दी है। तथापि, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी बीमा सहकारी सोसाइटी को बीमा अधिनियम के किसी भी उपबंध को लागू करने से या उपबंधों को अपवादें, उपांतरणों या अनुकूलनों के साथ लागू करने से छूट दे सकता है [परन्तुक धारा 94क(2) देखें]। बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 में बीमा दलालों और परामर्शदाताओं सहित बीमा मध्यवर्तियों के लिए उपबंध किया गया है तथा कमीशन, दलाली या शुल्क देने के लिए भी उपबंध किए गए हैं और इस प्रकार इस देश में एक ऐसे कारबार व्यवहार का आरम्भ किया गया है जो इस क्षेत्र में विश्वपर्यन्त अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त शेयरधारियों को बीमांककीय बचत में भागीदारी का हकदार बनाने के लिए धारा 49 को

उपांतरित किया गया है। धारा 64फख के संशोधन के परिणामस्वरूप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रीभियम के संदाय की पद्धति अर्थात् क्रिडिट कार्ड या इन्टरनेट का माध्यम से, विहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिससे बीमा कारबार में वृद्धि हो सके गी। इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 ने, जो 7 अगस्त, 2002 से प्रभावी हुआ, साधारण बीमा निगम को भारत में पुनर्बीमा कारबार अनन्य रूप से करने के लिए एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता बना दिया। उसने साधारण बीमा कारबार करना तथा चारों सहायक कम्पनियों पर नियंत्रण रखना बंद कर दिया। भविष्य में इन सहायक कम्पनियों के बारे में कृत्यों का पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत किया गया।

#### 1.6 विधि आयोग का परामर्श-पत्र

1.6.1 विधि आयोग ने एक विस्तृत परामर्श-पत्र तैयार किया जिसे जून, 2003 में आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया। इसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सरकारी तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा विधि और बीमा क्षेत्र के अनेकानेक अन्य विशेषज्ञों को भेजी गई थी। परामर्श-पत्र में दी गई सिफारिशों के बारे में प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गयी थीं। परामर्श-पत्र की एक प्रति (जिसमें पैरा 1 से 5 तक परिशिष्टों का लोप किया गया है) परिशिष्ट-एक के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

1.6.2 परामर्श-पत्र का उद्देश्य बीमा विधियों का पुनरीक्षण इस प्रकार से करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना है जिससे न केवल बीमा कारोबार को प्रोत्साहन मिले अपितु पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करे और व्यवस्थित वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाए। यह बताया गया कि जब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बनाया गया था तब अधिनियम का विस्तृत पुनरीक्षण समयाभाव के कारण संभव नहीं था। इस बात का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पुनरीक्षण के वर्तमान कार्य में निम्नलिखित को नहीं लिया गया है:

- (i) समुद्री बीमा अधिनियम, 1963;
- (ii) मोटरयान बीमा;
- (iii) अग्नि बीमा; और
- (iv) साधारण बीमा कारबार में तृतीय पक्षकार के जोखिम से संबंधित सिद्धांत।

बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के पुनरीक्षण के आधार

1.6.3 परामर्श-पत्र में पुनरीक्षण के तेह आधार चिह्नित किए हैं। क्योंकि परामर्श-पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं, पुनरीक्षण में इन आधारों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, संक्षेप में ये निम्नलिखित हैं:-

- i. बीमा अधिनियम, 1938 के उन उपबंधों के निकाला जाना जो आवश्यक हो गए हैं;
- ii. अधिनियम के अन्तःकालीन उपबंधों का निकाला जाना;
- iii. बीमा अधिनियम, 1938 में पुरानी अधिनियमितियों के निवेशों के स्थान पर तदनुरूपी नए विधानों का निर्देश किया जाना;
- iv. 'बीमा' तथा 'बीमाकर्ता' की परिवर्तित परिभाषाओं सहित बीमा कारबार का पुनर्वर्गीकरण';
- v. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 में जोड़ा जाना;
- vi. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध एक स्वतंत्र निकाय को अपील करने के लिए प्रावधान;
- vii. बीमा अपीलीय अधिकरण को अपील करने की व्यवस्था तथा साथ ही एक स्वतंत्र शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना और तत्पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाना;

- viii. तथ्यों की गलत बयानी या ऐसी सार्थक सूचना को प्रकट में विफलता के कारण, जिससे संविदा शून्य या शून्यकरणीय हो जाएगी, बीमाकर्ताओं द्वारा पालिसियों का निराकरण;
- ix. पूँजीनिवेश, ऋण तथा प्रबंधन संबंधी उपबंध;
- x. 'शोधन क्षमता' से संबंधित उपबंध;
- xi. शोधन क्षमता के नियंत्रण स्तर से नीचे आ जाने पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करना;
- xii. अधिनियम तथा नियम और विनियमों के बीच सामंजस्य;
- xiii. शास्तियों से संबंधित उपबंध।

#### परामर्श की प्रक्रिया

1.6.4 परामर्श-पत्र में आयोग द्वारा किए गए प्रस्तावों के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ क्रमबद्ध चर्चा की गई। साथ ही, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के तत्वाधान में बीमा कम्पनियों के साथ भी चर्चा की गई। विभिन्न क्षेत्रों से परामर्श-पत्र पर प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुईं।

सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई

1.6.5 भारत के विधि आयोग ने भारत सरकार तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के लिए मार्च, 2004 तक प्रतीक्षा की। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बीमा प्रभाग से दिनांक 19 जनवरी, 2004 का एक संक्षिप्त पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि वे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों को बीमा अधिनियम में जोड़ने, परिभाषाओं में परिवर्तन, अनावश्यक उपबंधों को निकालने, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के गठन, शास्तियों के बढ़ाए जाने, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों को युक्तसंगत बनाए जाने तथा बीमाकर्ताओं के दायित्वों को सुदृढ़ करने और पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने आदि संबंधी उपबंधों की व्यवस्था करने का पूर्ण समर्थन करते हैं। यह भी कहा गया था कि परामर्श-पत्र में प्रस्तावित अधिनियम की विभिन्न धाराओं में सुझाए गए संशोधन के बारे विशिष्ट टिप्पणियां विधि आयोग द्वारा नए बीमा अधिनियम के ड्राफ्ट किए जाने और उसे हमें भेजे जाने पर ही दी जा सकेंगी। इस प्रकार बीमा विभाग से परामर्श-पत्र के अन्य प्रस्तावों पर भी कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि अधिनियमों के पुनरीक्षण का कार्य पिछले एक वर्ष से पहले से आरम्भ किया गया, यह महसूस किया गया कि यदि उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त होने की आयोग और प्रतीक्षा करेगा तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में और विलम्ब हो जाएगा। तदनुसार, आयोग ने परामर्श-पत्र पर मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो जाने पर अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देना आरम्भ किया।

#### 1.7 निर्देश के क्षेत्र का सीमित किया जाना

1.7.1 परामर्श-पत्र सुझाए गए प्रस्तावों के बारे में विभिन्न विशिष्ट संवर्गों के साथ चर्चा करते हुए आयोग को यह बात विदित हो गई थी परामर्श-पत्र के विचारार्थ कतिपय विषय सरकार के स्तर पर नीति निर्णय से संबंधित हैं और यह कि ऐसे निर्णय लिए जाने से पूर्व विधि में संशोधन करने के लिए सुझाव देना उचित नहीं होगा। तदनुसार, अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने के स्तर पर यह निश्चय किया गया कि रिपोर्ट में कतिपय ऐसे “विधायी विषयों” पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके बारे में अधिक विवाद नहीं है।

1.7.2 तदनुसार, इस रिपोर्ट में परामर्श-पत्र में उल्लिखित विषयों में निम्नलिखित विषय ही लिए गए हैं:-

- i. बीमा अधिनियम, 1938 में पुरानी अधिनियमितियों के निर्देशों के स्थान पर तदनुरूपी नए विधानों के निर्देश किए जाने सहित परिभाषाओं में परिवर्तन और ‘बीमा’ तथा ‘बीमाकर्ता’ शब्दों की परिवर्तित परिभाषाओं सहित बीमा कारबार का पुनर्वर्गीकरण; (देखें अध्याय-दो)
- ii. बीमा अधिनियम, 1938 के अनावश्यक हो गए उपबंधों का निकाला जाना और अधिनियम के अन्तर्कालीन उपबंधों का निकाला जाना; (देखें अध्याय-दो)

- iii. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 में जोड़ा जाना; (देखें अध्याय-तीन)
- iv. बीमा अपीलीय प्राधिकरण की अपील करने की व्यवस्था के साथ एक स्वतंत्र शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना तथा तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय का अपील करने का प्रावधान; (देखें अध्याय-चार)
- v. तथ्यों की गलत बयानी या ऐसी सार्थक सूचना को प्रकट करने में विफलता के कारण, जिससे संविदा शून्य या शून्यकरणीय हो जाएगी, बीमाकर्ता द्वारा पालिसियों का निराकरण; (देखें अध्याय-पांच)
- vi. पालिसियों के अधीन समनुदेशन तथा अन्तरण और लाभार्थियों का नामनिर्देशन; (देखें अध्याय-छह और अध्याय-सात)
- vii. शास्तियों से संबंधित उपबंध तथा अन्य परिवर्तन (देखें अध्याय-सात)।

## अध्याय-दो

### परिभाषाओं में परिवर्तन और अनावश्यक उपबंधों का निकाला जाना

2.1.1 अध्याय-एक के पैरा 1.7.2 में हमने सात विषयों का उल्लेख किया है जिन पर चर्चा की जाएगी। उस अध्याय में हमारा विचार इन सात में से पहले दो विषयों पर चर्चा करने का है अर्थात्—

- (i) बीमा अधिनियम, 1938 में पुरानी अधिनियमितियों के निर्देशों के स्थान पर तदनुरूपी नए विधानों के निर्देश किए जाने सहित परिभाषाओं में परिवर्तन और “बीमा” तथा “बीमाकर्ता” शब्दों की परिवर्तित परिभाषाओं सहित कारबार का पुनर्वर्गीकरण; और
- (ii) बीमा अधिनियम, 1938 से अनावश्यक उपबंधों का निकाला जाना तथा अधिनियम के अंतःकालीन उपबंधों का निकाला जाना।

### परामर्शी-पत्र के प्रस्तावित रूप में परिभाषाओं में परिवर्तन

2.1.2 परामर्शी-पत्र के परिशिष्ट-1 में बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न उपबंधों के सभी प्रस्तावित परिवर्तन दिए गए थे जो प्रतिविम्बित करते हैं—

- (क) “बीमा तथा “बीमाकर्ता”, बीमा कम्पनियों” आदि सहित विभिन्न शब्दों की परिवर्तित परिभाषाएं;
- (ख) पुराने कम्पनी अधिनियम के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के निर्देशों का उल्लेख;
- (ग) बीमा कारबार का पुनर्वर्गीकरण।

### विलोपन के संबंध में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिश

2.1.3 भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित परामर्शी-पत्र के परिशिष्ट-1 में दिए गए परिवर्तनों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं में लागभग सभी ने उन सुझावों को स्वीकार किया है। विधि आयोग ने प्राप्त प्रतिक्रियाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और वह उन परिभाषाओं में बहुत से उपांतरणों की सिफारिश कर रहा है। भारत के विधि आयोग द्वारा परिभाषाओं में जिन परिवर्तनों की सिफारिश की उन परिवर्तित परिभाषाओं की पूरी अन्तिम सूची एक पृथक तालिका में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न की गई है। उक्त सिफारिशों में अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के संशोधन आते हैं:

- (i) धारा 2(9) - बीमाकर्ता की परिभाषा में बीमा सहकारी सोसाइटी और भारतीय बीमा कम्पनी सम्मिलित की गई है;
- (ii) धारा 2(ग) - कतिपय व्यक्तियों द्वारा बीमा कारबार के संव्यवहार का निषेध, संशोधन यह बात स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि कोई भी बीमाकर्ता किसी भी श्रेणी का बीमा कारबार आरम्भ नहीं कर सकता जब तक कि वह कोई भारतीय बीमा कम्पनी या कोई बीमा सहकारी सोसाइटी न हो;
- (iii) धारा 4 - चार्टरिक्यों तथा अन्य लाभों की न्यूनतम सीमाएं समय-समय पर विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए;
- (iv) धारा 6(1) - बीमाकर्ता द्वारा अधिमानी शेयरों का बीमा करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी;
- (v) धारा 6(10) - पूंजीगत ढांचे और मतदान अधिकारों के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपयोग अब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा;

- (vi) धारा 6ख - पूंजीगत ढांचे संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी; उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।
- (vii) धारा 6ग - शेयरों द्वारा परिसीमित कम्पनी का प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कम्पनी के रूप में संपरिवर्तन, संपरिवर्तन की अनुमति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी; उपधारा (3) में “भारतीय कम्पनी अधिनियम” शब्दों के स्थान पर “कम्पनी अधिनियम” शब्द रखे जाएंगे;
- (viii) धारा 7(1) - जमा राशियां, पहली बार जमाकर्ताओं द्वारा अपने आवेदनों के साथ 10 लाख रुपए की राशि जमा करने की आवश्यकता दर्शाने के लिए और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उपयोग केन्द्रीय सरकार के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने के लिए संशोधन; उपधारा (9क) और (9ख) में संशोधन प्रतिभूतियों का विक्रय/बीमाकर्ता द्वारा रखी गयी जमा राशियों के निवेश के मामले में शक्ति का उपयोग बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने की आवश्यकता से किया जाएगा;
- (ix) धारा 9 - जमा राशियों का प्रतिदाय, जहां बीमाकर्ता ने कारबार बंद कर दिया है, वहां बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रतिदाय के आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त होगी;
- (x) धारा 10 - लेखाओं और निधियों का पृथकरण; उपधारा (1) के परन्तुक में उपांतरण की आवश्यकता है; उपधारा (2) यह दर्शाने के लिए उपांतरण की जाएगी कि जीवन बीमाकर्ता गैर जीवन बीमा कारबार नहीं कर सकेगा;
- (xi) धारा 11 - लेखे और तुलनपत्र; उपधारा (2) में भागीदारी फर्मों पर प्रतिबंध और बीमा कारबार करने के लिए सहकारी सोसाइटियों को अनुज्ञा दर्शाने के लिए संशोधन किया जाएगा;
- (xii) धारा 12 - लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1913 के निर्देशों के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के निर्देशों का प्रतिस्थापन;
- (xiii) धारा 13 - बीमाकार्क रिपोर्ट; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों की दृष्टि से उपधारा (4) में संशोधन;
- (xiv) धारा 15 - विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना; सरलीकृत रूप की सिफारिश की गई;
- (xv) धारा 16 - भारत से बाहर बीमाकर्ताओं की विवरणियां; उपधारा (2) (ख) से तीसरी अनुसूची के निर्देश का निकाला जाना और विनियमों द्वारा प्रस्थापन;
- (xvi) धारा 28 - आस्तियों के पूंजी निवेश का विवरण; विवरण बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के लिए छोड़ा गया;
- (xvii) धारा 28क - पूंजी निवेश की विवरणी; विवरण बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के लिए छोड़ा गया;
- (xviii) धारा 29 - त्रैणों का प्रतिषेध; उपधारा (3) साधारण बीमा कारबार के लिए लागू होगी;
- (xix) धारा 31 - बीमाकर्ता की अस्तियां; भागीदारों का निर्देश निकाला जाएगा और उसके स्थान पर सहकारी सोसाइटी रखा जाएगा;
- (xx) धारा 31ख - अत्यधिक परिश्रमिक का संदाय; 5000 रुपए की सीमा का विश्लेषण किया जाएगा;
- (xxi) धारा 32क - सामान्य अधिकारियों का प्रतिषेध; पूर्णकालिक प्रबंध निदेशकों का नियोजन संशर्त नहीं होगा, विवरण विनियमों के लिए छोड़ा गया;
- (xxii) धारा 32ख तथा 32ग - सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र; संशोधनों से बीमाकर्ता को दोनों क्षेत्र के विकास में योगदान करना अपेक्षित होगा और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को विनियमों के माध्यम से दायित्वों की पुनरीक्षा करने की शक्ति प्रदान की जाएगी;

- (xxiii) धारा 35 - समामेलन; यह दर्शने के लिए संशोधन कि कम्पनी अधिनियम के अधीन समामेलित करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना कोई विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए;
- (xxiv) धारा 37क - समामेलन करने की योजनाएं तैयार करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति; विवरण विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (xxv) धारा 40 - कमीशन का संदाय; उपधारा (2) में दर्शाया जाएगा कि देय राशियां विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी; उपधारा (2क) में दर्शाया जाएगा कि नवीकरण प्रीमियम पर कमीशन केवल एक एजेंट को दिया जाएगा जिसने उस पालिसी के नवीकरण में सहायता की है जो प्रीमियम का संदाय न किए जाने के कारण व्ययगत हो गई थी; प्राधिकरण विनियम बनाएगा;
- (xxvi) धारा 40क - कमीशन पर व्यय की सीमा; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी;
- (xxvii) धारा 40ख और ग - प्रबंधन पर व्यय की सीमा; कारबार की वर्तमान पद्धतियां दर्शने के लिए निबंधनों का संशोधन;
- (xxviii) धारा 41 - रिबेट का प्रतिषेध; उल्लंघन करने के लिए शास्तियों का विश्लेषण;
- (xxix) धारा 43 - बीमा एजेंटों का रजिस्टर; इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप का भी सम्मिलित किया जाना;
- (xxx) धारा 44 - परम्परागत कमीशन; उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन इस आशय से किया जाएगा कि किसी व्यक्ति के एजेंट न रहने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि बीत जाने पर वह व्यक्ति अन्य बीमाकर्ता के लिए कारबार प्राप्त कर सकेगा;
- (xxxi) धारा 48क - एजेंट्स निदेशक नहीं होंगे; साधारण बीमा कारबार के लिए;
- (xxxii) धारा 50 - विकल्पों का नोटिस; 'जब तक ये पालिसी में न रखे जाएं' शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (xxxiii) धारा 51 - प्रस्तावों की आपूर्ति; फीस विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएंगी;
- (xxxiv) धारा 52खख - प्रशासन की शक्तियां; केन्द्रीय सरकार के बजाय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को अपील की जाएंगी;
- (xxxv) धारा 52घ - प्रशासक की नियुक्ति का समाप्त किया जाना; शक्तियां बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में निहित होंगी;
- (xxxvi) धारा 52ड - प्रशासक नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय; शक्तियां आईआरएडीए में निहित होंगी;
- (xxxvii) धारा 53 - न्यायालय द्वारा परिसमापन; कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देशों का प्रतिस्थापन कम्पनी अधिनियम, 1956 के निर्देशों से किया जाएगा;
- (xxxviii) धारा 58 - न्यायालय द्वारा आंशिक परिसमापन; कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देशों का प्रतिस्थापन कम्पनी अधिनियम, 1956 के निर्देशों से किया जाएगा;
- (xxxix) धारा 64यठ - कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति; शक्ति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में निहित होंगी।

2.1.4 यहां इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि परामर्शी-पत्र में बड़ी संख्या में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। अध्याय-दस में उल्लिखित कारणों से, पूंजी निवेश (धारा 27, 27क, 27ख और 27ग), लाभांश और बोनस पर निर्बंधन (धारा 49), टैरिफ सलाहकार समिति (देखे धारा 64यक, 64यख, 64यड, 64यज, 64यट और 64यठ, आस्तियों का मूल्यांकन (धारा 64र), शोधन क्षमता (धारा 64रक), कारबार के नए स्थल खोले जाने पर निर्बंधन (धारा 64रा), संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इन प्रस्तावों

- के बारे में कोई सिफारिश नहीं की जा रही है। जहां पालिसियों के समनुदेशन और अंतरण (धारा 38), नामनिर्देशन (धारा 39) का संबंध है, इनके बारे में रिपोर्ट में पृथक रूप से आगे चर्चा की गई है। बीमा अधिनियम, 1938 के अनावश्यक हो गए उपबंधों का निकाला जाना

2.1.5 परामर्शी-पत्र के परिशष्ट-II में वे उपबंध दिए गए हैं जिन्हें अनावश्यक हो जाने के कारण निकाले जाने की आवश्यकता है। परामर्शी-पत्र पर प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं में इस प्रस्ताव के बारे में कोई विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, विधि आयोग सिफारिश करता है कि इस रिपोर्ट के परिशष्ट-III की पृथक तालिका में दर्शाए गए उपबंध अधिनियम से निकाल दिए जाने चाहिए। उक्त सिफारिशों में धारा 2(12), धारा 2(13), धारा 2(17), धारा 2ख(1), धारा 2ग, धारा 3(5), धारा 3(4)(क), धारा 3(4), (झड़), धारा 3(5), धारा 4, धारा 5(2) और (3), प्रथम तथा दूसरा पन्नुक, धारा 6क(1), परन्तुक, धारा 7(7), धारा 7(9ख), धारा 10(1), धारा 10(2), धारा 10(2क), धारा 11(1क), धारा 12, धारा 13(1), धारा 13(3), धारा 13(4), धारा 13(6), धारा 14, धारा 15, धारा 15(2), धारा 15(3), धारा 16, धारा 22, धारा 27(2)(क),(ख) और (6), धारा 27क, धारा 27ख, धारा 28(4), धारा 29, धारा 31(ख), धारा 32, धारा 33(7), धारा 35(1), धारा 35(3), धारा 40, धारा 40क, धारा 44(1) - स्पष्टीकरण, धारा 48, धारा 49, धारा 48क, धारा 52, धारा 52ज से 52ठ तक, धारा 53, धारा 59, धारा 62 से 64, धारा 64यख(3) और (4), धारा 64यघ, धारा 64यच से यझ, धारा 64यज, (2) से (6), धारा 64यड, धारा 64रक, धारा 65 से 94, धारा 95 से 101 और धारा 114(च)।

## अध्याय-तीन

### बीमा विनियामक और विकास अधिनियम के उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 के साथ विलय

3.1.1 यह विषय पैरा 1.7.2 में उपवर्णित सात विषयों में से तीसरा विषय है।

3.1.2 परामर्शी-पत्र में विधि आयोग ने यह सुझाव दिया था कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए गए पृथक विधान रहने देने का कोई औचित्य नहीं है और यह कि एक ऐसी विधायी व्यवस्था करने के कार्य के लिए, जिसके अन्तर्गत विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण के सभी महत्वपूर्ण विषय आ सकें और विनियामक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो सके, एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से बीमा विनियामक और विकास अधिनियम, 1999 के उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 में विलय करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त सुझाव के औचित्य के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया:

“बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन उसे सौंपे गए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, इसलिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के गठन और उसके कार्यों के संबंध में एक पृथक विधान रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम तैयार किया जा रहा था, बीमा अधिनियम, 1938 के विस्तृत पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई थी परन्तु समयाभाव के कारण यह कार्य नहीं किया गया था। अब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य के अनुभव से तथा बीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साथ कई बार चर्चा करके, बीमा अधिनियम, 1938 के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य संभव प्रतीत होता है।”

तदनुसार, परामर्शी-पत्र में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 में विलय करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव किए गए हैं।

3.1.3 इस संबंध में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन करते हुए प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 के साथ विलय करने के प्रस्ताव को एतद्द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है और इन्हें इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में एक तालिका में उपवर्णित किया गया है। तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के निम्नलिखित उपबंधों को, अर्थात् धारा 2 (परिभाषा), अध्याय-दो, प्राधिकरण की स्थापना और आनुषंगिक विषयों से संबंधित (धारा 3-12); अध्याय-चार प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कार्यों से संबंधित (धारा 14); अध्याय-पांच, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधियां, लेखा तथा लेखापरीक्षा से संबंधित (धारा 15-17); अध्याय-छह, केन्द्रीय सरकार की शक्तियों से संबंधित (धारा 18-23 और 25), केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाली धारा 24; प्राधिकरण को विनियम बनाने वाली शक्ति प्रदान करने वाली धारा 26; नियमों और विनियमों को संसद के पालन पर रखने की अपेक्षा से संबंधित धारा 27 और धारा 28 (अन्य विधियों का लागू होना न वर्जित करते हुए) का बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के साथ विलय किया जाना चाहिए जैसाकि इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है।

#### बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

3.1.4 जहां तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का संबंध है, परामर्शी-पत्र में विधि में दो भागों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रथम भाग, रजिस्ट्रीकरण करने, इंकार करने, रद्द करने, निलंबित करने या उसका नवीकरण से संबंधित तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित है। रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण से संबंधित सुझाव के बारे में बहुत सी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। भारतीय वाणिज्य उद्योगमंडल संघ के अनुसार, जब रजिस्ट्रीकरण का रद्द करने की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है तब “बीमाकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने

की आवश्यकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है”। पंजाब राज्य विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि इन उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए यहां तक कि नवीकरण शुल्क में भी कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। चोलामंडलम जनरल इन्स्योरेंस का सुझाव है कि जीवन और साधारण बीमे के रजिस्ट्रीकरण को तीन वर्ष तक वैध रखा जा सकता है। बिरला सनलाइफ इन्स्योरेंस ने सुझाव का स्वागत किया है परन्तु नवीकरण के स्तर पर नए रजिस्ट्रीकरण संबंधी सभी अपेक्षाएं पूरी करने की आवश्यकता का विरोध किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया है। उनका सुझाव है कि धारा 3(5) वर्तमान स्वरूप में जारी रखी जाए। नेशनल इन्स्योरेंस अकादमी, पुणे इस सुझाव से सहमत है कि रजिस्ट्रीकरण तीन वर्ष तक वैध रखा जा सकेगा परन्तु शुल्क का भुगतान वार्षिक रूप में करना होगा।

रजिस्ट्रीकरण करने या इससे इंकार करने से संबंधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में अन्तिम सिफारिश

3.1.5 इन प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के पश्चात आयोग का विचार है कि रजिस्ट्रीकरण करने, इंकार करने, रद्द करने, निलंबित करने या उनका नवीकरण करने से संबंधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में परामर्शी-पत्र में प्रस्ताव विशिष्ट परिवर्तनों को अन्तिम रूप दिया जाए और इस संबंध में अन्तिम सिफारिशें इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में दी गई हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धाराएं जिनमें तदनुसारी संशोधन किया जाएगा, धारा 3, धारा 3(2) (च), धारा 94क(2) (दूसरा परन्तु), धारा 3(2ग), धारा 3(3), धारा 3(4), धारा 3क(2), धारा 3क(3), धारा 3क(4), और धारा 3क(5) हैं।

पुनर्मूल्यांकन और अन्वेषण करने की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में अन्तिम सिफारिश

3.1.6 इस प्रस्तावों का दूसरा भाग बीमाकर्ता के कार्यों का पुनर्मूल्यांकन, अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण, प्रबंधकों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाए जाने के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित प्रस्तावों के बारे में है। आयोग ने प्रस्तावों पर प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं पर विचार किया है और अन्तिम सिफारिशें इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में दी गई हैं। इन सिफारिशों के अनुसार बीमा अधिनियम, 1938 की निम्नलिखित धाराओं में संशोधन किया जाएगा: धारा 33(1), धारा 33(4), धारा 33ख(4), धारा 34(ग), धारा 34ड, धारा 34छ, धारा 34ज, धारा 35(1), धारा 35(3), धारा 36, धारा 37क(2), धारा 37क(4), धारा 42(1), धारा 42(2), धारा 42(3), धारा 42(4), धारा 42(5), धारा 42(6), धारा 42(7), धारा 42 घ, धारा 42घ(1), परन्तु, धारा 42घ(8) और (9), धारा 64यड, धारा 64यड(1क), धारा 47 का और धारा 53।

## अध्याय-चार

### शिकायत समाधान क्रियाविधि

#### परामर्शी-पत्र

4.1.1 पालिसीधारकों की अनेकों शिकायतों के समाधान के लिए, जिन पर अभी तक संतोषप्रद रूप में कार्यवाही नहीं की जा रही थी, एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र की व्यवस्था करने की आवश्यकता को परामर्शी-पत्र में पुनरीक्षण का एक आधार बताया गया था। यह कहा गया था कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शिकायत समाधान नियम, 1998 के अधीन एक नियुक्ति की व्यवस्था होते हुए भी, पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान में वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन उपचार भी निर्णयाधीन लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए प्रभावी मिल्ह नहीं हुआ है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन गठित तंत्र की पद्धति पर एक संयुक्त, प्रभावी और स्वतंत्र शिकायत समाधान तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

#### 4.1.2 परामर्शी-पत्र में विधि आयोग ने प्रस्ताव किया था कि-

- (क) प्रमुख महानगरों में 1998 के नियमों के अधीन आयुक्त की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर बीमा अधिनियम, 1938 में समुचित संशोधन करके शिकायत समाधान प्राधिकरण गठित किए जाने चाहिए। इस प्रकार से सांविधिक कार्य करने वाले सांविधिक प्राधिकरण होंगे।
- (ख) शिकायत समाधान प्राधिकरण बहु सदस्यी निकाय होंगे जिनमें एक न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य होंगे। इन सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जानी चाहिए।
- (ग) शिकायत समाधान प्राधिकरणों का विस्तार भौगोलिक दृष्टि से अधिकाधिक स्थानों तक किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ, देश के प्रत्येक प्रमुख शहर में एक शिकायत समाधान प्राधिकरण होना चाहिए। पालिसीधारकों की वर्तमान बड़ी संख्या और भविष्य में इसके और बढ़ने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है।
- (घ) शिकायत समाधान प्राधिकरणों की शक्तियां और अधिकारिता वही होंगी जिनका उपयोग इस समय 1998 के नियमों के अधीन आयुक्त (अम्बैड्समैन) द्वारा किया जाता है।
- (ङ) उपर्युक्त के साथ, यह उपबंध भी किया जा सकेगा कि बीमा अधिनियम, 1938 से उत्पन्न उपभोक्ता फोरम के समक्ष सभी लंबित विवाद बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत समाधान प्राधिकरणों को अंतरित किए जाएंगे। ऐसा उपबंध करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस आशय का एक संशोधन करना होगा कि बीमा अधिनियम, 1938 से उत्पन्न होने वाले विवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन ग्रहण नहीं किए जाएंगे।
- (च) बीमाकर्ताओं, बीमामध्यवर्तीयों और बीमा अभिकर्ताओं द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन करने की जांच करने, न्यायनिर्णयन करने तथा बीमा अधिनियम, 1938 में उपर्युक्त के अनुसार शास्त्रियां लगाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण न्यायनिर्णयक अधिकारी नियुक्त करेगा।
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की पद्धति पर एक बीमा अपीलीय अधिकरण गठित किया जाना चाहिए और जिसकी बैठकें नई दिल्ली स्थित प्रमुख न्यायपीठ में और चार महानगरों में सर्किट न्यायपीठ में होंगी। बीमा अपीलीय अधिकरण, शिकायत समाधान प्राधिकरण और न्यायनिर्णयक अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करेगा। बीमा अपीलीय अधिकरण का निर्णय अनित्न होगा। बीमा अपीलीय अधिकरण, बीमाकर्ताओं, बीमामध्यवर्तीयों और बीमा अभिकर्ताओं से संबंधित, रजिस्ट्रीकरण और लाईसेंस देने सहित, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों/आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकेगा।

(ज) इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम की धारा 15य की पद्धति पर बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णय से उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील की जा सकेगी। अपील बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णय के पश्चात 60 दिन के भीतर फाइल कर दी जानी चाहिए।

(झ) बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का स्पष्ट रूप से अपवर्जन करते हुए एक खंड जोड़ा जाएगा। तथापि, इसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 और समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 के अधीन उत्पन्न होने वाले दावे/विवाद सम्मिलित नहीं होंगे।

(ज) जीवन बीमा नियम, 1956 की धारा 41 और 42 की पद्धति पर शिकायत समाधान प्राधिकरण का निर्णय किसी भी सिविल न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर डिक्री धारक वास्तव में या स्वेच्छा से निकाल सकता है।

(ट) वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहित करने के विचार से यह उपबंध किया जा सकेगा कि दावेदार को पहले किसी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को निर्देशित किया जा सकेगा, जिसमें माध्यस्थम और/या सुलह सम्मिलित होंगे और यदि वहां सफलता नहीं मिलता है तब मामला शिकायत समाधान प्राधिकरण के समक्ष लाया जाएगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण लम्बित विवादों को, कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर पक्षकारों की सहमति से, स्वयं भी वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया के लिए निर्देशित कर सकेगा।

#### परामर्शी-पत्र पर प्रतिक्रिया

4.2.1 विधि आयोग के उपर्युक्त प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं। इन प्रस्तावों का स्वागत करते हुए, भारतीय वाणिज्य उद्योगमंडल संघ ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित “तंत्र सुनात्मक होगा और उसका अनुरक्षण समुचित सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाएगा और यह कि इस कारण से होने वाला कोई भी व्यय बीमा उद्योग को बहन नहीं करना होगा”। जीवन बीमा नियम ने भी सुझाव का स्वागत किया है और यह टिप्पणी की है कि यदि प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो उपभोक्ता फोरम का भार पर्याप्त रूप से कम हो जाएगा। जीवन बीमा नियम ने सुझाव दिया है कि “ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें 50 प्रतिशत व्यय में केन्द्रीय/राज्य सरकारी भागीदारी हो और 25 प्रतिशत व्यय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाए”। ओम कोटक महेन्द्र लाइफ इन्स्योरेंस का सुझाव है कि बीमा आयुक्तों (अम्बैड्समैन) को ही शिकायत समाधान प्राधिकरण के रूप में पदनामित किया जाए और यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि मतभेद की स्थिति में शिकायत समाधान प्राधिकरण अथवा उपभोक्ता फोरम दोनों में से किसका निर्णय प्रभावी होगा। इसका स्पष्टीकरण सीधे ऐसा उल्लेख करके किया जा सकेगा कि शिकायत समाधान प्राधिकरण के गठन से उस विषय से उपभोक्ता फोरम की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

4.2.2 भारतीय साधारण बीमा नियम ने भी शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय अधिकरण का गठन किए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने इस विषय में विशिष्ट सुझाव दिए हैं कि किसी प्रकार विवाद शिकायत समाधान प्राधिकरण में जाने चाहिए और बीमा अपीलीय प्राधिकरण की क्या अधिकारिता होनी चाहिए। साधारण बीमा नियम ने सुझाव दिया है कि शिकायत समाधान प्राधिकरण की अधिकारिता में निम्नलिखित विवाद आने चाहिए:

- (i) बीमा किए गए व्यक्ति तथा बीमाकर्ता के बीच लोक शिकायत समाधान नियमों के नियम 12 में उपर्युक्त आधारों पर वैयक्तिक बीमा संबंधी विवाद;
- (ii) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के बीच के विवाद; और
- (iii) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के बीच के विवाद।

4.2.3 बीमा अपीलीय अधिकरण की अधिकारिता के संबंध में साधारण बीमा निगम ने सुझाव दिया है कि अधिकरण को निम्नलिखित मामलों की सुनवाई करनी चाहिए:

- (i) शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णयों/आदेशों से अपील;
- (ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए न्यायनिर्णयिक और अन्वेषण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील; और
- (iii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा परित किसी आदेशों के विरुद्ध अपील।

4.2.4 उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त, साधारण बीमा निगम ने यह सुझाव भी दिया है कि शिकायत समाधान प्राधिकरण में अपने आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए, ऋण वसूली अधिकारियों की पद्धति पर उसकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। तथापि, साधारण बीमा निगम ने न्यायनिर्णयिक अधिकारियों को शास्त्रियां लगाने की शक्तियां दिए जाने का विरोध किया है क्योंकि आपराधिक दायित्व न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। यूनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेंस ने भी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव का स्वगत किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि व्यय की पूर्ति करने और अनावश्यक दावों को रोकने के लिए दावे के मूल्य के अनुरूप 'न्यायनिर्णयिक शुल्क' के रूप में शुल्क की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4.2.5 तथापि, बिडला सनलाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, आई सी आई सी आई, प्रूडेन्शियल लाइफ इन्स्योरेंस और एच डी एफ सी स्टेन्डर्ड लाइफ इन्स्योरेंस ने शिकायत समाधान प्राधिकरण स्थापित करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। उनके विचार में लोक आयुक्त (अम्बड्समैन) की वर्तमान प्रणाली को और सुदृढ़ तथा उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाना चाहिए। उनका विचार है कि पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक और अधिकरण बनाने से खर्च बढ़ जाएंगे और कोई प्रभावी और कुशल उपचार उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

4.2.6 उपभोक्ता अधिकार शैक्षणिक और चेतना न्याय, बंगलौर ने उपभोक्ता फोरम की अधिकारिता को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन अधिकारिता वर्तमान विधियों में वृद्धि हो करती है उनका अल्पीकरण नहीं। उन्होंने बीमा अपीलीय अधिकरण गठित करने के विचार का भी विरोध किया है। एक अन्य उपभोक्ता निकाय, सी ई आर सी, अहमदाबाद ने भी अम्बड्समैन की व्यवस्था को ही और शक्तियां प्रदान करके जारी रखने पर वरीयता प्रदान की है। तथापि, जनरल इन्स्योरेंस (पब्लिक सेक्टर) एसेसिएशन ऑफ इन्डिया ने सुझाव का स्वगत किया है और सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शिकायत समाधान प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उन्होंने न्यायनिर्णय शुल्क लगाए जाने के प्रति भी सहमति व्यक्त की है।

4.2.7 इस स्तर पर, परिचम बंगल के विधि आयोग द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण सुझाव का निर्देश करना होगा कि बीमा संबंधी कपट से निपटने के लिए एक विशिष्ट उपबंध करना होगा जिसमें कपट को अपराध घोषित करते हुए बीमा कार्य में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के सिविल और आपराधिक दोनों दायित्वों की व्यवस्था होगी। सुझाव यह है कि एक विशेषित बीमा कपट ब्यूरो होना चाहिए और संदेहास्पद कपट के बारे में सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्मुक्त प्रदान की जानी चाहिए। विधि आयोग ने परामर्शी-पत्र में प्रस्ताव किया था कि अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शस्त्रियां लगाने की शक्ति शिकायत समाधान प्राधिकरण में निहित होगी। कपट से निपटने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का आश्रय लेना होगा क्योंकि दांडिक विधि के अन्तर्गत यह एक विशिष्ट अपराध है। आपराधिक अधिकारिता का भी उपयोग करना शिकायत समाधान प्राधिकरण के लिए ग्रामक एवं भार स्वरूप होगा। विधि आयोग बीमा कपट को अपराध बनाने का भी पक्षधर नहीं है। विशेष अपराध बनाने का अनुभव यह दर्शाता है कि इससे न्यायपालिका का भार और बढ़ जाता है तथा दोषसिद्धि के मामलों में या मामलों के निपटने के विषय में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है। आयोग का विचार है कि यदि भारतीय दंड संहिता के वर्तमान उपबंधों को कड़ाई से लागू करना ही इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है।

4.2.8 आयोग का राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे से अत्यन्त विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने शिकायत समाधान प्राधिकरण के गठन के संबंध में विस्तृत सुझाव दिये हैं। मूलतः वे इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि अम्बड्समैन की वर्तमान व्यवस्था अधिनियम में उपबंधित संविधिक क्रियाविधि द्वारा ही बदली जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा है कि ऐसी क्रियाविधि "मितव्यी होनी चाहिए और इससे पालिसीधारकों के हितों का भी संरक्षण होना चाहिए।" विधि आयोग ने प्रस्ताव में इस प्रकार के उपार्तरण का सुझाव दिया है कि सर्वप्रथम, कानूनी रूप से यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रत्येक बीमाकर्ता के संग्रह में ही "एक शीर्ष शिकायत समाधान तंत्र" की व्यवस्था होगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि शिकायत समाधान प्राधिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए और यह कि दो अन्य तकनीकी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। नियुक्तियों के लिए चयन बीमा परिषद द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण में उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश और दो अन्य विशेषज्ञ होने चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान होना चाहिए। विचार यह है कि प्रत्येक पालिसीधारी शिकायत समाधान प्राधिकरण में जाने से पूर्व आंतरिक व्यवस्था की कार्यवाही पूरी कर ले। आयोग राष्ट्रीय बीमा अकादमी के इस सुझाव को स्वीकार करता है।

4.2.9 अभी हाल में, एक और विकास हुआ है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पत्रिका के जनवरी, 2004 के अंक में यह प्रकाशित हुआ था कि केन्द्रीय सरकार के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण गठित किया है। प्राधिकरण की पत्रिका के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिक्सूचना में अपीलीय प्राधिकरण की दोनों, एकल सदस्यीय तथा खंड न्यायपीठ, न्यायपीठ गठित की है। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव एकल सदस्यीय और उसके साथ विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को लेकर खंड न्यायपीठ गठित की गई है। विधि आयोग यह टिप्पणी करते हुए खेद व्यक्त करता है कि ऐसा अपीलीय अधिकरण गठित करने में केन्द्रीय सरकार की चाहे जो भी वाध्यताएं रही हों, एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायनिर्णयक अपीलीय निकाय गठित करने की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है।

प्रतिक्रियाओं पर विधि आयोग के विचार

4.3.1 एक स्वतंत्र शिकायत समाधान तंत्र के अपने प्रस्ताव पर प्राप्त हुई विस्तृत प्रतिक्रियाओं पर आयोग ने सावधानीपूर्वक विचार किया है। यद्यपि, आयोग जानता है कि परिवर्तन के किसी प्रस्ताव पर मतभेद होना ही है, स्वतंत्र शिकायत समाधान प्राधिकरण गठित करने संबंधी प्रस्ताव पर अधिकांशतः कुछ प्रतिक्रियाओं को छोड़कर, जो वर्तमान विधिको यथावत रखने के पक्षधर हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। आयोग का यह निश्चित मत है कि अम्बड्समैन की वर्तमान प्रणाली, जिसमें न्यायिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति होना अनिवार्य नहीं है, उपभोक्ताओं और पालिसीधारकों की, यहां तक कि बीमाकर्ताओं की दृष्टि से भी संतोषप्रद नहीं है। विनियामों की उपर्युक्त योजना जो बीमाकर्ताओं को अम्बड्समैन के निर्णय पर अपनाते ही अनुज्ञा नहीं देती है परन्तु बीमा किए गए व्यक्तिको उस निर्णय को रद करने की अनुज्ञा नहीं देती है, समानता तथा न्याय पाने के सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होती है। पालिसीधारकों तथा बीमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए, विशेषकर परिवर्तित परिस्थितियों में जहां बाजार में बहुत से निजी बीमाकर्ता उपलब्ध हैं, पालिसीधारकों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक स्वतंत्र, पारदर्शी और उत्तरदायी शिकायत समाधान प्राधिकरण स्थापित करना अनिवार्य है। अतः आयोग इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता कि अम्बड्समैन की वर्तमान प्रणाली जारी रखी जाए।

4.3.2 आयोग इस सुझाव को स्वीकार करता है कि प्रत्येक बीमाकर्ता को अपनी व्यवस्था में एक ऐसा शिकायत समाधान तंत्र रखना का न्यायी रूप से अनिवार्य होना चाहिए जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो और जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन हो। इस तंत्र की उपचारात्मक कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात ही शिकायत समाधान प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत ग्रहण की जा सकेगी। यह ठीक है कि जहां शिकायत पर विधि में उल्लिखित की जाने वाली अवधि के भीतर वांच्छनीय 60 दिन, कोई व्यक्ति/शिकायतकर्ता शिकायत समाधान प्राधिकरण में जा सकेगा। यह बात स्पष्ट है कि आन्तरिक व्यवस्था नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें व्यक्तिगत सुनवाई का भी अधिकार होना चाहिए तथा तकर्मसंगत आदेश दिया जाना चाहिए।

4.3.3 आयोग यह सुझाव भी स्वीकार करता है कि बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्तीयों तथा बीमा अधिकार्ताओं द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियोगों का उल्लंघन का न्यायनिर्णय करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को स्वयं न्यायनिर्णय/अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और इन अधिकारियों को अधिनियम में उपबंधित के अनुसार शास्त्रियां लगाने का भी अधिकार होना चाहिए। न्यायनिर

4.3.4 आयोग इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि शिकायत समाधान प्राधिकरण तथा बीमा अपीलीय अधिकरण शक्तियों का क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णय से उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील की जा सकेगी। मूल प्राधिकरण के रूप में शिकायत समाधान प्राधिकरण तथा बीमा अपीलीय अधिकरण, जो अपीलीय प्राधिकरण है, पक्षकारों के सिविल अधिकारों के बारे में कार्यवाही करते हैं वे किसी सार्वजनिक विधि संबंधी विषय या अधिकारों के बारे में कोई न्यायनिर्णय नहीं करते हैं। दूसरी ओर, यदि शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय अधिकरण सार्वजनिक विधि संबंधी विषयों या अधिकारों के बारे में कार्यवाही करते हैं तो उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक पुनरीक्षा का उपबंध करना आवश्यक हो जाएगा जैसाकि एल.चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261, मामले में निर्णित हुआ है। फिर भी, इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि यद्यपि शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय अधिकरण के आदेशों को तकनीकी रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में अपत्ति की जा सकती है परन्तु यदि वैकल्पिक उपचारात्मक व्यवस्था की जाती है तो उच्च न्यायालय साधारण तथा अपनी स्वविवेकी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा और इसलिए हम शिकायत समाधान प्राधिकरण से बीमा अपीलीय अधिकरण को और बीमा अपीलीय अधिकरण से उच्चतम न्यायालय को सांविधिक अपील करने की सिफारिश कर रहे हैं। शिकायत समाधान प्राधिकरण का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रवर्तनीय होगा। आयोग न्यायनिर्णयन शुल्क लगाने के सुझाव को भी स्वीकार करता है परन्तु यह केवल ऐसी शिकायतों के लिए लागू होगा जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति की होंगी लघु पालिसीधारकों के लिए यह लागू नहीं होगा।

4.3.5 विधि आयोग ने शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल तथा उन्हें हटाए जाने के विषय पर भी विचार किया है। शिकायत समाधान प्राधिकरण का प्रस्तावित स्वरूप तथा गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन जिला उपभोक्ता फोरम जैसा है। अधिकरण का मॉडल प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन गठित किए जाने वाले अधिकरण के समान है। आयोग को ज्ञात है कि इन दोनों ही फोरमों में सदस्य या अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष की निश्चित अवधि का है और सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। विधि आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय अधिकरण दोनों ही स्वतंत्र होंगे और तदनुसार सिफारिश करता है कि इन दोनों ही निकायों में नियुक्तियां किसी निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं होनी चाहिए परन्तु सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष ही रहनी चाहिए। क्योंकि यह सिफारिश की गई है कि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए, न्यायिक हो या तकनीकी, एक अहेतु न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना है इसलिए यह उचित होगा कि ऐसे व्यक्ति किसी निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त न किए जाएं अपितु उन्हें 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति होनी चाहिए।

4.3.6 जहां तक प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए अध्यक्ष या सदस्यों के हटाए जाने का प्रश्न है, आयोग सिफारिश करता है कि अध्यक्ष और सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् ही, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों को आरोपों के बारे में उनका पक्ष सुने के लिए उन्हें न्यायोचित अवसर प्रदान किया जाएगा, हायाजा जा सकेगा। जहां तक बीमा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का संबंध है, प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाए जाने की प्रक्रिया भी वही होगी केवल एक अन्तर होगा। यह आशा की जाती है कि इससे शिकायत समाधान प्राधिकरण तथा बीमा अपीलीय अधिकरण में पर्याप्त परिमाण में स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकेगी।

4.3.7 इन निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों के बेतन और सेवाशर्तों का निश्चय नियम बनाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह आशा की जाती है कि ये ऐसे ही कार्य करने वाले अन्य सांविधिक अधिकरणों के लिए लागू होने वाली सेवाशर्तों के अनुरूप ही होंगा।

शिकायत समाधान तंत्र के संबंध में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें:

4.3.8 शिकायत समाधान तंत्र के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

न्यायनिर्णयन/अन्वेषण अधिकारी

- (i) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमा अभिकर्ताओं द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघनों का करने और अधिनियम में उपबंधित के अनुसार शास्त्रियां लगाने के लिए न्यायनिर्णयन/अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। न्यायनिर्णयन/अन्वेषण अधिकारी के निर्णय से आहत कोई व्यक्ति बीमा अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकेगा।

## संगठनगत तंत्र

- (ii) प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संपूर्ण पर्यवेक्षणाधीन अपने संगठन में एक शिकायत समाधान तंत्र गठित करेगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण में कोई दावा फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए पहले संगठनगत तंत्र में जाना अनिवार्य होगा। जहां संगठन तंत्र का निर्णय दावेदार के लिए संतोषप्रद नहीं है या जहां संगठनगत तंत्र में ऐसा दावा फाइल करने की तिथि से 60 दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है वहां दावेदार संगठनगत तंत्र का निर्णय प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर या दावा करने की तिथि से 60 दिन की अवधि बीत जाने पर, जो भी बाद में हो, शिकायत समाधान प्राधिकरण में जा सकेगा।

### शिकायत समाधान प्राधिकरण

- (iii) 1998 के नियमों के अधीन प्रमुख महानगरों में अम्बड़समैन की वर्तमान प्रणाली को बीमा अधिनियम, 1938 में समुचित संशोधन करके गठित किए जाने वाले शिकायत समाधान प्राधिकरण से बदला जाना चाहिए। ये इस प्रकार से सांविधिक कृत्य करने वाले सांविधिक प्राधिकरण होंगे। शिकायत समाधान प्राधिकरण अधिनियम के अधीन अंपराधों के संबंध में जुर्माना करने या शास्त्रियां लगाने के संबंध में किसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- (iv) शिकायत समाधान प्राधिकरण की अधिकारिता में निम्नलिखित विवाद सुने जा सकेंगे:
- (क) वैयक्तिक बीमे से संबंधित बीमा किए गए व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच निम्नलिखित प्रकार के विवाद:

  - (1) बीमाकर्ता द्वारा दावों का अंशिक या पूर्ण रूप से निरकरण;
  - (2) पालिसी की शर्तों के अनुसार संदर्भ या संदेश प्रीमियम के संबंध में कोई विवाद;
  - (3) पालिसियों की वैधता संबंधी विवाद, जहां तक वे दावों से संबंधित हैं;
  - (4) दावों के निपटारे में विलम्ब;
  - (5) प्रीमियम प्राप्त हो जाने के पश्चात् किसी बीमा दस्तावेज का उपलब्ध न कराया जाना; और
  - (6) बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य शिकायत;

- (ख) बीमाकर्ता तथा मध्यवर्तियों के बीच के विवाद;
- (ग) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के बीच के विवाद;
- (घ) समनुदेशन की प्राथमिकता के बारे में पालिसी के समनुदेशियों के बीच विवाद।

### शिकायत समाधान प्राधिकरण

- (v) शिकायत समाधान प्राधिकरणों का विस्तार, भौगोलिक दृष्टि से अधिकाधिक स्थानों तक किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ, देश के प्रत्येक प्रमुख शहर में एक शिकायत समाधान प्राधिकरण होना चाहिए। पालिसीधारकों की वर्तमान बड़ी संख्या और भविष्य में इसके और बढ़ने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। राज्य में मामलों की संख्या को देखते हुए एक राज्य में एक से अधिक प्राधिकरण हो सकेंगे।

### शिकायत समाधान प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

- (vi) शिकायत समाधान प्राधिकरणों की शक्तियां और कार्य सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां और कार्यों के समान होंगे और इनमें तथ्य और विधि के प्रश्नों का न्यायनिर्णय भी अन्तर्गत होगा।
- (vii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी उपबंधित किया जा सकेगा कि 1938 के बीमा अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता फोरम के समक्ष लम्बित सभी विवाद, 1938 के बीमा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार में, समाधान के लिए शिकायत समाधान प्राधिकरणों को अंतरित कर दिए जाएंगे। इस आशय का उपबंध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन उत्पन्न होने वाले विवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन ग्रहण नहीं किए जाएंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में एक संशोधन करना होगा।

### सिविल न्यायालयों का अपवर्जन

- (viii) ऐसे मामलों के बारे में जो शिकायत समाधान प्राधिकरण की अधिकारिता के विषय हैं, सिविल न्यायालयों तथा अन्य अधिकरण/फोरम की अधिकारिता का स्पष्ट अपवर्जन करने के लिए एक खंड जोड़ा जाएगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक दावेदार को एक स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि किसी अन्य अधिकरण या फोरम में इसी प्रकार का कोई अन्य दावा नहीं किया गया है और यह कि उसने उपर्युक्त पैरा (11) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता के संगठनगत तंत्र का उपयोग कर लिया है।

### वैकल्पिक विवाद समाधान

- (ix) माध्यस्थम या सुलह के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहन देने की वृद्धि से, यह उपर्युक्त किया जा सकेगा कि दावेदार माध्यस्थम या सुलह का विकल्प अपना सकेगा और ऐसे मामले शिकायत समाधान प्राधिकरण किसी सहमत व्यक्ति या निकाय द्वारा, या जहां ऐसा कोई करार न हो, शिकायत समाधान प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पैनल से उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा विवाद को माध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, शिकायत समाधान प्राधिकरण स्वयं भी अपने समक्ष लंबित विवादों को, कार्यवाही के किसी भी चरण में, पक्षकारों की सहमति से वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को निर्देशित कर सकेगा।

### निर्णयों के प्रवर्तक के संबंध में शिकायत समाधान प्राधिकरण की शक्तियां

- (x) शिकायत समाधान प्राधिकरण, जो मूल आदेश पारित करता है, अपना निर्णय, या अपील पर अन्तिम निर्णय, प्रवर्तनीय कर सकेगा और इस प्रयोजन से शिकायत समाधान प्राधिकरण सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

### शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन

- (xi) शिकायत समाधान प्राधिकरण बहु सदस्यीय निकाय होना चाहिए जिसमें एक न्यायिक सदस्य, जो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, और दो तकनीकी सदस्य होने चाहिए। शिकायत समाधान प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। प्राधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रैंक से कम न हो, या कोई अधिवक्ता जिसे कम से कम 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, होना चाहिए और उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

- (xii) जहां तक शिकायत समाधान प्राधिकरण के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बीमा उद्योग में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाया जा सकेगा और उसे अधिनियम की धारा 46ग के अधीन गठित बीमा परिषदों के सदस्यों से गठित की गई चयन समिति को भेजा जा सकेगा। उक्त चयन समिति तकनीकी सदस्यों के पैनल में दिए गए नामों से शिकायत समाधान प्राधिकरण में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सिफारिश करेगी। केन्द्रीय सरकार शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के बारे में नियम बनाएगी।

- (xiii) शिकायत समाधान प्राधिकरण दावे फाइल करने, अभिवचनों के पूरा होने, शपथपत्रों पर साक्ष्य या अन्यथा, अधिनिर्णय पारित करने और प्रतियां प्रेषित करने के मामलों के बारे में प्रक्रिया नियम बनाएगा। प्रक्रिया के ये नियम अपीलों में अन्तिम निश्चय के रूप में शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णयों के प्रवर्तन संबंधी मामलों के लिए भी लागू होंगे।

### शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना

- (xiv) शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और इन आरोपों के बारे में उसका पक्ष सुनने का उसे पर्याप्त अवसर दिया गया है, प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के सिवाए, उसके पद से नहीं हटाया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के दुर्व्यवहार और अक्षमता की जांच करने के लिए प्रक्रिया विनियमित करने हेतु नियम बना सकेगी।

### बीमा अपीलीय अधिकरण

- (xv) शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णय से बीमा अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता में निम्नलिखित विषय पर सुनवाई हो सकेगी:
- (क) शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णयों से अपील
  - (ख) बीमा विनियापक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णय/अन्वेषण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील
  - (ग) बीमा अपीलीय अधिकरण गठित हो जाने पर, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण, (जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.2.9 में देख सकेगा) बीमा विनियापक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों पर कार्यवाही को बंद करना होगा और उसके समक्ष लम्बित अपील स्वयं बीमा अपीलीय अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी।
  - (घ) उपर्युक्त मामलों के बारे में, सर्वांगीन अन्यथा अंतरित आदेश देना।

### बीमा अपीलीय अधिकरण का गठन

- (xvi) बीमा अपीलीय अधिकरण बहु सदस्यीय निकाय होना चाहिए जिसमें न्यायिक सदस्य अधिकरण का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामनिर्देशित उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता रखी जानी चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण में तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए। इस प्रयोजन से बीमा उद्योग में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बीमा परिषदों द्वारा (अधिनियम की धारा 46ग के अधीन गठित) भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। तकनीकी सदस्यों का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के बारे में नियम बनाएगी।

### बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और उनका पद से हटाया जाना

- (xvii) बीमा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य 68 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने के पश्चात और उन आरोपों के बारे में उनका पक्ष सुने जाने के लिए न्यायोचित अवसर प्रदान करके उनके पद से हटाया जा सकेगा। केन्द्रीय बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी।

### बीमा अपीलीय अधिकरण का अवस्थान और न्यायपीठ

- (xviii) बीमा अपीलीय अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ नई दिल्ली में होनी चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण की एक न्यायपीठ प्रत्येक राज्य में होनी चाहिए। यह अधिकरण की एक पीठ ही सकती है, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया जाए या प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4(3) की पद्धति पर राज्य सरकारों के बीच करार किया जाए।

- (xix) बीमा अपीलीय अधिकरण अपील फाइल करने, अभिवचनों के पूरा होने, अंतरिम तथा अन्तिम दोनों प्रकार के आदेश देने और प्रतियां प्रेषित करने के बारे में प्रक्रिया नियम बनाएगा।

### शिकायत समाधान प्राधिकरण और बीमा अपीलीय अधिकरण का व्यय

- (xx) शिकायत समाधान प्राधिकरणों और बीमा अपीलीय अधिकरणों के गठन तथा उनके अनुरक्षण पर होने वाले व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा बहन किया जाना चाहिए क्योंकि वे केन्द्रीय विधि के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों पर न्यायनिर्णय करेंगे।

### उच्चतम न्यायालय को अपील किया जाना

- (xxi) बीमा अपील अधिकरण के निर्णय से उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील की जा सकेगी। अपील बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णय के 60 दिन के भीतर फाइल की जा सकेगी।

### न्यायनिर्णयन शुल्क

- (xxii) शिकायत समाधान प्राधिकरण के समक्ष किसी दावे और बीमा अपीलीय अधिकरण के समक्ष किसी अपील के बारे में न्यायनिर्णयन शुल्क लगाया जा सकेगा। तथापि, पालिसीधारी को, यथास्थिति, शिकायत समाधान प्राधिकरण या बीमा अपीलीय अधिकरण द्वारा, ऐसा न्यायनिर्णयन शुल्क देने से छूट दी जा सकेगी।

## अध्याय-पांच

### बीमा विधियों में सुधार अपेक्षित विधिक विषय

#### वर्तमान विधि

5.1.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी बीमा पालिसी पर, उसी तारीख से, जिसको वह की गई थी, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर कि बीमा प्रस्थापना में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके कारण वह पालिसी दी गई है, किया गया कथन, अशुद्ध अथवा मिथ्या है, कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा “जब तक कि बीमाकर्ता यह दर्शित न कर दे कि ऐसा कथन किसी तात्त्विक बात के बारे में था अथवा उसमें ऐसे तथ्य छिपा लिए गए थे जिनको प्रकट करना तात्त्विक था तथा वह पालिसीधारी द्वारा कपटपूर्वक किया गया था और ऐसा कथन करने के समय पालिसीधारी यह जानता था कि वह मिथ्या है या उसके ऐसे तथ्य छिपा लिए गए हैं जिन्हें प्रकट करना तात्त्विक था”

5.1.2 अतः स्थिति यह है कि उस तारीख से जिसको जीवन बीमा पालिसी की गई थी, दो वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी समय कोई बीमाकर्ता किसी पालिसी का निराकरण कर सकता है यदि बीमा प्रस्थापना में या किसी अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई तात्त्विक तथ्य, जिनके आधार पर वह पालिसी दी गई थी, अशुद्ध या मिथ्या थे, यह बीमाकर्ता द्वारा पालिसी के निराकरण के आधार को प्रमाणित किए बिना एक पक्षीय रूप में ही किया जा सकता है। तथापि, उस तारीख से जिसको पालिसी की गई थी दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी पालिसी का इस आधार पर कि बीमा प्रस्थापना या किसी अन्य दस्तावेज में किया कथन, जिसके आधार पर पालिसी की गई थी, अशुद्ध या मिथ्या था, निराकरण धारा 45 के दूसरे भाग में उल्लिखित तीनों शर्तों के संयुक्ततः पूरा होने पर ही किया जा सकेगा अर्थात् (क) कथन किसी तात्त्विक बात के संबंध में होना चाहिए, या इसमें ऐसे तथ्यों को छिपाया गया था जिनको प्रकटीकरण तात्त्विक था, (ख) पालिसीधारी द्वारा कपटपूर्वक छिपाया गया था और (ग) पालिसीधारी को जात था कि वह कथन मिथ्या था या उसके तथ्यों को छिपाया था जिनको प्रकट करना तात्त्विक था (देखें मिट्टू लाल नायक बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया, ए आई आर 1962 सुको 814)

#### परम विश्वास का सिद्धान्त

5.1.3 धारा 45 परमविश्वास के सिद्धान्त से शासित होती है जिसके लिए यह अपेक्षित है कि पालिसीधारी बीमा संविदा करने के समय बीमाकर्ता को सभी तात्त्विक तथ्यों को पूरी तरह से प्रकट करे जो उसे ज्ञात हैं। साधारण विधि के इस सिद्धान्त का, जो भारत में अपनाया गया है, लार्ड मैन्सफोल्ड द्वारा कार्टर बनाम बोहम मामले में निम्नलिखित शब्दों में विधिकरण किया गया है [(1758-1774) एलएलईआरलि 183]:

“बीमा किसी परिकल्पना पर की गई संविदा है। वे विशेष तथ्य जिन पर अकिसिक संभावना की संगणना की जाती है साधारण तथा उसी व्यक्ति को ज्ञात होते हैं जिसका बीमा किया जाता है; बीमाकर्ता बीमा किए जाने वाले के कथनों का विश्वास करता है और इसी विश्वास से वह आगे बढ़ता है कि वह व्यक्ति उसे ज्ञात किसी परिस्थिति को उसे गुमराह करने के लिए, नहीं छिपाएगा, ऐसी परिस्थिति विद्यमान नहीं है। ऐसी परिस्थिति को छिपाना कपट है और इसलिए पालिसी शून्य हो जाती है यदि कपटपूर्ण आशय के बिना भी परिस्थिति छिपाई गई है या परन्तु बीमाकर्ता के साथ फिर भी धोखा हुआ है तो भी पालिसी शून्य है क्योंकि जोखिम समझे गए जोखिम से, जो करार के समय आशयित था, भिन्न है। सदाशय किसी ऐसे तथ्य को छिपाकर जिसे वह निजी रूप से जानता है, दूसरे पक्षकार द्वारा, दूसरे तथ्य को संविदा के अन्तर्गत लाए जाने का निवेद दर्शाता है।”

#### भारतीय न्यायालयों के निर्णय

5.1.4 बीमाकर्ताओं द्वारा पालिसियों का निराकरण करने के निर्णय के विरुद्ध दावेदारों की आपत्तियों के संदर्भ में भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में इसी सिद्धान्त को दोहराया गया है। उपर्युक्त

निर्देशित मिट्टलाल नायक मामले में दिए गए निर्णय का लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम श्रीमती चन्नापासमा, (1991) 1 एस सी सी 351, मामले में और अभी हाल ही में लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम आशा गोयल (2001) 2 एस सी सी 160, मामले में अनुसरण किया गया है।

5.1.5 वह तात्त्विक तथ्य क्या है, जिससे वह जोखिम प्रभावित होता है जिसे बीमाकर्ता उठाने का वायदा करता है, किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और यह केवल प्रमुख साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकेगा। [देखें सीटन बनाम बर्नार्ड (1900) ए सी 135]। बीमा किए गए व्यक्तिके स्वास्थ्य के संबंध में किसी तथ्य का छिपाया जाना या गलत रूप में बताया जाना बीमाकर्ता को किसी पालिसी का निराकरण करने का अधिकार देता है। [लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम सोसम्मा पुभान (1992) 74 कम्प केस 218 (केरल)] तथापि, उदाहरण के लिए, आयु के बारे में गलत कथन की प्रत्येक मामले में तात्त्विक गलत कथन नहीं समझा जाएगा यद्यपि बीमा राशि के संदर्भ में प्रीमियम की राशि निश्चित करना सुसंगत होगा। [लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम वासप्पा ए आई आर 1987 कर्नाटक 216]

5.1.6 भारत के न्यायालय (और उपभोक्ता फोरम) उन मामलों में जहां बीमाकर्ता किसी बीमा पालिसी के लिए जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात पालिसी का निराकरण करना चाहता है वहां बीमाकर्ता से धारा 45 के दूसरे भाग की तीनों शर्तों की विद्यमानता प्रमाणित करने की निरन्तर अपेक्षा करते रहे हैं। [देखें लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम श्रीमती कुसुम टी राम (1991) 70 कम्पो केस कर्नाटक; शान्ता त्रिवेदी बनाम लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, ए आई आर 1988 दिल्ली 39 और सीनियर डिवीजनल मैनेजर, एल आई सी बनाम श्रीमती जे विनय (2003) 1 सी पी जे 50 (एलसी)] इस संदर्भ में लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम आशा गोयल मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी सुसंगत है (पैरा 16, पृष्ठ 170 एस सी सी):

“समय के क्रम में निगम का आकार बड़ा हो गया है और इस समय वह सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्तीय उपक्रम है। आम जनता, विशेषकर करोड़ों पालिसीधारी निगम से त्वरित कुशल सेवा की अपेक्षा करते हैं। अतः निगम के कार्यों के प्रबंधन प्रभारी अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निगम की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा उसकी त्वरित और कुशल सेवा पर निर्भर करती है। इसलिए, उसके द्वारा की गई किसी पालिसी के निराकरण के मामले में उसे अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा मामला यांत्रिकी तथा साधारण मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।” (बल दिया गया)

5.1.7 लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इन्डिया बनाम धर्मवीर आनन्द (1998) 7 एस सी सी 348, मामले में “पालिसी की तिथि” और “जोखिम आरम्भ होने की तिथि” के बीच अन्तर किया गया है। इस मामले में यह अभिनिधारित किया गया था कि बीमाकर्ता का दायित्व तब तक आरम्भ नहीं होगा जब तक कि पालिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जैसाकि पालिसी में निर्दिष्ट किया गया है। क्योंकि बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु पालिसी की उक्त तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही हो गई थी (यद्यपि जोखिम आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात) बीमाकर्ता को दायी नहीं ठहराया गया।

#### विधि आयोग की पूर्वतर सिफारिश

5.1.8 विधि आयोग ने धारा 45 के कार्यकरण पर पहले भी विचार किया था और जीवन बीमा पालिसी के अधीन बीमाकर्ता से देय राशि वसूल करने में दोबेदारों के समक्ष आ रही कठिनाईयों को नोट किया था। बीमा अधिनियम, 1938 (1985) की धारा 45 के बारे में अपनी 112वीं रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि वह अवधि जिसके पश्चात तथ्य के अशुद्ध कथन के आधार पर किसी पालिसी पर आपेक्षा नहीं किया जाएगा, दो से बड़ाकर तीन वर्ष कर दी जानी चाहिए। इस प्रकार उस तिथि से जिसकी पालिसी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी तीन वर्ष की अवधि के भीतर बीमाकर्ता को इस आधार पर पालिसी का निराकरण करने का अधिकार देना प्रतिसंतुलन रखा जा सकेगा कि पालिसी की प्रस्थापना में जीवन की प्रत्याशा के बारे में किया गया तात्त्विक कथन, जिसके आधार पर पालिसी दी गई थी, गलत था। यह प्रस्तावित धारा 45 में किए गए उपबंध से बहुत भिन्न था। यह महसूस किया गया था कि इस परिवर्तन से बीमाकर्ता तथा बीमा किए गए व्यक्ति दोनों के अधिकारों का समाधान हो जाएगा।

#### परामर्शीपत्र में विधि आयोग का सुझाव

5.1.9 परामर्शीपत्र में विधि आयोग की 112वीं रिपोर्ट की सिफारिश का अनुसरण किया गया और यह प्रस्ताव किया गया कि किसी जीवन बीमा पालिसी पर अशुद्ध कथन के आधार पर पालिसी किए जाने या उसे पुनर्जीवित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात कोई आपेक्षा नहीं किया जाएगा। अतः यह प्रस्ताव किया गया कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जानी चाहिए:

“(1) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर, उस तारीख से, जिसको वह की गई हो या किसी कारण से व्यवगत हो जाने के पश्चात पुनर्जीवित की गई हो, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात कोई आपेक्षा नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर, उस तारीख से, जिसको वह पुनर्जीवित की गई हो, तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय इस आधार पर आपेक्षा किया जा सकेगा कि बीमा प्रस्थापना में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके कारण वह पालिसी दी गई है, किया गया कथन, जो जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उसकी जीवन प्रत्याशा के बारे में तात्त्विक कथन है, अशुद्ध है।”

5.1.10 यह देखा जा सकता है कि यह प्रस्ताव धारा 45 की व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न है।

#### परामर्शीपत्र के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया

5.1.11 परामर्शीपत्र के उपर्युक्त सुझाव पर मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। निजी बीमाकर्ताओं ने प्रस्ताव का इस तर्क पर विरोध किया है कि इससे कपट को प्रोत्साहन मिलेगा और इसका दुरुपयोग किया जा सकेगा। बिडला सन लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिंग ने कहा है कि विधि आयोग की यह सिफारिश “जीवन बीमा संविदा के परमविश्वास के स्परूप को पूर्णतया नकारती है।” बिडला सनलाइफ का विचार है कि न्यायालयों का सुझाव दावेदारों के पक्ष में है। आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्स्योरेंस लिंग ने सुझाव दिया है कि धारा 45 बिना किसी परिवर्तन के यथावत रखी जाए। एचडीएफसी लाइफ इन्स्योरेंस लिंग ने परिवर्तन न करने पर बल देते हुए सुझाव दिया है कि इस आशय का एक परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए कि किसी पालिसी पर बीमाकर्ता द्वारा दो वर्ष के भीतर भी केवल इस आधार पर आपेक्षा किया जा सकेगा कि अशुद्ध कथन जीवन प्रत्याशा के बारे में तात्त्विक है। ओम कोटक महेन्द्रा लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी ने इस शर्त के अध्यधीन परन्तुक रहने देने का सुझाव दिया है कि जहां निराकरण पालिसी के प्रभावी होने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात किया जाता है वहां अशुद्ध तथ्य/कपट की तात्त्विकता प्रमाणित करने का भार बीमाकर्ता पर परन्तुक रहने देने का सुझाव दिया है कि बीमाकर्ता द्वारा एकपक्षीय निराकरण को बढ़ाकर तीन वर्ष करने तथा वर्तमान धारा 45 में दूसरे भाग का रहने देने का सुझाव दिया है।

5.1.12 सरकारी क्षेत्र के प्रमुख भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्तमान उपबंध को निम्नलिखित परिवर्तनों के अध्यधीन बनाए रखने का सुझाव दिया है:

“उपधारा (1) में “जिसको पालिसी की गई है” शब्दों के स्थान पर “तिथि, जिसको प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। पालिसी पुनर्जीवित/बहाल की गई है” शब्द रखे जाए।”

“खंड (2) में “बीमा किए गए जीवन की प्रत्याशा के लिए तात्त्विक” शब्दों के स्थान पर “जोखिम मूल्यांकन के लिए या बीमा किए गए व्यक्ति को जीवन बीमा पालिसी का प्रीमियम निश्चित करने के लिए तात्त्विक” शब्द रखे जाए। इसके अतिरिक्त, खंड के अन्त में “बहाल” शब्द जोड़ा जाना चाहिए।”

5.1.13 जीवन बीमा निगम तीन वर्ष की समय सीमा का ‘अत्यन्त अल्पावधि’ बताकर विरोध किया गया है और कहा है कि “यदि यह उपबंध किया गया है तब भी हम सहमत हो सकते हैं यदि जहां पालिसी बिना किसी आपेक्षा के 6-8 वर्ष की अवधि तक निरन्तर रूप में प्रभावी रही हो वहां यह समझा जाएगा कि बीमाकर्ता ने किसी भी आधार पर पालिसी के निराकरण के अपने अधिकार को अधित्यक्त कर दिया है।” जीवन बीमा निगम ने यह सुझाव दिया है कि जहां कपट के आधार पर किसी दावे का निराकरण किया जाता है वहां बीमाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह तात्त्विक तथ्य को प्रकट न करने और जोखिम के मूल्यांकन के बीच संबंध स्थापित करेगा।

5.1.14 भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ ने सुझाव दिया है कि वर्तमान उपबंध रखा जाना चाहिए। संघ ने सुझाव दिया है कि यदि बीमाकर्ता द्वारा संविदा भंग की जाती है तो ऐसे मामलों के लिए उपचार का उपबंध करके उपभोक्ता पालिसीधारी के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। फिर भी, वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ ने यह बताया है कि ब्रिटेन की विधि में नकारात्मक परिभासाओं द्वारा उन आधारों को निर्बंधित किया है जिन पर किसी पालिसी का निराकरण किया जा सकता है। ब्रिटेन में 1986 में जारी किए गए स्टेटमेंट आफ जनरल इन्स्योरेंस प्रैक्टिस के पैरा 2(ख) का पाठ इस प्रकार है:

“कोई बीमाकर्ता किसी पालिसीधारी को क्षतिपूर्ति का निराकरण नहीं करेगा—

किसी तात्त्विक तथ्य को प्रकट न करने के आधार पर जिसको प्रकट करने की पालिसीधारी से न्यायोचित रूप में आशा नहीं की जा सकती थी।

अशुद्धता के आधार पर ऐसा अशुद्ध कथन जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक न किया गया हो।”

5.1.15 भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ ने यह बताया है कि अमरीका के अधिकांश राज्यों ने समुद्रीय जोखिम वाले मामले के लिए प्रकटन का कठोर नियम लागू करने से इंकार कर दिया है और इसी कारण से बीमा किए गए व्यक्ति की तात्त्विक तथ्य को प्रकट करने में असफलता, यदि वह व्यक्ति अनभिज्ञ है, संविदा को भंग नहीं करती है परन्तु बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा ज्ञात तथ्य को जानबूझ कर छिपाया जाना जोखिम के लिए तात्त्विक है। कनाडा तथा अमरीका दोनों में यह नियम अपनाया जाता है कि किसी दावे का प्रात्याख्यान करने के लिए पर्याप्त तात्त्विक अशुद्ध कथन केवल अशुद्ध कथन ही नहीं है अपितु ऐसा अशुद्ध कथन है जिसे पूरी तरह और सत्यता के साथ प्रकट किया होता तो बीमाकर्ता पालिसी देने से इंकार कर देता, कम से कम उन शर्तों पर जिन पर उसने पालिसी दी है। वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ ने सुझाव दिया है कि यह बात निश्चित करने के लिए कि जो तथ्य छिपाया गया है वह तात्त्विक है या नहीं “युक्तिमान मनुष्य” की परख का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए। बीमा किए गए व्यक्ति की दृष्टि से उन्होंने निम्नलिखित सुरक्षापार्यों का सुझाव दिया है:

किसी अशुद्ध कथन के आधार पर किसी पालिसी की निराकरण की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए “जहां बीमा किया गया व्यक्ति यह प्रमाणित कर सकता है कि उसके ज्ञान और विश्वास में उसका कथन सत्य था।

यह कि जो व्यक्ति बीमा संविदा की याचना करता है और उसके लिए बातचीत करता है “संविदा करने के प्रयोजन से बीमाकर्ता का एजेन्ट समझा जाना चाहिए और व्यक्ति की जानकारी बीमाकर्ताओं की जानकारी समझी जानी चाहिए”।

यदि बीमाकर्ता द्वारा किसी पालिसी के निराकरण की लिखित सूचना बीमा किए गए व्यक्ति को नहीं दी जाती है तो अस्वीकृत किए जाने वाले दावे के लिए प्रतिरक्षा का उपबंध किया जाना चाहिए।”

5.1.16 राष्ट्रीय बीमा अकादमी का विचार है कि प्रस्तावित परिवर्तन न्यायोचित नहीं है और उसका सुझाव है कि किसी पालिसी पर तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी कपट के आधार पर आक्षेप किया जा सकेगा। पालिसी का निराकरण तीन वर्ष के भीतर किया जा सकेगा “यदि तात्त्विक तथ्यों का (तात्त्विक के अन्तर्गत वे सभी पहलु आ जाएंगे जो सभी प्रकार के जोखिमों से संबंधित हैं जिनके लिए पालिसी की गई है) छिपाया जाना या अशुद्धता प्रमाणित हो जाती है।”

5.1.17 भारतीय बीमांकिक सोसाइटी भी परामर्शीपत्र में अन्तर्विष्ट विधि आयोग के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि “नैतिक कठिनाई की दृष्टि से तथा कपटी पालिसीधारियों के विशुद्ध सद्भाविक पालिसीधारियों की सुरक्षा की दृष्टि से, बीमाकर्ता को, किसी भी समय, यह प्रमाणित करने में अनिवार्य रूप से सक्षम होना चाहिए कि गलत जानकारी तात्त्विक विषय के बारे में, या तथ्यों को छिपाकर, जिनका प्रकट किया जाना तात्त्विक था, दी गई थी और यह कि पालिसीधारी द्वारा यह कार्य कपटपूर्वक किया था और यह भी कि पालिसीधारी कथन करने के समय यह जानता था कि वह मिथ्या था या इससे वह तथ्य छिपाए गए थे जिनका प्रकट किया जाना तात्त्विक था।” सोसाइटी ने सुझाव दिया है कि जीवन बीमा की किसी पालिसी या उसके पश्चात् उसमें अनुमति दिए गए राइटर पर “किसी भी समय” आक्षेप किया जा सकेगा यदि बीमाकर्ता यह दर्शाता है कि अशुद्ध या मिथ्या कथन, जिसके आधार पर पालिसी की गई थी, किसी तात्त्विक विषय के बारे में या उससे ऐसे तथ्यों को छिपाया गया था जिनका प्रकट करना तात्त्विक था और यह कि पालिसीधारी द्वारा कथन कपटपूर्वक किया गया था और यह कि पालिसीधारी कथन करते समय यह जानता था कि वह मिथ्या था यह कि उससे ऐसे तथ्यों को छिपाया गया था जिनका प्रकट करना तात्त्विक था।”।

5.1.18 उपभोक्ता वर्गों के विचार इसके विपरीत है। उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद ने विधि आयोग के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका में किस प्रकार तात्त्विक अशुद्ध कथन से ध्यान में रख कर दी गई थी, संदेश राशि की फिर से गणना का कार्य आरंभ हो जाता है। कन्यूमर राइट्स् एज्यूकेशन एण्ड अवेरनैस ट्रस्ट, बंगलौर ने भी विधि आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया है परन्तु अवधि दो वर्ष रखने की मांग की है।

5.1.19 इस संदर्भ में, बीमा सर्वेक्षक तथा समायोजन संस्थान से प्राप्त प्रतिक्रिया में दर्शाए गए एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि और पालिसीधारियों से प्राप्त विचारों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा कराए गए संवेदना सर्वेक्षण का निर्देश किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से भी अधिक पालिसीधारियों से प्राप्त जानकारी यह दर्शाती है कि 99.8 प्रतिशत बीमाकर्ताओं की सेवाओं से अधिकांशतः संतुष्ट हैं यद्यपि दोनों के निष्ठारों में विलम्ब के बारे में एक सामान्य शिकायत है जिसकी औसत दर 65 प्रतिशत है।

विधि आयोग के विचार

5.1.20 परामर्शीपत्र में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव पर प्रतिक्रियाओं को मौटे तौर पर निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है:

- (क) बीमाकर्ता बीमा संविदाओं के संबंध में परमविश्वास के सिद्धांत का कोई तनुकरण नहीं होते हैं।
- (ख) बीमाकर्ता, अधिकांशतः, इस शर्त के अध्यधीन कि जहां पालिसी का निराकरण पालिसी प्रभावी होने की तारीख से दो/तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जाता है वहां यह प्रमाणित करने का भार कि अशुद्ध कथन तात्त्विक है बीमाकर्ता पर चला जाएगा, कपट के आधार पर किसी भी समय पालिसी का निराकरण करने के अपने विकल्प के बनाए रखना होते हैं।
- (ग) जीवन बीमा निगम यह कहने के लिए तत्पर है कि यदि कोई पालिसी निरन्तर रूप से 6-8 वर्ष तक चालू रहती है तब किसी आधार पर भी उसका निराकरण अनुलेय नहीं होना चाहिए।
- (घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने ऐसे परिवर्धनों के साथ जिनसे पालिसीधारियों के हितों की रक्षा होगी, वर्तमान उपबंध को यथावत रखने का सुझाव दिया है।
- (ङ) उपभोक्ता, विधि आयोग के प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हैं।

5.1.21 विधि आयोग का विचार है कि विधि सुधार के इस वर्तमान कार्य से एक और बीमाकर्ताओं के प्रतिस्पर्धात्मक हितों और दूसरी ओर पालिसीधारियों के हितों को संतुलित करने का अवसर प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पालिसीधारियों या पालिसियों के अधीन दावा करने वालों के सामने आ रही कठिनाईयों पर विचार करने का प्रस्ताव है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि मृतक पालिसीधारियों के विधिक उत्तराधिकारियों तथा बीमाकर्ताओं के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए उपभोक्ता फोरम तथा न्यायालय में याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बीमाकर्ताओं द्वारा दावों के निष्ठारों की दर संतोषप्रद नहीं रही है। मृतक पालिसीधारी के परिवार द्वारा दावा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही बीमाकर्ता पालिसीधारी द्वारा किए गए अशुद्ध कथन या कपट (पालिसी लेने के समय) का पता लगाने का प्रयास करता है और इस समय तक कई वर्ष व्यतील हो चुके होते हैं जिसके दौरान प्रीमियम का भी भुगतान किया गया है। यह तथ्य भी साथ में जुड़ जाता है कि प्रीमियम की समस्त गणि, जिसका भुगतान किया जा चुका है, समपूर्ण हो जाता है। तीसरे, अक्सर परिवार के सदस्यों को पालिसीधारी द्वारा किसी अशुद्ध कथन के बारे में कुछ पता नहीं होता है और उनके पास उसके विपरीत प्रमाण देने के लिए कोई साधन भी नहीं होते हैं। दूसरी ओर, बीमाकर्ता के पास वह पूरा रिकार्ड उपलब्ध होता है जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए सर्वेक्षक द्वारा जांच करके उपलब्ध कराया गया है। यहां एक असमानता है जब दावेदार न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए बाध्य होता है और उसे अनिश्चित परिणाम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चौथे, न्यायालयों द्वारा मामलों के निष्ठारों में विलम्ब का विषय है क्योंकि बीमाकर्ता जानता है कि वह अपने प्रतिकूल आदेश को अन्तम न्यायालय तक चुनौती दे सकते हैं। अन्त में, एक पहलु और है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और यह है कि कई वर्षों से जीवन बीमा पालिसियां बीमाकर्ताओं द्वारा उनके अधिकांशताओं द्वारा की जा रही हैं जो स्वयं जाकर फार्म और प्रीमियम एकत्र करते हैं तथा पालिसी जारी करने के लिए अपेक्षित चिकित्सा प्रमाणपत्र की व्यवस्था

करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि भारत में 'बीमा क्रय नहीं विक्रय किया जाता है'। ऐसी परिस्थिति में, पालिसीधारी की व्यवहारिक वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि उसे कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। इसी संदर्भ में पालिसीधारी द्वारा बीमाकर्ता के साथ जानबूझकर कपट किए जाने के आशय की जांच करना आवश्यक हो जाता है। यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब कोई बीमा उद्योग के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करने की बात करता है।

5.1.22 बीमाकर्ताओं के दृष्टिकोण से कि बीमा पालिसी एक ऐसी संविदा है जो संविदा के पक्षकारों को प्रभावित करने वाले सभी तात्त्विक तथ्यों के सत्य और पूर्ण प्रकटन के आज्ञापक सिद्धान्त से शासित होती है। यह भी निर्वावाद रूप में सच है कि कपट से सभी संविदाएं दूषित हो जाती हैं। फिर भी, सिविल तथा आपराधिक न्यायालयों के कार्यवाही करने के लिए परिसीमा का सिद्धान्त भी है। जीवन बीमा निगम ने अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार किया है कि जहां कोई पालिसी 6-8 वर्ष तक निरन्तर रूप से चलती रही है वहां यह समझा जाएगा कि बीमाकर्ता ने किसी आधार पर पालिसी का निराकरण करने के अपने अधिकार का अधित्यजन कर दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रतिक्रिया जीवन बीमा क्षेत्र के सबसे बड़े संगठन (जनवरी, 2004 को कुल प्रीमियम का 88% और कुल पालिसी का 94% जिसके अधिकार क्षेत्र में था) से प्राप्त हुई है, यह कहा जा सकता है कि बीमाकर्ता के दृष्टिकोण से वास्तविक स्थिति दर्शती है। उच्चतम न्यायालय ने आशा गोयल के मामले में (उपर्युक्त) जीवन बीमाकर्ता से जिसकी भूमिका की अपेक्षा की जाती है उसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया है:

"आम जनता, विशेषकर करोड़ों पालिसीधारी निगम से त्वरित और कुशल सेवा की अपेक्षा करते हैं। अतः निगम के कार्य प्रबंधन प्रभारी अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निगम की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा उसकी त्वरित और कुशल सेवा पर निर्भर करती है। इसलिए, उसके द्वारा की गई किसी पालिसी के निराकरण के मामले में उसे अत्यन्त सावधानी बरंतरी चाहिए। ऐसा मामला यांत्रिक रूप में या धारण मामलों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।" (बल दिया गया)

5.1.23 जहां यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान उपबंध को यथावत रहने दिया जाए क्योंकि बहुत से बीमाकर्ताओं का विचार है कि न्यायालय इस उपबंध की व्याख्या पालिसीधारी के पक्ष में करते हैं वहां इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि बहुत ही थोड़ी संख्या में दावे न्यायालय तक पहुंच पाते हैं इसका कारण सभी को ज्ञात है। विधि के अधिक स्पष्ट होने से बीमाकर्ता तथा दावेदार दोनों की ही दृष्टि में दावों का सरलता से तथा कुशलतापूर्वक निपटाया किया जा सकेगा। विधि आयोग का विचार है कि विगत वर्षों में जो अनुभव हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए उपबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

5.1.24 विधि आयोग का यह निश्चित भत है कि बीमाकर्ता द्वारा किसी भी पालिसी का एक पक्षकीय निराकरण नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, अधिनियम की धारा 45 में इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संशोधन अपेक्षित है। साथ ही, विधि आयोग जीवन बीमा निगम के इस सुझाव को भी सिद्धान्तिक स्वीकार करता है कि यदि कोई जीवन बीमा पालिसी एक अवधि तक निरंतर रूप से प्रभावी रही है तब उस अवधि के पश्चात किसी भी आधार पर पालिसी के निराकरण की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए। यद्यपि विधि आयोग ने अपने परामर्शीय प्रतिक्रिया में यह सुझाव दिया था कि यह अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए परन्तु जीवन बीमा निगम (देश का 90 प्रतिशत बीमा कारबार जिसके नियंत्रण में है) के विचारों को ध्यान में रखते हुए कि यह अवधि 6-8 वर्ष होनी चाहिए, विधि आयोग अनियम रूप से यह सिफारिश करता है कि यह अवधि पांच वर्ष होनी चाहिए, अर्थात् पालिसी प्रभावी होने की तिथि से पांच वर्ष पश्चात् अर्थात् पालिसी जारी करने की तारीख या पालिसी का आरम्भ होने की तारीख या पालिसी पुनर्जीवित करने की तारीख या पालिसी में राइडर की तारीख, जो भी बाद में हो, (धर्मवीर आनन्द के मामले में) (पैरा 5.1.7 उपर्युक्त) सामने आयी समस्या को ध्यान में रखते हुए। दूसरे शब्दों में, किसी भी बीमाकर्ता को पालिसी के प्रभावी हो जाने के पांच वर्ष पश्चात्, अर्थात् बीमा पालिसी को पुनर्जीवित करने की तारीख या पालिसी में राइडर की तारीख, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर पालिसी का निराकरण करने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए।

5.1.25 अब प्रश्न यह रह जाता है कि पालिसी आरम्भ होने के पश्चात और उस तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने की अवधि के बीच किसी भी समय किसी बीमाकर्ता को किसी जीवन बीमा पालिसी का किन आधारों पर निराकरण करने की अनुज्ञा होनी चाहिए। परामर्शीय प्रतिक्रिया के प्रस्तावों पर प्राप्त विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के पश्चात विधि आयोग को कपट के आधार पर निराकरण और अशुद्ध कथन या बीमा किए गए व्यक्ति

की जीवन प्रत्याशा को लिए तात्त्विक तथ्यों के छिपाए जाने के बीच, केवल आगामी परिणामों के संबंध में, अन्तर करने की आवश्यकता का सुझाव सारावन प्रतीत होता है। विधिक स्थिति यह है कि कपट सभी कार्यवाईयों को दूषित करता है। संविदा का कोई पक्षकार जिसे कपट के कारण हानि होती है, वह विधिक रूप में उसका निराकरण कर सकता है और कपट का दोषी पक्षकार ऐसी संविदा के अधीन सभी लाभों से विधिक रूप से वंचित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि जीवन बीमा पालिसी बीमाकर्ता तथा बीमा किए गए व्यक्ति के बीच अनिवार्यतः एक संविदा है इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 का निर्देश करना उपयोगी होगा। जिसमें कपट की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है:

"कपट परिभाषित - "कपट से अभिप्रेत है और उसके निम्न कार्यों में से कोई ऐसा कार्य सम्मिलित है, जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा, उसकी मौनानुकूलता से या उसके अधिकारों के द्वारा उसमें के दूसरे पक्षकार को या उसके अधिकारों को धोखा देने के लिए या उससे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया है-

जाने पर किसी समय पालिसी का निराकरण करने के लिए यह निम्नलिखित तथ्यों की विद्यमानता साबित करें:

- (i) कि बीमा प्रस्थापना के या चिकित्सा अधिकारी या निर्देशक व्यक्ति या बीमा किए गए व्यक्ति के मित्र की रिपोर्ट में या किसी अन्य दस्तावेज में ऐसा कथन किया गया है जिसके कारण पालिसी की गई थी;
- (ii) उक्त कथन किसी तात्त्विक बात का बारे में था या उससे तथ्यों को छिपाया गया था जिनका प्रकट किया जाना तात्त्विक था;
- (iii) यह कि यह पालिसीधारी द्वारा कपटपूर्वक किया गया था; और
- (iv) यह कि पालिसीधारी कथन करने के समय यह जानता था कि उससे वे तथ्य स्थगित या छिपाए गए हैं जिनका प्रकट करना तात्त्विक था।

5.1.27 इस प्रकार वर्तमान धारा 45 के अधीन कोई बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पालिसी के प्रभावी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पश्चात किसी भी समय यह दर्शाकर कि कपट कारक उपर्युक्त सभी तत्व विद्यमान हैं ऐसी पालिसी का निराकरण कर सकेगा। इस प्रकार पालिसी का निराकरण करने का परिणाम बीमाकर्ता के लिए यह होता है कि तब तक कि एस प्रीमियम के भुगतान की समस्त राशि समपहृत हो जाती है और पालिसी के अधीन कोई राशि देय नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार निराकृत की गई पालिसी के दावेदार को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहां किसी तथ्य के छिपाए जाने या अशुद्ध कथन किए जाने से कोई कपट नहीं बनता है और वास्तव में वह अनभिज्ञता से किया गया अशुद्ध कथन हो सकता है। दूसरे शब्दों में, धोखा देने के आशय के बिना किया गया अशुद्ध कथन कपट की सीमा में नहीं आता है। तथापि, वर्तमान धारा 45 में ऐसा कोई अन्तर नहीं किया गया है और किसी अशुद्ध कथन का तात्त्विक तथ्य को छिपाए जाने का परिणाम किसी भी मामले में प्रीमियम के समपहरण के साथ पालिसी का निराकरण ही होगा। धारा 45 का व्यवहारिक कार्यकरण, जैसाकि न्यायालय के समक्ष आए मामलों से स्पष्ट है, यह है कि बीमाकर्ता निश्चित रूप से धारा 45 के उपर्युक्त तत्वों के विद्यमान होना प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और दावेदारों को कपट का पता चलने की तारीख तक कि एस प्रीमियम के भुगतान की राशि से वंचित करने में समर्थ रहते हैं। इससे मृतक पालिसीधारी के परिवार की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अनेकों मामलों में दावेदारों या मृतक पालिसीधारी के परिवार को कपट के आधार पर पालिसी के दूषित हो जाने का पता ही नहीं चल पाता है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान धारा 45 सब कुछ या कुछ भी नहीं जैसा खंड है।

5.1.28 विधि आयोग की यह सिफारिश कि बाहरी समय सीमा (पालिसी आरम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष) जिसके उपरान्त निराकरण अनुज्ञे नहीं होगा, धारा 45 में जोड़ी जानी चाहिए, स्पष्ट रूप से पालिसीधारियों और दावेदारों के पक्ष में है और वर्तमान धारा 45 के उपबंध से हटकर है। इसके अतिरिक्त, यह सिफारिश की गई है कि किसी भी बीमाकर्ता को किसी जीवन बीमा पालिसी का एक पक्षकीय निराकरण करने की अनुज्ञा नहीं होगी। उपर्युक्त के साथ-साथ, विधि आयोग यह भी नहीं चाहता है कि किसी पालिसीधारियों को या दावेदारों को किसी पालिसी के अधीन, जिसका अशुद्ध कथन या तथ्य का छिपाए जाने के आधार पर चाहे वे जीवन की प्रत्याशा के लिए तात्त्विक हो परन्तु कपटपूर्ण न हो, निराकरण किया जाना है, भुगतान की गई प्रीमियम की राशि से वंचित किया जाए। इस प्रकार पालिसीधारियों को यह दर्शाने का अवसर दिया जाना चाहिए कि अशुद्ध कथन या तथ्यों का छिपाया जाना बीमा किए गए व्यक्ति के ज्ञान और विश्वास में सच था, अशुद्ध कथन तथ्यों का छिपाया जाना

जानबूझकर नहीं किया गया था। यह कि ऐसा अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्यों का छिपाव बीमाकर्ता या उसके अधिकारी के ज्ञान में था।

5.1.29 बाजार में वास्तव में, जहां पालिसी बेची जाती हैं खरीदी नहीं जाती, होता यह है कि किसी बीमा कम्पनी का अधिकारी संभावित पालिसीधारी के पास जाता है और उससे प्रस्थापना फार्म पर हस्ताक्षर करा लेता है। वह पालिसीधारी को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता है कि वह डाक्टरों के स्वीकृत पैनल से अपेक्षित चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेगा। अक्सर फार्म स्वयं पालिसीधारी द्वारा नहीं भरा जाता है। भारत की विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों में, जहां किसी निरक्षर पालिसीधारी से (सम्भवतया साक्षर से भी) मुद्रित फार्म को पढ़ पाने की या प्रस्थापना फार्म के किसी विशिष्ट कालम को भने या न भरने के परिणाम जानने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है वहां अधिकारी के ज्ञान को बीमाकर्ता का ज्ञान समझा जाना चाहिए। इस बात का स्पष्ट उपबंध करने के लिए विधि में संशोधन किया जाना चाहिए।

5.1.30 इस स्तर पर, इससे स्थिति को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। किसी बीमाकर्ता का कोई अधिकारी किसी संभावित पालिसीधारी, किसान, के पास जाता है और उसे बीमा पालिसी का विक्रय करता है और उससे प्रस्थापना फार्म पर हस्ताक्षर करा लेता है और पहले प्रीमियम का भुगतान प्राप्त कर लेता है। बीमा किया गया व्यक्ति तम्बाकू चबाने का आदी है परन्तु प्रस्थापना फार्म में संबंधित कालम खाली रहने दिया जाता है, भरा नहीं जाता। इस संबंध में सूचना तात्त्विक तथ्य है और बीमाकर्ता द्वारा उडाए गए जोखिम के मूल्यांकन के तात्त्विक तथ्य है। तथापि, इस मामले में पालिसीधारी अधिकारी की बात को पूर्णतया स्वीकार कर लेता है जो उसे आश्वस्त करता है कि वह प्रस्थापना फार्म पर केवल हस्ताक्षर कर दे और पैनल के किसी डाक्टर से जांच करा ले। अधिकारी पैनल के डाक्टर से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है और तत्पश्चात जीवन बीमा पालिसी जारी हो जाती है। मुख का कैंसर हो जाने के कारण पालिसीधारी की पालिसी आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है। दावेदार मृतक के परिवार के सदस्य हैं जिनमें मृतक की विधवा और दो बच्चे हैं जो किसी भी समय अधिकारी पालिसीधारी तथा बीमा कम्पनी के बीच संब्यवहार के संसर्गी नहीं थे।

5.1.31 उपर्युक्त मामले में, बीमा कम्पनी इस आधार पर पालिसी का निराकरण करना चाहेगी कि पालिसीधारी तम्बाकू खाने का आदी था यह तथ्य एक तात्त्विक तथ्य था, यह कि इसे जानबूझ कर छिपाया गया, यह कि इस प्रकार तथ्य का छिपाना कपट था और यह कि पालिसीधारी जानता था कि ऐसे तथ्य का प्रकट किया जाना तात्त्विक था। सामान्यतया, उपर्युक्त परिस्थितियों में, बीमा कम्पनी यह दर्शा कर कि प्रस्थापना फार्म में संबंधित कालम बिना भरे खाली छोड़ दिया गया था, अपना पृष्ठ मजबूत कर लेगी। दावेदारों को यह दर्शाना पड़ेगा कि यह तथ्य कपटपूर्वक नहीं छिपाया गया था। आयोग को ज्ञात है कि अमरीका में जहां पालिसी किए जाने के पश्चात बीमाकर्ता को तात्त्विक तथ्य का पता चलता है वहां पालिसी के प्रीमियम आदि की गणना फिर से करके पालिसी का नया रूप दिया जाता है और उसी के अनुसार प्रीमियम की राशि की पुनर्गणना की गई है। इस प्राप्त करावार का निराकरण स्वयं ही नहीं हो सकता। भारत में भी बीमाकर्ता ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा विशेषकर जहां निजी बीमा कंपनियों ने कारबाह को प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। तथापि, यह विषय बीमाकर्ताओं के विचार करने का है।

5.1.32 विधि आयोग का विचार है कि उपर्युक्त जैसे मामलों में मृतक पालिसीधारी के परिवार या दावेदारों का प्रीमियम राशि की भी हानि पहुंचाकर अनावश्यक रूप से अहित नहीं किया जाना चाहिए। जहां उन्हें पालिसी के अधीन राशि प्राप्त नहीं हो सकती वहां पालिसी पर बीमा कंपनी द्वारा एकत्र की गई राशि की हानि उन्हें नहीं होनी चाहिए। यह बात ठीक है कि बीमा कंपनी दावेदारों को लिखित में वे कारण बताने होंगे जिनसे वह अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाए जाने के आधार पर जीवन बीमा पालिसी का निराकरण करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए विधि आयोग सिफारिश करता है कि प्रस्थापना प्रस्तुत करते समय बीमा किए गए व्यक्ति से संबंधित तथ्यों के बारे में अधिकारी की जानकारी बीमाकर्ता की जानकारी समझी जाएगी। विधि आयोग को ज्ञात है कि इससे बीमाकर्ता पर यह सुनिश्चित करने का अतिरिक्त भार पड़ेगा कि उसके अधिकारी अपना कर्तव्य उत्तराधिकारी की भावना से पूरा करें ताकि 'परमविश्वास' के सिद्धान्त को सम्मान दिया जा सके। बीमाकर्ता की अधिकारी के साथ अपनी संविदा की पुनर्गणना करनी होगी और अधिकारी की उपेक्षा के परिणामस्वरूप किए गए दावों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। अधिकारी के लिए इसके और भी गंभीर परिणाम होंगे परन्तु ये विषय बीमाकर्ता के विचार करने के हैं।

5.1.33 विधि आयोग, तदनुसार सिफारिश करता है कि अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य को छिपाए जाने के आधार पर, कपट के आधार पर नहीं, पालिसी के निराकरण के मामले में निराकरण की तारीख तक पालिसी के प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई राशि बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को बापस करनी होगी।

5.1.34 उपर्युक्त सिफारिश के साथ ही आयोग इस बात को दोहराना चाहता है कि जहां बीमा कंपनी निश्चित रूप से यह साबित कर दे कि अशुद्ध कथन कपटपूर्वक किया गया था या तथ्य कपटपूर्वक छिपाए गए थे अर्थात्, जहां दावेदार यह दर्शाने में असफल रहता है कि अशुद्ध कथन या तथ्यों का छिपाया जाना धोखा देने के आशय से नहीं किया गया था वहां बीमा कंपनी दावेदार को प्रीमियम की राशि का भुगतान करने से इंकार कर सकेगी क्योंकि कपट से समस्त संविदा दूषित हो जाती है। दृष्ट्यांत स्वरूप, एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पालिसीधारी से प्रस्थापना की तारीख से एक वर्ष से पूर्व 'बाईपास सर्जरी कराई हो और प्रस्थापना फार्म में इस प्रश्न के उत्तर में "क्या विगत वर्षों में क्या आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है" उसने फार्म के कालम में "नहीं" शब्द लिखा है। ऐसे मामले में दावेदार को यह तर्क देना असंभव होगा कि बीमा किए गए व्यक्ति का आशय बीमाकर्ता को धोखा देना नहीं था। बीमा कंपनी ऐसे मामले में कपट के आधार पर पालिसी का निराकरण करने को न्यायोनित ठहराती है। तथापि, बीमा कंपनी को उन कारणों को प्रकट करना होगा जिनसे वह ऐसे निष्कर्ष पर पहुंची है और वे कारण जीवन बीमा पालिसी, जिसका निराकरण किया जाना है, के अधीन दावेदारों को बताने होंगे।

5.1.35 ऊपर जो दृष्ट्यांत दिए गए हैं वे केवल दो स्थितियों में अंतर करने की दृष्टि से दिए गए हैं अर्थात्, धोखा देने के आशय के बिना अशुद्ध कथन करना और तथ्यों का छिपाया जाना और दूसरे जब धोखा देने के आशय से ऐसा किया गया हो। ऐसी अनेकों परिस्थितियों हो सकती हैं जिनका दृष्ट्यांत देना संभव नहीं है। तथापि, कपट की विद्यमानता सुनिश्चित करने के सिद्धान्त के भली-भाली समझ लिए जाने की आवश्यकता है।

5.1.36 तदनुसार, विधि आयोग सिफारिश करता है कि कोई बीमाकर्ता, पालिसी जारी करने की तारीख या जोखिम आरम्भ होने की तारीख या पालिसी पुनर्जीवित करने की तारीख या पालिसी में किसी गाइडर की तारीख से, जो भी बाद में हो, पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय, कपट के आधार पर पालिसी का निराकरण कर सकता है। जहां निराकरण कपट के आधार पर किया जाता है वहां बीमाकर्ता पालिसी के दावेदारों को प्रीमियम की राशियों का भुगतान करने का दायी नहीं होगा। बीमाकर्ता बीमा किए गए व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को ऐसे निर्णय करने के आधारों और तथ्यों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा। विधि आयोग सिफारिश करता है कि उपर्युक्त परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए विधिक उपबंध में कपट को भी परिभाषित किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 का निर्देश किया जा सकता है।

5.1.37 कुल पांच वर्ष से भी कम अवधि के लिए जीवन बीमा पालिसियां जारी करने की प्रथा भी विद्यमान हो सकती है परन्तु कोई विवरण विधि आयोग के ध्यान में नहीं लाए गए हैं। यह आशा की जाती है कि जहां किसी जीवन बीमा पालिसी की कुल अवधि पांच वर्ष या इससे भी कम है वहां बीमाकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पालिसीधारी के पूर्व कृत्य की पूरी जांच पड़ताल कर ली गई है, दुगनी सावधानी बरतनी होगी।

5.1.38 यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त दृष्टिकोण से पालिसीधारियों तथा बीमाकर्ताओं, दोनों के हितों के बीच पर्याप्त संतुलन हो जाता है। बीमाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका को भी ध्यान में रखा गया है कि वर्तमान उपबंध के किसी प्रकार के तनुकरण से धोखाधड़ी की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए बीमाकर्ता तथा पालिसीधारी दोनों ओर से अधिक तत्परता की आवश्यकता है।

धारा 45 के संबंध में अन्तिम सिफारिशें

5.1.39 धारा 45 के संबंध में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशों को संक्षेप में करना:

- अवधि जिसके पश्चात किसी बीमा पालिसी का किसी भी आधार पर निराकरण नहीं हो सकेगा 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। यह अवधि किसी बीमाकर्ता को बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा पालिसी जारी करने के समय दिए गए विवरण की सत्यता की जांच करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जीवन बीमा पालिसी के प्रभावी होने की तिथि या ऐसी पालिसी में राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, के पश्चात पांच वर्ष की अवधि बीत जाने पर कोई भी बीमाकर्ता किसी भी आधार पर पालिसी के अधीन किसी दावे का निराकरण नहीं कर सकेगा।

- (ii) बीमाकर्ता पालिसी जारी करने की तिथि या जोखिम आरम्भ होने की तिथि या पालिसी पुनर्जीवित करने की तिथि या पालिसी में किसी राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय कपट के आधार पर किसी जीवन बीमा पालिसी का निराकरण कर सकेगा। बीमाकर्ता को बीमा किए गए व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में लिखित में सूचित करेगा जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है। ऐसे मामले में दावेदार पालिसी की राशि या प्रीमियमों के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- (iii) बीमाकर्ता पालिसी या जोखिम आरम्भ होने की तिथि या पालिसी पुनर्जीवित करने की तिथि या पालिसी में किसी राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय इस आधार पर जीवन बीमा पालिसी का निराकरण कर सकेगा कि बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा प्रस्थापना फार्म या किसी अन्य दस्तावेज में अशुद्ध कथन किया था या तात्त्विक तथ्य को छिपाया था जिसके आधार पालिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या उसके लिए कोई राइडर जारी किया गया था। जहां ऐसे निराकरण के परिणामस्वरूप दावेदार के लिए पालिसी की राशि समप्रत हो जाएगी वहां वे पालिसी के लिए प्रीमियमों के रूप में भुगतान की गई राशि समप्रत हो जाएगी। इस प्रकार किसी अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाए जाने के आधार पर किए गए निराकरण के मामले में निराकरण की तिथि तक पालिसी पर प्रीमियमों के रूप में एकत्र की गई राशि बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को लौटानी होगी।
- (iv) अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाया जाना तब तक तात्त्विक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम से सीधा संबंधित नहीं होगा। यह साबित करने का भार बीमाकर्ता पर होगा कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य का पता होता तो बीमा किए गए व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पालिसी नहीं दी जाती।
- (v) जहां बीमा किया गया व्यक्ति साबित कर देता है कि छिपाया गया तात्त्विक तथ्य या किया गया अशुद्ध कथन उसके ज्ञान और विश्वास में संच था और यह कि तथ्य को जानबूझकर छिपाने का कोई आशय नहीं था या यह कि ऐसा अशुद्ध कथन या तथ्य का छिपाया जाना बीमाकर्ता या उसके अभिकर्ता के ज्ञान में था वहां कपट में आधार पर किसी पालिसी का निराकरण करने की अनुमति नहीं होगी।
- (vi) कोई व्यक्ति, जो बीमा संविदा की याचना करता है या उसके लिए बातचीत करता है, संविदा करने के प्रयोजन से बीमाकर्ताओं को अभिकर्ता समझा जाना चाहिए और यह कि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बीमाकर्ताओं का ज्ञान समझा जाना चाहिए।
- (vii) बीमाकर्ता को बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में लिखित सूचना देनी होगी जिनके कारण अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाए जाने के आधार पर पालिसी का निराकरण करने का निर्णय किया गया है।

#### धारा 45 में संशोधन करने के लिए सुझाव

##### 5.1.40 तदनुसार यह सिफारिश की जाती है कि धारा 45 निम्नलिखित रूप में संशोधित हो:

- (1) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर पालिसी की तारीख से अर्थात पालिसी जारी करने या जोखिम आरम्भ होने या पालिसी को पुनर्जीवित करने या पालिसी के राइडर की तारीख से, जो भी बाद में हो, पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।
- (2) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर पालिसी की तारीख या जोखिम आरम्भ होने या पालिसी को पुनर्जीवित करने या पालिसी के राइडर की तारीख से, जो भी बाद में हो, पांच वर्ष के भीतर किसी भी समय कपट के आधार पर आक्षेप किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि बीमाकर्ता बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में लिखित में सूचना करेगा जिनके आधार पर निर्णय आधारित है।

**स्पष्टीकरण-1 :** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कपट से, बीमा किए गए व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या उसे जीवन बीमा पालिसी जारी करने के लिए उत्तरीत करने के आशय से, निम्नलिखित में से किया गया कोई कार्य, अभिप्रेत है:

(क) उस बात का जो सत्य नहीं है और बीमा किया गया व्यक्ति जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है;

(ख) किसी तथ्य का किसी बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा तथ्य की जानकारी और विश्वास होते हुए सक्रिय रूप से छिपाया जाना;

(ग) धोखा देने के लिए उपकल्पित कोई अन्य कार्य; और

(घ) कोई ऐसा कार्य या कार्य का लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेष रूप से घोषित करती है।

**स्पष्टीकरण-11 :** तथ्यों के बारे में कोई मौनता जिससे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम का मूल्यांकन प्रभावित होने की संभावना हो, कपट नहीं है जब तक कि मामले को परिस्थितियां ऐसी नहीं हों कि उनको ध्यान में रखते हुए बोलना/मौन रहने वाले बीमा किए गए व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य हो या जब तक कि उसकी मौनता बोलने के समतुल्य न हो।

(3) यहां उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बीमाकर्ता कपट के आधार पर किसी जीवन बीमा पालिसी का निराकरण नहीं कर सकेगा यदि बीमा किया गया व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य का छिपाया जाना उसके ज्ञान और विश्वास में सत्य था या यह कि तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया गया है या यह कि अशुद्ध कथन या तथ्य का छिपाया जाना बीमाकर्ता या बीमाकर्ता के अभिकर्ता के ज्ञान में था।

**स्पष्टीकरण :** कोई व्यक्ति जो बीमा संविदा की याचना करता है या उसके लिए बातचीत करता है संविदा करने के प्रयोजन से बीमाकर्ता का अभिकर्ता समझा जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बीमाकर्ता का ज्ञान समझा जाना चाहिए।

(4) जीवन बीमा की किसी पालिसी पर, पालिसी जारी करने की तारीख या जोखिम आरम्भ होने या पालिसी पुनर्जीवित करने या पालिसी के राइडर की तारीख से, जो भी बाद में हो, पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय इस आधार पर आक्षेप किया जा सकेगा कि प्रस्थापना फार्म में या किसी अन्य दस्तावेज में किया गया जीवन बीमा किए गए व्यक्ति की जीवन बीमा के लिए तात्त्विक कथन या छिपाया गया तथ्य, जिसके आधार पर पालिसी जारी या पुनर्जीवित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, त्रुटिपूर्ण था।

परन्तु यह कि बीमाकर्ता को उन आधारों और तथ्यों के बारे में जिनके आधार पर जीवन बीमा पालिसी का निराकरण करने का निर्णय किया है, बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को लिखित में सूचित करना होगा।

परन्तु यह कि अशुद्ध कथन करने या तथ्य छिपाए जाने के आधार पर, कपट के आधार पर नहीं, किसी पालिसी के निराकरण के मामले में निराकरण की तारीख तक पालिसी पर प्राप्त प्रीमीयम की राशि का संदाय बीमा किए गए व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को ऐसे निराकरण की तारीख से 90 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण :** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी अशुद्ध कथन या छिपाए गए तथ्य को तब तक तात्त्विक नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम से सीधा संबंध न हो, यह दर्शित करने का दायित्व बीमाकर्ता पर होगा कि यदि बीमाकर्ता को उक्त कथन की जानकारी होती तो बीमा किए गए व्यक्ति की जीवन बीमा किसी भी तारीख से लिखित में सूचित करना होगा।

(5) इस धारा की कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से बाधित नहीं करेगी, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर मात्र इस करण से आक्षेप किया गया नहीं समझा जाएगा कि पालिसी की शर्तों को पश्चातवर्ती सबूत के आधार पर, कि जीवन बीमा किए गए व्यक्ति की आयु बीमा प्रस्थापना में गलत बताई गई थी समायोजित किया गया है।

## अध्याय-छह

### समनुदेशन और अंतरण

#### विद्यमान विधि

6.1.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 में बीमा पालिसियों के समनुदेशन और अंतरण का उपबंध किया गया है। धारा 38 में स्वयं पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी पृथक लिखत द्वारा, जो अंतरण और समनुदेशक द्वारा या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित हो, उसमें समनुदेशन/अंतरण का तथ्य उपवर्णित करके, जीवन बीमा पालिसी के अंतरण या समनुदेशन करने का उपबंध किया गया है। अंतरण/समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में भी किया जा सकता है परन्तु अंतरिती या समनुदेशिती या उसके विधिक प्रतिनिधि को ऐसी पालिसी के द्वारा प्रतिभूत धनराशि के लिए वाद लाने का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि अन्तरक और अन्तरिती दोनों के द्वारा उस अंतरण की लिखित सूचना बीमाकर्ता को न दे दी गई हो। इस धारा की उपधारा (3) के द्वारा एक से अधिक अंतरण/समनुदेशन किए जा सकेंगे। ऐसे मामलों के दावों की प्राथमिकता सूचना दिए जाने की तिथि के क्रम में निश्चित की जाएगी।

6.1.2 यह धारा पूर्ण समनुदेशन और सशर्त समनुदेशन दोनों का निर्देश करती है, पूर्ण समनुदेशन के समनुदेशिती को सभी अधिकार, हक्क और हित जो समनुदेशक को पालिसी में प्राप्त हैं, अंतरित हो जाते हैं और सशर्त समनुदेशन, जैसा कि उपधारा (7) में विचार किया गया है, अंतरिती में तकाल निहित हित का सूजन करता है परन्तु जो समनुदेशन में विनिर्दिष्ट घटनाएं घटित होने पर प्रभावहीन हो जाएगा।

#### परामर्शीपत्र में दिए गए सुझाव

6.1.3 परामर्शीपत्र में यह बताया गया था कि धारा 38 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के कार्यकरण में कतिपय विसंगतियां हैं। एक यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कोई सशर्त अंतरिती बीमा किए गए व्यक्ति की सहमति के बिना पालिसी के अधीन कोई ऋण प्राप्त कर सकेगा या उसका अध्यर्पण कर सकेगा। यह बताया गया था कि यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है तब सशर्त समनुदेशन पूर्ण समनुदेशन हो जाएगा और सशर्त समनुदेशन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। एक दूसरं देते हैं कि कोई पालिसीधारी 'क' विस्तोषक 'ख' से उसके पक्ष में पालिसी का समनुदेशन करके उससे ऋण प्राप्त करता है। समनुदेशन इस शर्त पर किया गया है कि ऋण का भुगतान कर दिए जाने पर 'ख' फिर से पालिसी का 'क' के पक्ष में समनुदेशन कर देगा। 'क' द्वारा 'ख' को ऋण की अदायगी से पूर्व ही 'ख' किसी 'ग' से उसके पक्ष में पालिसी समनुदेशित करके ऋण प्राप्त कर लेता है। 'ख' द्वारा 'ग' के पक्ष में बाद में किया गया समनुदेशन 'क' द्वारा 'ख' के पक्ष में किए गए समनुदेशन को निश्चर्त बना देता है और उस समनुदेशन के साथ जुड़ी शर्त को निरर्थक बना देता है।

6.1.4 जबकि कोई अंतरण लिखत में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यादीन है, धारा 38 की उपधारा (5) में किए गए विशिष्ट उपबंध से निम्नलिखित से कोई एक या दोनों अभिप्रेत होगा; पहला उपधारा (7) के अधीन समनुदेशक पालिसी की रकम का हकदार हो जाएगा यदि समनुदेशन निष्प्रभावी हो जाता है (जैसे कि जब समनुदेशक समनुदेशिती की ऋण राशि का भुगतान कर देने पर हकदार हो जाता है); दूसरा, यह कि यदि समनुदेशन की शर्त में स्पष्टतः या विविक्षण: समनुदेशिती को विशेष अधिकार या लाभ की बात न हो तब तक बीमाकर्ता समनुदेशिती को पालिसी के लाभ का एक मात्र अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा और बीमा किए गए व्यक्ति को ही हकदार समझेगा। उदाहरण के लिए, यदि बीमा किया गया व्यक्ति परिपक्वता पर पालिसी की रकम स्वयं प्राप्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है, तब समनुदेशिती अध्यर्पण के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगा। तीसरे, उपधारा (7) किसी व्यक्ति के पक्ष में इस शर्त के अधीन समनुदेशन को वैध मानती है कि "उस व्यक्ति के जीवन काल के दौरान, जिसके जीवन का बीमा किया गया है, विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रान्त हो जाएगा। दूसरं के लिए, 'ख' द्वारा 'क' को कोई धनराशि ऋण स्वरूप दिए जाने के प्रतिफल स्वरूप, 'क' अपनी जीवन बीमा पालिसी 'ख' के पक्ष में समनुदेशित करता है। समनुदेशन में एक यह शर्त विनिर्दिष्ट की गई है कि 'क' की मृत्यु हो जाने पर पालिसी के अधीन देव राशि 'क' की पत्ती तथा बच्चों को

जाएगी। ऐसा समनुदेशन उपधारा (7) के अधीन विधिमान्य है। इसी प्रकार, 'क' द्वारा अपने उत्तरजीवियों या कितने ही अन्य व्यक्तियों के पक्ष में समनुदेशन भी विधिमान्य है। अब प्रश्न यह उठाता है कि ऐसी परिस्थितियों में 'ख' की क्या स्थिति होगी। मान लीजिए 'ख' की मृत्यु 'क' से पूर्व हो जाती है, तब क्या 'ख' के उत्तरजीवी यह दावा कर सकेंगे कि वे समनुदेशी हों। यह धारा इस विषय में स्पष्ट नहीं है।

6.1.5 परामर्शीपत्र में बताया गया है कि एक और कठिनाई यह है कि यदि कोई समनुदेशन सम्यक् रूप से निष्पादित होता है और उपधारा (2) के अधीन बीमाकर्ता को उसकी सूचना नहीं दी जाती है तो समनुदेशन विधिमान्य तो नहीं है परन्तु समनुदेशिती को बीमाकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। तदनुसार, यह सुझाव दिया गया था कि उपधारा (5) और (7) के उपबंधों पर पुनर्विचार और पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके। तथापि, एक यह सुझाव दिया गया है कि उपधारा (7) निकाल दी जानी चाहिए। तथापि, इससे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 लागू हो जाएगी जब तक इसका लागू होना अपवर्जित करने के लिए एक परन्तुक न जोड़ा जाए। इस समय धारा 130 की उपधारा (2) में यह उपवर्णित किया गया है कि अन्योन्य दावे का अंतरिती अंतरक को सम्पत्ति अभिप्राप्त किए बिना स्वयं अपने नाम से वाद ला सकेगा परन्तु इस आशय का एक अपवाद भी उपबंधित किया गया है कि इस धारा की कोई भी बात बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 130 के अधीन दिए गए दृष्ट्यांत का पाठ निम्नलिखित है:-

'क' एक बीमा कंपनी से अपने जीवन के लिए पालिसी लेता है और उस पालिसी को वर्तमान या भावी ऋण का संदाय करने के लिए किसी बैंक को समनुदिष्ट करता है। यदि 'क' की मृत्यु हो जाती है तो बैंक धारा 130 की उपधारा (1) के परन्तुक तथा धारा 132 के उपबंधों के अधीन 'क' के निष्पादन को सहमति के बिना पालिसी की रकम पाने और उसके आधार पर वाद लाने का हकदार है।'

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 132 में उपबंधित है कि "अन्योन्य दावे का अंतरिती ऐसे दावे को उन सभी दायित्वों और साम्पाद्यों के अध्यधीन लेगा जिनके अधीन अंतरक अंतरण की तारीख को उस दावे के बारे में था।" दूसरे शब्दों में, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 130 और धारा 132 में किसी बात के होते हुए भी, बीमा कंपनी के विरुद्ध जीवन बीमा पालिसी का समनुदेशन तब तक कि प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 38 में उपबंधित के अनुसार उसे समनुदेशन की सूचना प्राप्त नहीं हुई हो। यदि अधिनियम की धारा 38 (7) को निकाला जाए जैसाकि सुझाव दिया गया है, तब संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 के लागू होने को भी अपवर्जित करना होगा।

6.1.6 अधिनियम में जहां बीमा राशि ऋण राशि से अधिक है, शब्दों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु समनुदेशन के मामले में विशेषरूप से अपेक्षित आंशिक समनुदेशन का कोई उपबंध नहीं किया गया है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि इस आशय के एक राइडर के साथ कि दावे के समय बहुत से समनुदेशितों के हितों के द्वन्द्व से बचने के लिए मूल समनुदेशक को अपने अंवशिष्ट अधिकारों को किसी तीसरे पक्षकार को समनुदेशित करने की अनुज्ञा नहीं होगी, पालिसियों के आंशिक समनुदेशन का उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा जोड़ी जानी चाहिए।

6.1.7 परामर्शीपत्र में यह बात नोट की गई है कि इस धारा के उपबंध के बाल जीवन बीमा पालिसियों के लिए लागू होते हैं। तदनुसार, यह सुझाव दिया गया था कि इन उपबंधों को सभी वैयक्तिक स्वरूप के गैर-जीवन बीमा कारबार के लिए भी लागू किया जा सकता है।

6.1.8 अन्त में, समनुदेशन अंतरण की सूचना प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के लिए फीस लेने के संबंध में एक सुझाव दिया गया था। क्योंकि धारा 38 (4) में दर्शायी गयी एक रूपया फीस पूर्ण रूप से अपर्याप्त है, यह सुझाव दिया गया है कि "एक रूपया" शब्दों के स्थान पर "विनियमों में प्राधिकरण द्वारा विहित राशि से अनधिक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

#### परामर्शीपत्र के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया

6.1.9 परामर्शीपत्र में अन्तविष्ट सुझावों पर अधिकांशतः सक्रियात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की प्रतिक्रिया यह है कि धारा 38 की उपधारा (7) यथावत रखी जाए। जीवन बीमा निगम तथा अबीवा लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है।

6.1.10 ओम कोटक महेन्द्रा लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने सिफारिश की है कि पूर्ण तथा सशर्त समनुदेशन के बीच स्पष्ट अन्तर किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पूर्ण समनुदेशिती को पालिसीधारी समझा जाए और पालिसी के बारे में कोई कार्यवाही करने के लिए, मूल पालिसीधारी की स्वीकृति की अपेक्षा के बिना ही ऋण प्राप्त करने सहित किसी भी रूप में कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत, सशर्त समनुदेशिती को मूल पालिसीधारी की स्वीकृति के बिना पालिसी के बारे में कोई भी कार्यवाही करने से वर्जित किया जाना चाहिए। जहां तक बीमाकर्ता को समनुदेशन की सूचना न दिए जाने का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामले में बीमाकर्ता को इस आधार पर कार्यवाही करने की अनुज्ञा होनी चाहिए कि कोई समनुदेशन नहीं किया गया है।

6.1.11 मदुरै के एडवोकेट एम्केपी कन्नन ने सुझाव दिया है कि किसी बीमा पालिसी के आंशिक समनुदेशन की इस शर्त पर अनुज्ञा होनी चाहिए कि बीमा किया गया व्यक्ति पालिसी में अपने अवशिष्ट अधिकारों का आगे और समनुदेशन नहीं करेगा।

6.1.12 नेशनल इन्स्योरेंस अकादमी, पुणे ने कहा है कि 'अंतरण' और 'समनुदेशन' दोनों शब्दों के बीच कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता है इसलिए 'अंतरण' शब्द निकाल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 'समनुदेशन' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि उससे पालिसी के अध्यधीन अधिकार, हित और हक का अंतरण अभिग्रह हो। उसने परामर्शीपत्र के इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की है कि इस धारा के उपबंध सभी वैयक्तिक स्वरूप के गैर जीवन बीमा कारबार के लिए लागू होने चाहिए।

6.1.13 एचडीएफसी स्टैन्डर्ड लाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने कहा है कि यह बात स्पष्ट करने के लिए कि सशर्त समनुदेशिती की विधिक स्थिति पूर्ण समनुदेशिती के समान नहीं है, धारा 38(7) में संशोधन करने की आवश्यकता है। धारा 38(7) में वर्तमान उपबंध में दो घटनाओं की परिकल्पना की गई है: (1) समनुदेशिती की बीमा किए गए व्यक्ति से पूर्व मृत्यु हो जाना, (2) जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उसका पालिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहना। दृष्टिकोण के लिए, पालिसीधारी 'क' एक जीवन बीमा पालिसी को (20 वर्ष की अवधि के लिए) 'ख' के पक्ष में समनुदिष्ट करता है। शर्त यह है कि यदि 'ख' की मृत्यु 'क' से पूर्व हो जाती है तो पालिसी के अधीन लाभ 'क' को ही चला जाएगा। यह सुझाव दिया गया है कि धारा 38(7) का पुनर्प्रेरण करते समय इस स्थिति को स्पष्ट दिया जाना चाहिए। जहां तक आंशिक समनुदेशन का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है कि परामर्शीपत्र में प्रस्तावित परिवर्तन तनिक भी आवश्यक नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में मूल समनुदेशक को (बीमा किए गए व्यक्ति) अपने अवशिष्ट अधिकारों को आगे और समनुदिष्ट करने की अनुज्ञा देने का कोई आशय ही नहीं है।

6.1.14 आयोग के विचार-विमर्श के दौरान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पालिसीयों के समनुदेशन और अंतरण के बारे में उपबंध के वास्तविक कार्यकरण के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय अवांछनीय व्यक्ति जालसाजी कर सकते हैं जहां वे कागजात जीवन बीमा पालिसीयों को किसी मूल्य पर खरीद कर पालिसी के परिपक्व होने पर उसकी रकम प्राप्त करने की प्रत्याशा में पालिसी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तथापि, यह आशंका है कि क्योंकि पालिसीधारी की मृत्यु हो जाने पर पालिसी की राशि देय हो जाती है, पालिसीयों के ऐसे खरीदार राशि देय होना सुनिश्चित करने के लिए किसी सीमा तक भी जा सकेंगे। इस सुविधा के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ सुरक्षोपाय करने होंगे।

विधि आयोग के विचार

6.1.15 मामले पर तथा प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के पश्चात् विधि आयोग ने यह मत बनाया है कि धारा 38 की उपधारा (7) अधिक स्पष्टीकरण के प्रयोजनों से कतिपय संशोधनों के साथ यथावत रखी जाए।

6.1.16 आयोग इस सुझाव को भी स्वीकार करता है कि पूर्ण समनुदेशन तथा सशर्त समनुदेशन के बीच अन्तर किया जाना चाहिए क्योंकि समनुदेशन और अंतरण की योजना को कार्यान्वित करते समय इससे कुछ भ्रम पैदा होता है। उन अनिश्चित परिस्थितियों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है जिनके अधीन किसी समनुदेशन या अंतरण को सशर्त समझा जाए। दोनों शब्दों, अर्थात्, समनुदेशन और अंतरण, को रखने और इन्हें वैकल्पिक रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है ताकि इन उपबंधों का कार्यकरण और उदार हो सके।

यह प्रस्ताव भी किया है कि अवशिष्ट अधिकारों का आगे और समनुदेशन निर्बन्धित करने के लिए सर्वांगीन आंशिक समनुदेशन हेतु एक उपबंध जोड़ा जाए। यह कार्य एक आवश्यक स्पष्टीकरण द्वारा किया जा सकेगा। इसके साथ ही सभी वैयक्तिक स्वरूप के गैर जीवन बीमा कारबारों के लिए इस उपबंध को लागू करने के उद्देश्य से उपबंध में समुचित संशोधन किया जाए।

6.1.17 समनुदेशन और अंतरण की सुविधा के दुरुपयोग के संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्त की गई आशंका में भी आयोग को पर्याप्त सार दृष्टिगत होता है और इसलिए समनुदेशन के कारण, समनुदेशिती का विवरण, निश्चित शर्त जिन पर समनुदेशन किया जा रहा है, इन सभी का प्रकट किया जाना, और बीमा किए गए व्यक्ति की लागत पर समनुदेशिती के प्रत्यय पत्रों की जांच करना बीमाकर्ता का दायित्व होगा, जैसे सुरक्षोपाय करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि बीमाकर्ता समनुदेशन के सद्भावपूर्ण होने से संतुष्ट नहीं है तो समनुदेशन या अंतरण रजिस्टर करने से इंकार किया जा सकेगा और इसके कारणों के बारे में पालिसीधारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा और उस निर्णय के विरुद्ध शिकायत समाधान प्राधिकरण में याचिका दायर की जा सकेगी। यदि दावे के प्रयोज्यों से कौन सा समनुदेशन पहला है इस बारे में समनुदेशितीयों के बीच कोई विवाद है तो विवाद के समाधान के लिए न्यायनिर्णय शिकायत समाधान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

धारा 38 के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें:

6.1.18 धारा 38 के बारे में आयोग की सिफारिशें संक्षेप में निम्नलिखित हैं:-

- धारा 38 की उपधारा (7) अधिक स्पष्टता की दृष्टि से कतिपय उपांतरणों के साथ रहने दी जाए।
- उन अनिश्चित परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनके अधीन कोई समनुदेशन या अंतरण सर्वांगीन आशंका हो। उपबंध में यह दर्शित करने के लिए संशोधन किया जाए कि जहां समनुदेशन या अंतरण का पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि समनुदेशन या अंतरण धारा 38 (7) के उपबंधों के अनुसार सर्वांगीन है, उसके सिवाय प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण पूर्ण समनुदेशन या अंतरण समझा जाएगा और यथास्थिति, समनुदेशित या अंतरिती को क्रमशः पूर्ण समनुदेशित या अंतरित समझा जाएगा।
- धारा 38 में दोनों शब्दों अर्थात्, समनुदेशन और अंतरण, का प्रयोग इन उपबंधों के कार्यकरण को और उदार बनाने की दृष्टि से अनुकूलीन रूप में किया जाएगा।
- यह दर्शाने के लिए एक पृथक उपधारा जोड़ी जाए कि किसी बीमा पालिसी के आंशिक समनुदेशन और अंतरण के मामले में बीमाकर्ता का दायित्व आंशिक समनुदेशन और अंतरण द्वारा प्रतिभूत राशि तक ही सीमित रहेगा और ऐसे पालिसीधारी को उसी पालिसी के अधीन अवशिष्ट देय राशि का आगे समनुदेशन और अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा।
- उपबंध में, इसे समस्त वैयक्तिक स्वरूप के गैर जीवन बीमा कारबारों के लिए लागू करने हेतु, समुचित संशोधन किया जाए।
- कतिपय सुरक्षोपाय करने के लिए उपबंध में संशोधन किया जाए। पालिसीधारी को समनुदेशन के कारण, समनुदेशिती का विवरण तथा वे निश्चित शर्तें बतानी होंगी जिन पर समनुदेशन जा रहा है। बीमाकर्ता का दायित्व होगा कि वह बीमा किए गए व्यक्ति की लागत पर समनुदेशिती के प्रत्ययपत्रों की जांच कराए। यदि बीमाकर्ता समनुदेशन के सद्भावपूर्ण होने से संतुष्ट नहीं है तो समनुदेशन या अंतरण को रजिस्टर करने से इंकार किया जा सकेगा और उसके कारणों के बारे में पालिसीधारी को लिखित रूप में सूचना देनी होगी और इस निर्णय के विरुद्ध शिकायत समाधान प्राधिकरण में याचिका दायर की जा सकेगी।

### धारा 38 में संशोधन का सुझाव

6.1.19 तदनुसार विधि आयोग धारा 38 को निम्नलिखित रूप में पुनर्प्रूपित करने की सिफारिश करता है:-

(1) जीवन बीमा पालिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्ण या आंशिक भले ही वह प्रतिफल सहित हो या प्रतिफल रहित हो, केवल स्वयं पालिसी पर ऐसे पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी पृथक लिखित द्वारा जो दोनों ही दशाओं में अंतरक द्वारा या समनुदेशक द्वारा या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्राप्ति हो, अंतरण या समनुदेशन के तथ्य और उसके कारण, समनुदेशिती का पूर्ववृत्त तथा उन निश्चित शर्तों की, जिन पर समनुदेश किया गया है, विनिर्दिष्ट: उसमें उपवर्णित करके किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि बीमाकर्ता ऐसे पृष्ठांकन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा यदि ऐसा विश्वास करने के पर्याप्त कारण उसके पास है कि ऐसा अंतरण या समनुदेशन सद्भावपूर्ण नहीं है या पालिसीधारी के हित में या लोक हित में नहीं है।

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता पृष्ठांकन पर कार्यवाही न करने के ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा और पालिसीधारी द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन की सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिन से पहले उसकी सूचना पालिसीधारी को देगा।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अंतरण या समनुदेशन पर कार्यवाही करने से बीमाकर्ता के इंकार करने के निर्णय से आहत कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से इंकार के ऐसे कारण दर्शाने वाली सूचना प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अनधिक अवधि के भीतर धारा के अधीन गठित शिकायत समाधान प्राधिकरण में दावा दायर कर सकेगा।

(2) अंतरण या समनुदेशन ऐसे पृष्ठांकन या लिखित के, जो सम्यक् रूप से अनुप्राप्ति है, निष्पादन पर पूर्ण और प्रभावी हो जाएगा, किन्तु जहां वह अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है वहां के सिवाय वह बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं होगा और अंतरिती या समनुदेशिती या उसके विधिक प्रतिनिधि को ऐसी पालिसी की रकम के लिए या उसके द्वारा प्रतिभूत धनराशि के लिए वाद लाने का कोई अधिकार तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उस अंतरण या समनुदेशन की लिखित सूचना और स्वयं पृष्ठांकन या लिखित अथवा उसकी एक प्रति, जिसका अंतरक और अंतरिती दोनों ने या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता ने शुद्ध प्रति होना प्रमाप्ति कर दिया हो, बीमाकर्ता को न दे दी गई हो।

परन्तु यदि भारत में बीमाकर्ता के एक या अधिक कारबार स्थान हैं तो ऐसी सूचना भारत में उस स्थान पर जो पालिसी में इस प्रयोजन के लिए उल्लिखित है या भारत में उसके कारबार के मुख्य स्थान पर ही परिदृष्टि की जाएगी।

(3) जिस तारीख को उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना बीमाकर्ता को परिदृष्टि की गई हो वह तारीख उन व्यक्तियों के बीच, जो पालिसी से हितबद्ध हैं, उन सभी दावों की अग्रता विनियमित करेगी जो अंतरण या समनुदेशन के अधीन हो, और जहां अंतरण या समनुदेशन की एक से अधिक लिखित हों, वहां ऐसी लिखितों के अधीन दावों की अग्रता उस कम से होगी जिसमें उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचनाएं परिदृष्टि की गई हों।

परन्तु यह कि यदि समनुदेशितीयों के बीच भुगतान की अग्रता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तब विवाद शिकायत समाधान प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया जाएगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्ति पर, बीमाकर्ता ऐसे अंतरण या समनुदेशन को तथ्य, तारीख सहित तथा अंतरिती या समनुदेशिती के नाम सहित अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति के जिसने सूचना दी हो या अंतरिती या समनुदेशिती के अनुरोध पर ऐसी सूचना की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति ऐसी फीस, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, का संदाय करने पर तथा ऐसी अभिस्वीकृति बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उसे वह सूचना, जिससे ऐसी अभिस्वीकृति संबंधित है, सम्यक् रूप से प्राप्त हो गई है।

(5) अंतरण या समनुदेशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बीमाकर्ता उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से उस अंतरिती या समनुदेशिती को जिसका नाम सूचना में दिया गया है, ऐसा पूर्ण अंतरिती या समनुदेशिती मानेगा जो पालिसी के अधीन फायदे का हकदार है तथा ऐसा व्यक्ति उन सब दायित्वों और सम्माओं के अधीन होगा जिनके अधीन वह अंतरक या समनुदेशक उस अंतरण या समनुदेशन की तारीख पर था, तथा

अंतरक या समनुदेशक की सम्पत्ति प्राप्त किए बिना या उसे ऐसी कार्यवाहियों का पक्षकार बनाए बिना उस पालिसी के संबंध में कोई भी कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा, पालिसी के अधीन ऋण अभिप्राप्त कर सकेगा या पालिसी का अभ्यर्पण कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण:** जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि समनुदेशन या अंतरण उपधारा (7) की शर्तों के अनुसार सर्वानुसार है उसके सिवाय, यथास्थिति, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा और समनुदेशिती या अंतरिती को, जैसा भी हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशिती या अंतरिती माना जाएगा।

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए समनुदेशन या अंतरण के अधीन जीवन बीमा पालिसी के समनुदेशिती या अंतरिती के अधिकारों और उपचारों पर इस धारा के उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) किसी विधि या विधि का बल रखने वाली किसी रूपद्वारा इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति के पक्ष में इस शर्त के साथ किया गया समनुदेशन कि

(क) बीमा किए गए व्यक्ति से पूर्व समनुदेशिती/अंतरिती की मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी के अधीन आगामी पालिसीधारी को संदेय होगी; या

(ख) बीमा किया गया व्यक्ति पालिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहता है विधिमात्र होगा।

परन्तु यह कि सशर्त समनुदेशिती पालिसी पर ऋण अभिप्राप्त करने का या पालिसी का अभ्यर्पण करने का अधिकार नहीं होगा।

(8) उपधारा (1) के अधीन किसी पालिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण के मामले में बीमाकर्ता का दायित्व आंशिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा प्रतिभूत राशि तक ही सीमित होगा और ऐसे पालिसीधारी को उसी पालिसी के अधीन अवशिष्ट संदेय राशि का आगे और समनुदेशन या अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा।

## अध्याय-सात

### नामनिर्देशन

7.1.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 में यह उपबंध किया गया है कि बीमा पालिसी का धारक उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे या जिन्हें वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, पालिसीधारी की मृत्यु की दशा में दी जाएगी। धारा 39(4) के उपबंधों के अनुसार अधिनियमकारी धारा 38 के अनुसार किया गया पालिसी का अंतरण या समनुदेशन स्वतः नामनिर्देशन को रद्द कर देगा। धारा 39(4) के परन्तुक के अनुसार जहां समनुदेशन पालिसीधारक को बीमाकर्ता द्वारा दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप स्वयं बीमाकर्ता के पक्ष में किया गया है वहां नामनिर्देशन रद्द नहीं होगा अपितु उससे नामनिर्देशिती के अधिकारों पर केवल उस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा जहां उस पालिसी में बीमाकर्ता का हित है। जहां ऋण चुका दिया जाता है और पालिसीधारक को पुनःसमनुदिष्ट कर दी जाती है वहां नामनिर्देशन विधिमान्य रहेगा। दृष्टांत के लिए, मान लीजिए पालिसीधारी 'क' उसकी जीवन बीमा पालिसी परिपक्व होने की दशा में 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। 'क' बीमा कम्पनी से 50,000 रुपए की राशि का ऋण लेता है। ऋण की राशि चुकाए बिना यदि 'क' की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कम्पनी उतनी ही राशि ले सकेगी जो उसके लिए संदेय होगी और 'क' के नामनिर्देशिती पालिसी के अधीन संदेय शेष राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। परामर्शीपत्र में कहा गया है कि यह उपबंध उस दशा में अस्पष्ट है जहां नामनिर्देशिती में, नामनिर्देशिती द्वारा दिए गए ऋण का पहले ही भुगतान कर दिए जाने पर पालिसीधारक द्वारा किया गया नामनिर्देशन स्वतः ही प्रवर्तित हो जाएगा।

7.1.2 एक अन्य क्षेत्र, जहां स्पष्टीकरण आवश्यक है वह है लाभार्थी नामनिर्देशिती और संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती के बीच का अन्तर स्पष्ट करना। धारा 38(6) के अधीन जहां नामनिर्देशिती बीमा किए गए व्यक्ति का उत्तरजीवी रहा है तब पालिसी की राशि उत्तरजीवी नामनिर्देशिती को संदेय होगी। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या नामनिर्देशिती को यह संदाय मृतक के विधिक प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों तथा लेनदारों का अपवर्जन करके किया जाएगा जिनका मृतक की संपदा में, जीवन बीमा पालिसी परिपक्वता पर संदेय राशि भी जिसका एक भाग है, विधिक दावा बनता है।

#### विधि आयोग की पूर्ववर्ती सिफारिश

7.1.3 विधि आयोग ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन नामनिर्देशन पर प्रभाव के बारे में अपनी 82वीं रिपोर्ट में की कई सिफारिशों का परामर्शीपत्र में विस्तार से निर्देश किया है। उक्त रिपोर्ट में विधि आयोग ने नोट किया था कि कोई पालिसीधारी नामनिर्देशिती को उससे अधिक अधिकार नहीं दे सकता जो उसे स्वयं को प्राप्त है। आयोग ने धारा 39 में इस आशय के कठिनपय उपबंध जोड़े जाने की सिफारिश की थी कि जहां स्वयं के जीवन की पालिसी पर कोई जीवन बीमा पालिसी धारक अपने माता-पिता या अपनी पत्नी या अपने बच्चों, अपनी पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी को भी उपधारा (6) के अधीन नामनिर्देशित करता है तो नामनिर्देशिती, बीमाकर्ता द्वारा उसे या उन्हें संदेय राशि के लाभ के हकदार होंगे जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि पालिसीधारक ने, पालिसी में अपने हक के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, नामनिर्देशित को ऐसे किसी लाभ का हक नहीं दिया था। “एक अन्य सिफारिश यह की गई थी कि जहां नामनिर्देशिती पालिसीधारक का उत्तरजीवी रहता है परन्तु धनराशि के भुगतान किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है वहां ऐसी राशि नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितीयों के उत्तराधिकारियों या विधिक प्रतिनिधियों को या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र रखने वाले को, यथार्थतः, संदेय होगी और वे ऐसी राशि का लाभ पाने के हकदार होंगे”।

7.1.4 सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश पर कोई कार्यावाही नहीं की। इस बीच, 1984 में, उच्चतम न्यायालय ने सरबती बनाम ऊषा दर्वीश: एआईआर 1984 एस सी 346 मामले में यह अधिनिर्धारित किया कि धारा 39 के उपबंध विधि के अधीन उत्तराधिकार की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया कि धारा 39 के अधीन मात्र नामनिर्देशन का आशय बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु पर नामनिर्देशिती को पालिसी के अधीन संदेय राशि में कोई लाभात्मक हित प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की कि नामनिर्देशिती

पालिसीधारी के जीवनकाल में पालिसी में कोई हित अर्जित नहीं करता है। इसलिए, पालिसीधारी की मृत्यु के पश्चात् पालिसी के अधीन राशि विधिक उत्तराधिकारियों को संदेय हो जाती है, नामनिर्देशिती भुगतान का संग्रह करने के लिए मात्र प्राधिकृत व्यक्ति है ताकि बीमाकर्ता पालिसी के अधीन अपने दायित्व से विधिक रूप से मुक्त हो जाए।

7.1.5 सरबती के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग भविष्य निधि के संबंध में नामनिर्देशन के मामले में अपने दृष्टिकोण को उपांतरित करने के लिए प्रेरित हुआ। लाभार्थियों के भविष्य निधि के दावों के परिनिर्धारण में असाधारण विलम्ब की कठिनाइयों को दूर करने के साथ-साथ विधायी प्रशासनिक उपाय करने तथा अम्बड़स्मैन कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में अपनी 137वीं रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि इस आशय का एक विधिक उपबंध किया जाना चाहिए कि संदेय राशि उस नामनिर्देशिती में निहित होगी जिसे 'हिताधिकारी नामनिर्देशिती' कहा जाएगा जब तक कि पालिसीधारी मृतक पालिसीधारी के विधिक प्रतिनिधि की ओर से राशि संग्रह करने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति को 'संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती' के रूप में नामनिर्देशित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, पालिसीधारी के लिए स्पष्ट रूप से यह बताने का विकल्प उपलब्ध होगा कि संबंधित नामनिर्देशिती हिताधिकारी नामनिर्देशिती है अथवा संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती।

7.1.6 परामर्शीपत्र में 137वीं रिपोर्ट की इस सिफारिश की पुनरावृत्ति की गई थी। एक अन्य विकल्प यह था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन नामनिर्देशिती के स्तर के समान स्तर पर लाने के लिए नामनिर्देशिती को पालिसी राशि का पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया जाए। परामर्शीपत्र में आगे यह सुझाव दिया गया था कि इस आशय का एक परन्तुक जोड़ा जाए कि जहां किसी पालिसीधारी की मृत्यु पालिसी परिपक्व होने के पश्चात् तथा पालिसी के अधीन आगमों की उसे संदाय किए जाने से पूर्व हो जाती है वहां पालिसी परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए किया गया नामनिर्देशन प्रभावी बना रहेगा।

#### परामर्शीपत्र पर प्रतिक्रिया

7.1.7 जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग संघ का संबंध है, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि “धारा 39 के प्रस्तावित संशोधन में पालिसी के समनुदिष्ट न किए गए भाग के लिए नामनिर्देशन का उपबंध रखा जाना चाहिए”। बिडला सनलाइफ इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने कहा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन किए गए उपबंध के समान स्थिति बनाने के लिए धारा 39 में संशोधन करना वांछनीय होगा ताकि बीमाकर्ता पालिसीधारक के विधिक उत्तराधिकारियों के बीच मुकदमे में फंसे बिना पालिसी राशि का नामनिर्देशिती को संदाय करके अपने दायित्व से मुक्त हो सके। तथापि, उन्होंने बताया है कि धारा 39 के अधीन नामनिर्देशन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन नामनिर्देशन की बीच अंतर है क्योंकि जीवन बीमा संविदा के अधीन अधिकार ऋण का अधिकार है, जो अधिकांशतः अनुयोज्य दावे के स्वरूप का है। इस प्रकार, नामनिर्देशिती का अधिकार उन सभी दायित्वों और साम्याओं के अध्यधीन है जिनके अध्यधीन पालिसीधारी था, पालिसी राशि प्राप्त करने का है।

7.1.8 पंजाब राज्य विधि आयोग ने धारा 39 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 समतुल्य बनाने का समर्थन किया है।

7.1.9 ओम कोटक ने कहा है कि 'पूर्ण समनुदेशिती' की अवधारणा को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि एक बार नामनिर्देशिती को राशि का संदाय कर दिए जाने पर बीमाकर्ता को पूर्ण उम्मुक्ति मिल जानी चाहिए। राष्ट्रीय बीमा एकादमी ने सुझाव दिया है कि इस संबंध में विधि स्पष्ट बनाइ जानी चाहिए कि नामनिर्देशिती को धनराशि में स्वामित्व का अधिकार नहीं है। एच डी एफ सी ने भी इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की है।

7.1.10 पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती और हिताधिकार नामनिर्देशिती के बीच अंतर करने के लिए उपबंध में संशोधन किया जाना चाहिए।

7.1.11 भारतीय जीवन बीमा निगम ने सिफारिश की है कि धारा 30 जैसी है यथावत् रखी जानी चाहिए। जनरल इन्स्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसेसिएशन ने परामर्शीपत्र में दिए गए विधि आयोग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

### विधि आयोग के विचार

7.1.12 हिताधिकार नामनिर्देशिती और संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती के बीच स्पष्ट अन्तर करने की आवश्यकता के बारे में लगभग सर्वसम्मति प्रतीत होती है। कतिपय बीमाकर्ताओं के इस सुझाव से सहमत होना संभव नहीं है कि सभी मामलों में नामनिर्देशिती को संदाय करके बीमा वर्ग अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे और यह कि जब तक इसका विरोध न किया जाए तब तक नामनिर्देशिती हिताधिकार नामनिर्देशिती होती है। यद्यपि यह सच है कि अमरीका, कनाडा और साऊथ अफ्रीका में ऐसी विधि है परन्तु हमारे देश के सामाजिक यथार्थ को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जहां एकमात्र रोटी-रोजी कमाने वाले की मृत्यु हो जाने पर पूरा परिवार तुरन्त कठिनाइयों से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे मामलों में विधिक प्रतिनिधियों को पालिसी राशि का संदाय करने से इस आधार पर वंचित रखना कि नामनिर्देशिती कोई अन्य व्यक्ति है, कठोर है। दूसरी ओर, पालिसीधारी को स्पष्ट रूप से यह बताने का विकल्प प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है कि क्या नामनिर्देशिती विधिक प्रतिनिधियों की ओर से धनराशि प्राप्त करेगा (दूसरे शब्दों में, ऐसा नामनिर्देशिती संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती होगा) या क्या नामनिर्देशिती धनराशियों का पूर्ण स्वामी होगा, जिस मामले में नामनिर्देशिती हिताधिकारी नामनिर्देशिती होगा। लोकहित तथा भारत की विशिष्ट सामाजिक वास्तविकताएं कनाडा, अमरीका तथा दक्षिण अफ्रीका में अपनायी जा रही प्रक्रियाओं को अपनाने की अनुज्ञा नहीं देती हैं। आयोग इस सुझाव से भी सहमत नहीं है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49यक जैसा उपबंध किया जाए।

7.1.13 पालिसीधारी की पालिसी परिपक्व हो जाने के पश्चात् परन्तु पालिसी राशि का संदाय प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी की रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन प्रभावी बनाने हेतु एक परन्तुक जोड़े जाने के सुझाव का प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं में स्वागत किया गया है और इसलिए एतद्वारा इसकी सिफारिश की जाती है।

### धारा 39 के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिश

7.1.14 सभी प्रतिक्रियाओं पर विचार करने और समस्त मामले का अध्ययन करने के पश्चात् धारा 39 के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है:

- (क) हिताधिकार नामनिर्देशिती और हिताधिकार संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती के बीच स्वयं उपबंध में स्पष्ट अन्तर किया जाना चाहिए।
- (ख) कतिपय बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए इस सुझाव से सहमत होना संभव नहीं है कि सभी मामलों में नामनिर्देशिती को संदाय करने पर पालिसी के अधीन बीमाकर्ता के दायित्वों का पूर्ण निर्वहन समझा जाएगा और यह कि जब तक इसके विपरीत आपत्ति नहीं की जाती, नामनिर्देशिती हिताधिकारी नामनिर्देशिती होगा।
- (ग) पालिसीधारी को स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्या नामनिर्देशिती विधिक प्रतिनिधियों की ओर से धनराशि प्राप्त करेगा (दूसरे शब्दों में, ऐसा नामनिर्देशिती संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती होगा) या क्या नामनिर्देशिती धनराशि का पूर्ण स्वामी होगा और इस प्रकार ऐसा नामनिर्देशिती हिताधिकारी नामनिर्देशिती होगा।
- (घ) पालिसीधारी की पालिसी परिपक्व हो जाने के पश्चात् परन्तु पालिसी राशि का संदाय प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी की रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन प्रभावी बनाने हेतु एक परन्तुक जोड़े जाना चाहिए।

### धारा 39 में संशोधन का सुझाव

7.1.15 उपर्युक्त सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए, विधि आयोग का विचार है कि धारा 39 निम्नलिखित रूप में पुनर्रूपित की जाए:

- (1) जीवन बीमा पालिसी का धारक पालिसी करते समय या संदाय के लिए पालिसी के परिपक्व होने से पूर्व किसी भी समय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को नामनिर्देश कर सकेगा जिसे या जिन्हें वह राशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, उसकी मृत्यु की दशा में दी जाएगी।

परन्तु यदि कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है तो पालिसीधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह विहित रीति में किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से नियुक्त कर दे कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान पालिसीधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्त करेगा।

(2) इस दृष्टि से कि ऐसा नामनिर्देशन प्रभावी हो सके, तब के सिवाय, जबकि वह स्वयं पालिसी के पाठ में समाविष्ट हो, वह पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया जाएगा, जिसकी संसूचना बीमाकर्ता को दे दी गई हो और जिसे उसने पालिसी संबंधी अभिलेखों में दर्ज कर लिया हो तथा ऐसा नामनिर्देशन संदाय के लिए पालिसी के परिपक्व होने से पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, पृष्ठांकन द्वारा या ऊपर पृष्ठांकन द्वारा या विल द्वारा रह या परिवर्तित किया जा सकेगा किन्तु जब तक ऐसे रहकरण या परिवर्तन की लिखित सूचना बीमाकर्ता को नहीं दे दी जाती, बीमाकर्ता पालिसी के पाठ में उल्लिखित या बीमाकर्ता के अभिलेखों में दर्ज नामनिर्देशिती को पालिसी पर अपने द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी संदाय के लिए दायी नहीं होगा।

(3) बीमाकर्ता नामनिर्देशन या उसका रहकरण या परिवर्तन दर्ज कर लेने की लिखित अभिस्वीकृति पालिसीधारी को देगा तथा ऐसा रहकरण या परिवर्तन दर्ज करने के लिए ऐसी फीस ले सकेगा जो विनियमों द्वारा विहित की गई हो।

(4) धारा 38 के अनुसार किया गया पालिसी का अंतरण या समनुदेशन स्वतः नामनिर्देशन को रह कर सकेगा।

परन्तु जो बीमाकर्ता समनुदेशन के समय पालिसी पर जोखिम उठाता है, उसे पालिसी के ऐसे समनुदेशन से, जो पालिसी के अर्थर्ण मूल्य के अन्दर उस पालिसी की प्रतिभूति पर उस बीमाकर्ता द्वारा दिए गए उधार के प्रतिफलस्वरूप किया गया है, या उधार के चुका दिए जाने पर उसके पुनः समनुदेशन से, नामनिर्देशन रह नहीं होगा वरन् उससे नामनिर्देशिती के अधिकारों पर उसी विस्तार तक प्रभाव पड़ेगा जहां तक उस पालिसी में बीमाकर्ता का हित है।

परन्तु यह कि किसी पालिसी के अंतरण या समनुदेशन से, चाहे पूर्ण हो या आंशिक, जो अंतरिती या समनुदेशिती द्वारा पालिसीधारी को दिए गए उधार के प्रतिफलस्वरूप किया गया है, नामनिर्देशन रह नहीं होगा, वरन् उससे नामनिर्देशिती के अधिकारों पर उसी विस्तार तक पालिसी में, यथास्थिति, अंतरिती या समनुदेशिती का हित है।

परन्तु यह कि नामनिर्देशन, जो अंतरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप स्वतः रह हो गया है, वही नामनिर्देशन उधार चुका दिए जाने पर, बीमाकर्ता को पालिसी की प्रतिभूति पर दिए गए उधार के अतिरिक्त, पालिसी को पालिसीधारी के पक्ष में समनुदेशिती द्वारा पुनः अंतरिती द्वारा पुनः अंतरित किए जाने पर स्वतः प्रवर्तित हो जाएगा।

(5) यदि पालिसी उस व्यक्ति के जीवन काल के दौरान, जिसके जीवन का बीमा किया गया है, संदाय के लिए परिपक्व हो जाती है या यदि नामनिर्देशिती या उस दशा में जब एक से अधिक नामनिर्देशिती हों, या सब नामनिर्देशिती संदाय के लिए पालिसी के परिपक्व होने से पूर्व मर जाते हैं तो, पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम, यथास्थिति, पालिसीधारी को या उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों को उत्तराधिकार के प्रमाणपत्र धारक को देय होगी।

(6) यदि नामनिर्देशिती या उस दशा में जबकि एक से अधिक नामनिर्देशिती हों, एक या अधिक नामनिर्देशिती उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, जिसके जीवन का बीमा किया गया है, जीवित बचा रहता है या रहते हैं तो उस पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम ऐसे उत्तरजीवीया या उत्तरजीवियों को संदेय होगी।

(7) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, जहां कोई पालिसीधारक, जिसने अपने जीवन का बीमा कराया है, अपने माता-पिता, अपनी पत्नी या अपनी संतान, या पत्नी और संतान या उनमें से किसी को भी नामनिर्दिष्ट करता है तो नामनिर्देशित या सब नामनिर्देशिती, बीमाकर्ता द्वारा उसे या उन्हें उपधारा (6) के अधीन संदेय रकम का फायदा पाने के हकदार होंगे जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता कि पालिसीधारक ने, पालिसी में अपने हक को ध्यान में रखते हुए, फायदा पाने का ऐसा कोई नामनिर्देशिती को नहीं दिया था।

(8) उपरोक्त के अध्यधीन, जहां किसी नामनिर्देशिती की, या यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं, नामनिर्देशिती या सब नामनिर्देशिती, जिसे या जिहें उपधारा (7) लागू होती है, मृत्यु उस व्यक्ति के पश्चात जिसके जीवन का बीमा किया गया है परन्तु पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम का संदाय किए जाने से पूर्व होता है वहां पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम या पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम का ऐसा भाग जो, यथास्थिति, मृतक नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितीयों का भाग बनता है, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितीयों के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को देय होगी और वे ऐसी रकम का फायदा पाने के हकदार होंगे।

(9) उपधारा (7) और (8) की कोई बात किसी जीवन बीमा पालिसी के आगमों से संदाय किए जाने के लिए किसी लेनदार के अधिकार को नष्ट या बाधित नहीं करेगी।

(10) उपधारा (7), (8) और (ख) के उपबंध इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् संदाय के लिए परिपक्व होने वाली सभी जीवन बीमा पालिसीयों के लिए लागू होंगे।

(11) प्रत्येक पालिसीधारक को स्पष्ट शब्दों में यह दर्शाने का विकल्प उपलब्ध होगा कि पालिसीधारक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा रहा व्यक्ति हिताधिकारी नामनिर्देशिती है (हैं) अथवा संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती।

परन्तु जहां पालिसीधारक यह दर्शाने में असफल रहता है कि नामनिर्दिष्ट किया जा रहा व्यक्ति हिताधिकारी नामनिर्देशिती है या संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती है वहां यह समझा जाएगा कि नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति हिताधिकारी नामनिर्देशिती है।

**स्पष्टीकरण:** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'हिताधिकारी नामनिर्देशिती' से ऐसा नामनिर्देशिती अभिप्रेत है जो बीमा पालिसी के अधीन देय समस्त आगमों को अधिप्राप्त करने का हकदार है और 'संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती' से 'हिताधिकारी नामनिर्देशिती' से अन्य नामनिर्देशिती अभिप्रेत है।

(12) संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती पालिसी से उद्भूत होने वाले सभी लाभों का संदाय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार हिताधिकारी नामनिर्देशिती या उसके विधिक वारिसों या प्रतिनिधियों को करेगा।

(13) जहां पालिसीधारक की मृत्यु पालिसी परिपक्व होने के पश्चात् परन्तु उसकी मृत्यु के कारण पालिसी के आगमों और फायदों का उसे संदाय किए जाने से पूर्व ही जाती है वहां उसकी पालिसी के आगमों और फायदों का हकदार नामनिर्देशिती होगा।

(14) इस धारा के उपबंध ऐसी किसी बीमा पालिसी को लागू नहीं होंगे जिसे विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874 (1874 का 3) की धारा 6 लागू होती है या किसी समय लागू थी।

परन्तु यदि अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया नामनिर्देशन उस व्यक्ति की पत्नी के पक्ष में, जिसने अपने जीवन का बीमा कराया है, या उसकी पत्नी और संतानों के पक्ष में या उनमें से किसी के पक्ष में, इस धारा के अधीन किया गया अभिव्यक्त है, भले ही यह बात पालिसी के मुख्य भाग में दी गई हो या नहीं, तो उक्त धारा 6 की बाबत यह समझा जाएगा कि वह न तो पालिसी को लागू है और न लागू हो रही है।

## अध्याय - आठ

### शास्तियों तथा अन्य परिवर्तनों से संबंधित उपबंध

8.1.1 परामर्शी पत्र के पैरा 8.8 और 8.9 (इस रिपोर्ट का परिशिष्ट-I) में अधिनियम के उन उपबंधों में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में चर्चा की गई है जिनमें शास्तियां विहित की गई हैं तथा ऐसे अन्य उपबंध किए गए हैं जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं में प्रस्तावों का लगभग स्वागत ही किया गया है। केन्द्रीय सरकार तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण विधि आयोग परामर्शीपत्र के बीमा परिषदों (धारा 64ग), कार्यकारी समिति की शक्तियां (धारा 64झ) संबंधी प्रस्ताव और बीमा अधिकर्ताओं के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए जीवन बीमा परिषदों की कार्यकारी समिति की शक्तियां (धारा 64झ) के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहा है। इसी प्रकार इस प्रस्ताव पर भी कोई सिफारिश नहीं की जा रही है कि मजदूर संघ को बीमा कारबार करने की अनुज्ञा दी जाए।

### शास्तियों तथा अन्य उपबंधों के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें

8.1.2 शास्तियों तथा कातिपय अन्य उपबंधों के संबंध में परामर्शीपत्र के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- (i) धारा 102 से 105ग में विहित की गई शास्तियों की राशि बढ़ाई जाए ताकि यह भयकारी स्वरूप की हो जाए।
- (ii) जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.3.8 में दर्शाया गया है शास्तियां, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णयन/अन्वेषण अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् न्यायनिर्णत और उद्धृत की जाएंगी। यह स्थिति दर्शाने के लिए उपबंधों में तदनुसार संशोधन किए जाएंगे।
- (iii) धारा 53(2) (ख) के संबंध में जो उन अधारों के बारे में है जिन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा परिसमाप्त के लिए आवेदन कर सकेगा, वर्तमान उपबंधों (i), और (ii) और (iii) उन्हीं अधारों से संबंधित हैं जिन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण धारा 3(4) के अधीन किसी बीमा कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है, इन खंडों का लोप कर दिया जाना चाहिए। तथापि, खंड (iv) यथावत रखा जाना चाहिए। धारा 53 की उपधारा (1) में कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देश के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- (iv) स्वैच्छिक परिसमाप्त से संबंधित धारा 54 के संबंध में, उपबंध में इस आधार के सिवाय कि अपने दायित्वों के कारण से वह अपना कारबार जारी नहीं रख सकेगी, परिसमाप्त नहीं की जानी चाहिए।
- (v) धारा 58 की उपधारा (3) और (4) में आंशिक परिसमाप्त की योजना के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देश के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उपधारा (4) में 'कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 12' शब्दों के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 15 प्रतिस्थापित किया जाए और 'धारा 15 तथा 16' के स्थान पर 'धारा 17' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (vi) धारा 52क से 52छ के संबंध में, जो प्रशासक द्वारा प्रबंधन के बारे में है, उपबंध में ऐसा प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि, बीमाकर्ता को अवसर प्रदान करने और पालिसीधारी के हित पर विचार करने के पश्चात्, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मत यह है कि जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए कोई प्रशासक नियुक्त करना आवश्यक तथा समीची है तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आदेश जारी करके ऐसा कर सकेगा। प्रशासक वे परिलक्षियां अभिप्राप्त करेगा जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की जाएंगी। यदि नियुक्त किया गया पहला प्रशासक बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन में असमर्थ रहता है तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा। उपर्युक्त सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए धारा 52क की उपधारा (1), (2) और (3) संशोधित की जानी चाहिए।

- (vii) धारा 52क में ऐसी अवधि का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए जिसके लिए मूलतः कोई प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। धारा 52घ के प्रस्तावित उपबंधों के अध्यधीन अधिनियम में इस सीमा को उपबंधित किया जाना समीक्षीय होगा क्योंकि धारा 52खख(9) प्रशासक को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है, इसलिए धारा 52क में यह दर्शनी के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि इस प्रकार नियुक्त प्रशासक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अहंता प्राप्त और सक्षम होगा।
- (viii) इस आशय का उपबंध करने के लिए धारा 52खख(2) में संशोधन किया जाना चाहिए कि प्रशासक के आदेशों के विरुद्ध अपील बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में की जा सकेगी।
- (ix) प्रशासक की नियुक्ति को समाप्त करने से संबंधित धारा 52 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को नियुक्त आदेश को रद्द करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।
- (x) धारा 52च के अधीन प्रशासक को संपत्ति के दस्तावेज न देने के लिए दंड के रूप में जुमनी की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए की जानी चाहिए।
- (xi) धारा 52छ में उपबंधित, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का विस्तार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए भी किया जाना चाहिए।
- (xii) उपर्युक्त संशोधनों की दृष्टि से, धारा 52इ में 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के स्थान पर 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
- (xiii) धारा 52ज से 52ट तक परिवर्तित नीति की दृष्टि से निकाल दी जानी चाहिए जिनके अन्तर्गत प्राइवेट व्यक्तियों को बीमा कारबार करने की अनुमति दी गई है।
- (xiv) निक्षेपों की वापसी से संबंधित धारा 59 में आए 'या धारा 98' शब्दों और अंकों का लोप किया जाए।
- (xv) इस आशय के स्पष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय बीमा कम्पनी के अतिरिक्त कोई अन्य बीमाकर्ता भारत में किसी वर्ग का भी बीमा कारबार आरम्भ नहीं कर सकेगा, विदेशी कम्पनियों से संबंधित धारा 62 से 64 तक के उपबंध निरसित कर दिए जाने चाहिए।
- (xvi) धारा 64पठ में 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के स्थान पर 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
- (xvii) अभ्यर्पण मूल्यों के अर्जन से संबंधित धारा 113(1) यह दर्शनी के लिए संशोधित की जाए कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण समादर्त मूल्य और वार्षिकी की न्यूनतम राशि समय-समय पर अधिसूचित कर सकेगा।

## अध्याय-नौ

परामर्शीपत्र के अन्य विषय जिनके बारे में विधि आयोग इस स्तर पर कोई सिफारिश नहीं करना चाहता है।

9.1.1 परामर्शीपत्र में, पुनरीक्षण के बहुत से आधारों का उल्लेख किया गया है। तथापि, सिफारिश के निम्नलिखित विषय स्पष्ट किए हैं जिनका परामर्शीपत्र के प्रयोग से और विशेषज्ञ हुआ है और उनके बारे में ऊपर अन्तिम सिफारिशों दी गई हैं।

- (क) बीमा अधिनियम, 1938 से निरर्थक उपबंधों का निकाला जाना।
- (ख) संक्रमणकालीन उपबंधों का निकाला जाना।
- (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों का बीमा अधिनियम में विलय।
- (घ) समनुदेशन और नामनिर्देशन संबंधी विषय और दावों का निरकरण।
- (ड) एक स्वतंत्र शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना।

9.1.2 तथापि, निम्नलिखित विषयों के बारे में परामर्शीपत्र की प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ है कि उनमें या तो नीति संबंधी निर्णय अन्तर्गत हैं या उन पर विशेषज्ञ निकायों द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। विधि आयोग इन विषयों के बारे में तब तक अपनी सिफारिशें देने में असमर्थ है जब तक विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से इनके बारे में और अध्ययन नहीं किया जाता। इनमें से कुछ विषयों पर यहां नीचे चर्चा की जा रही है।

### बीमा सर्वेक्षक

9.1.3 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यड में सर्वेक्षकों और क्षति निधारिकों के लिए लाइसेंस देने का उपबंध है। परामर्शीपत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया था:

- "प्राधिकरण को अहंता या अनहंता के उन्हीं आधारों पर, जो बीमा अधिकर्ताओं के लिए धारा 42(1) और (2) में दिए गए हैं लाइसेंस देने की प्राधिकरण को स्पष्ट शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

किसी सर्वेक्षक का लाइसेंस रद्द करने के लिए, जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन संतोषप्रद तथा वृत्तिक रूप में करने में असफल रहता है या विनियमों द्वारा विहित आचार संहिता का उल्लंघन करता है, विनियम 8(4) में दिए गए आधार धारा 64 यड (1) (छ) में अन्तर्विष्ट किए जाने चाहिए।"

विनियम 8(4) में उपबंधित लाइसेंस निलम्बित करने का उपबंध अधिनियम में समाविष्ट किया जाना चाहिए।"

9.1.4 अधिनियम की धारा 64यड (1क) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक सर्वेक्षक और क्षति निधारिक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विहित आचार संहिता तथा अन्य वृत्तिक अपेक्षाओं का पालन करेंगे। इस उपबंध के परिणामस्वरूप, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम बनाए गए हैं जिनमें किसी सर्वेक्षक या क्षति निधारिक को लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम अहंताएं विहित की गई हैं। परामर्शीपत्र में यह प्रस्ताव किया गया था कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों से निर्धारित आचार संहिता के अनुसरण में सर्वेक्षकों और क्षति निधारिकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्पष्ट उपबंध किए गए न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव भी किया गया था कि सर्वेक्षकों/क्षति निधारिकों की नियुक्ति और संदाय चक्रानुक्रम में किया जाना चाहिए और यह कार्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में होना चाहिए।

### प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया

9.1.5 यद्यपि उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं परन्तु विस्तृत प्रतिक्रिया बीमा सर्वेक्षक तथा समायोजक संस्थान से प्राप्त हुई है। प्रमुख सुझाव यह दिया गया है कि 'अधिनियम में केवल नीतिंगत संरचना दी जानी चाहिए। सभी विनियामक विषय विनियामक के अधिकारक्षेत्र में होने चाहिए। सभी परिचालनात्मक और प्रशासनिक विषय स्वतः विनियमनकारी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के अधिकारक्षेत्र में आने चाहिए।' संस्थान ने यह सुझाव दिया है कि सर्वेक्षकों को लाइसेंस देने की पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिए। वे चाहते हैं कि भारतीय बीमा सर्वेक्षक और क्षति निर्धारक चार्टर्ड संस्थान द्वारा प्रैक्टिस प्रमाणपत्र जारी करने की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। संस्थान ने सुझाव दिया है कि जहां दावा 20,000 रुपये से कम का नहीं है वहां बीमाकर्ता द्वारा किसी सर्वेक्षक/क्षति निर्धारक को सर्वेक्षण या क्षति निर्धारण का कार्य सौंपे जाने से पूर्व उनके पास ऐसा प्रमाणपत्र होना आज्ञापक होना चाहिए। संस्थान द्वारा एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि आवश्यकता के अनुसार एक संयुक्त सर्वेक्षक/क्षति निर्धारक नियुक्त करने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए।

9.1.6 जहां विधि आयोग संस्थान द्वारा दिए गए सुझाव की सराहना करता है वहीं वह यह मानता है कि इस विषय में नीति निर्णय अन्तर्गत है। उदाहरण के लिए, लाइसेंस देने की प्रणाली को समाप्त करने और क्षति निर्धारक चार्टर्ड संस्थान स्थापित करने का निर्णय नीति स्वरूप लेना होगा। विधि आयोग के विचार में ऐसे निर्णय वर्तमान निर्देश के क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसलिए, विधि आयोग इस संबंध में उपर्युक्त संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

9.1.7 जनरल इन्स्योरेस (पब्लिक सेक्टर) ऐसोसिएशन ऑफ इन्डिया वर्तमान उपबंधों को यथावत रखने का पक्षधर है जहां सर्वेक्षकों की नियुक्ति बीमाकर्ता के अधिकारक्षेत्र में है और वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को और शक्तियों देने का समर्थक नहीं है। यह सुझाव दिया गया है कि दूसरे सर्वेक्षक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात दावे तय करने का निर्णय शिकायत समाधान प्राधिकरण के लिए जोड़ा जाना चाहिए। जनरल इन्स्योरेस कम्पनी की प्रतिक्रिया यह है कि सर्वेक्षक को लाइसेंस दे दिए जाने के पश्चात विनियामक द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यूनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेस कम्पनी ने भी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की भूमिका और अधिक बढ़ाने के लिए उपबंधों में परिवर्तन करने का विरोध किया है।

9.1.8 भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल संघ ने यह सुझाव दिया है कि सर्वेक्षकों को लाइसेंस देने की कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए और यह कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को अर्हताएं विहित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। संघ ने सुझाव दिया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एक सर्वेक्षक संस्थान होना चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया है कि आदेशात्मक सर्वेक्षण के लिए धनराशि की सीमा समाप्त की जानी चाहिए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को कारबार वर्ग और धनराशि की सीमा, जिसके लिए अर्हता प्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण आज्ञापक बनाया जाए, विहित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

### विधि आयोग की प्रतिक्रिया

9.1.9 विधि आयोग, सर्वेक्षकों तथा क्षति निर्धारकों के बारे में किए गए प्रस्तावों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं में व्यक्त की चिन्ताओं की सराहना करता है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कोई सहमति नहीं है कि लाइसेंस देने की प्रणाली जारी रखी जाए या समाप्त कर दी जाए और क्या इस संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की और बड़ी भूमिका होनी चाहिए। फिर भी, यह अनिवार्यतः एक नीति निर्णय का प्रश्न है और विधि आयोग के अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है।

9.1.10 इसलिए, विधि आयोग सर्वेक्षकों तथा क्षति निर्धारकों के बारे में कोई सिफारिश करना उपयुक्त नहीं समझता है।

### विनिधान के संबंध में उपबंध

9.1.11 परामर्शीपत्र में विनिधान, ऋण और प्रबंधन संबंधी उपबंधों के बारे में सुझाव मांगे गए थे। इनसे इस बात का बोध हो जाता है कि बीमाकर्ताओं द्वारा निधियों के विनिधान के प्रयोजन से "अनुमोदित-प्रतिभूतियां" क्या होनी चाहिए और बीमाकर्ता के लिए "शोधन क्षमता" क्या होनी चाहिए। बीमा अधिनियम, 1938 को सुसंगत

उपबंध, धारा 27, 27क, 27ख, और धारा 64रक हैं। यद्यपि आयोग को परामर्शीपत्र के प्रस्तावों पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, फिर भी केन्द्रीय सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। यदि अधिक विस्तृत और पर्याप्त प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई होतीं तो आयोग सिफारिश कर सकता था।

### टैरिफ के संबंध में उपबंध

9.1.12 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यक से 64यठक तक में टैरिफ सलाहकार समिति से संबंधित, उसके गठन और शक्तियों सहित, उपबंध अन्तर्विष्ट है। परामर्शीपत्र में इस बारे में विस्तृत सुझाव मांगे गए थे।

9.1.13 इन प्रस्तावों के बारे में न तो केन्द्रीय सरकार से और न ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "टैरिफ प्रशासित तंत्र उदारीकरण की प्रतिस्थापना है और बाजार टैरिफ रहित तंत्र की ओर अग्रसर होना चाहिए।" गैर सरकारी बीमा कंपनियां भी टैरिफ रहित तंत्र का समर्थन करेंगी। उदारीकरण के संदर्भ में, बीमा कम्पनियां हानि होने वाले क्षेत्रों के, उदाहरण के लिए, मोटरायन बीमा, भारत से मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर, बीमा अधिनियम, 1938 में इस समय उपबंधित प्रतिरोधी दायित्व बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति उनका दायित्व है। इन विषयों के लिए भी नीति निर्णय की आवश्यकता है। प्रश्न जो उद्भूत होते हैं, निम्नलिखित हैं :

- क्या हम समस्त बीमा उद्योग को टैरिफ रहित करना चाहते हैं अथवा क्रतिपय प्रकार के बीमा कारबारों के लिए टैरिफ व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं?
- क्या चयनित प्रकार के बीमाकार के लिए भी टैरिफ व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त की जानी चाहिए या एक बार में ही?
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निश्चित भूमिका क्या होनी चाहिए।

9.1.14 भारत के विधि आयोग द्वारा उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना संभव नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करके स्वयं सरकार द्वारा दिया जा सकेगा। इस संबंध में विधि से परिवर्तन के बारे में नीति निर्णय लेने के परिणामस्वरूप ही किया जा सकेगा, किसी अन्य प्रकार से नहीं। इसलिए, इसे विचार करने के लिए नहीं लिया गया है।

### शेयरधारक निधि तथा पालिसीधारक निधि

9.1.15 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 में लाभांश और बोनस के संदाय पर निर्बंधों का प्रावधान है। परामर्शीपत्र में निम्नलिखित परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया:

"किसी बीमा कम्पनी के कार्य संचालन के प्रारम्भिक वर्षों में शेयरधारकों की निधि से पालिसीधारकों की निधि में अंतरण करने के लिए सामर्थकारी उपबंध जोड़ा जा सकेगा। यह कार्य निम्नलिखित आशय का प्रत्यक्ष है।"

"परन्तु यह और कि उस कुल राशि से अनधिक राशि, जो विगत वर्षों में, शेयरधारक निधि से अंतरित की गई थी, फालतू होने पर, पालिसीधारकों के लिए बोनस की घोषणा करने से पूर्व, शेयरधारक निधि को वापस अंतरित की जाएगी।"

9.1.16 उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने सुझाव दिया है कि जहां पालिसीधारकों को नए बोनस के संदाय की राशि पूरी करने के लिए शेयरधारक निधि से पालिसीधारक निधि को अंतरण किया जाता है, ऐसी राशि किसी भी समय फिर से शेयरधारक निधि को अंतरित करने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ संघ चाहता है कि पालिसीधारक निधि में अस्थायी और स्थायी कमी के बीच स्पष्ट अन्तर किया जाए। नेशनल इन्स्योरेस अकादमी ने भी विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। प्रारंभ में ही अकादमी ने कहा है कि "इन सभी वर्षों के दौरान उपबंध का बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप रहना प्रमाणित हुआ है इसलिए इस स्तर पर पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।" तथापि, अकादमी के अनुसार यदि नए बोनस के भार से उद्भूत कमी के कारण शेयरधारक निधि से धनराशि पालिसीधारक निधि को अंतरित करने की आवश्यकता पड़ती है तो

इसके लिए बहुत से सुरक्षोपाय की व्यवस्था करनी होगी। नेशनल इन्यूरेंस अकादमी ने, तदनुसार धारा 49 का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया है।

9.1.17 भारतीय बीमांकिक सोसाइटी द्वारा बनाई गई सूबेदार समिति की रिपोर्ट में भी इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विषय के बारे में “स्वीकार्य और स्थायी समाधान के लिए उद्योग, विनियामक प्राधिकरण और बीमा व्यवसाय के विचारों का एक समान होना महत्वपूर्ण है।” अन्ततः रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर विस्तृत कार्य की आवश्यकता है।

9.1.18 भारत के विधि आयोग का विचार है कि शेयरधारक निधि और पालिसीधारक निधि के प्रयोग का विशिष्ट प्रश्न और पहली से दूसरी को अन्तरण के लिए उद्योग के भीतर तथा उद्योग और सरकार के बीच विचार-विमर्श की आवश्यकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को इस विषय में एकमत बनाने में सहायता करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

9.1.19 इस समय आयोग को सरकार के तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विचार उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही उद्योग में कोई आन्तरिक सहमति भी नहीं है। इन परिस्थितियों में, विधि आयोग धारा 49 में इस समय किसी संशोधन का सुझाव नहीं दे रहा है।

#### विदेशी शेयर धारिता

9.1.20 उद्योग के साथ चर्चा के दौरान एक यह विषय बार-बार सामने आया था कि क्या विदेशी इक्विटी भागीदारी की वर्तमान 26 प्रतिशत सीमा बढ़ाने की अनुज्ञा देने के लिए विधि में संशोधन किया जाना चाहिए। भारत से बाहर अपनी शाखाएं खोलने तथा भारत से बाहर कारबार करने के लिए बीमा कम्पनियों को अनुज्ञा देने के प्रश्न भी उठाए गए थे। इन विषयों के बारे में विधि आयोग को सरकार तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विचार उपलब्ध नहीं हैं। विधि आयोग का विचार है कि ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में सरकार को उद्योग तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करके नीति निर्णय लेना होगा। विधि आयोग इस विषय में कोई अनुसंधान नहीं कर रहा है।

## अध्याय-दस

### सिफारिशों का सारांश

10.1.1 इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है:

- (i) भारत के विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई परिवर्तित परिभाषाओं की पूर्ण अन्तिम सूची एक पृथक तालिका में दी गई है और इस रिपोर्ट में परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है। उक्त सिफारिशों में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(9), धारा 2, धारा 4, धारा 6क(10), 6ख, 6ग, 7(1), 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 28क, 29, 31, 31ख, 32क, 32ख, 32ग, 35, 37क, 40, 40ख, 40ग, 43, 44, 48क, 50, 51, 52खख, 52घ, 53, 53, 58 और 64यठ में किए गए संशोधन आते हैं। [पैरा 2.1.3]
- (ii) अध्याय-नौ में स्पष्ट किए गए कारणों से विनिधान (धारा 27, 27क, 27ख और 27ग), लाभांश और बोनस पर निर्बंधन (धारा 49), टैरिफ सलाहकार समिति (धारा 64यक, 64यख, 64यद, 64यज), परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन (धारा 64र), शोधन क्षमता (धारा 64रक), कारबार के नए स्थलों पर निर्बंधन (धारा 64रग), संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इन उपबंधों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की जा रही है। [पैरा 2.1.4]
- (iii) इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-III में एक पृथक तालिका में दिए गए उपबंधों को अधिनियम से निकाल दिया जाना चाहिए। इन सिफारिशों के अन्तर्गत धारा 2(12), धारा 2(13), धारा 2(16), धारा 2(17), धारा 2ख(1), धारा 2(ग), धारा 3(5), धारा 3(4)(क), धारा 3(4)(ड), धारा 3(5), धारा 4, धारा 5(2) और (3), पहला और दूसरा परन्तुक, धारा 6क(1) परन्तुक, धारा 7(7), धारा 7(9ख), धारा 10(1), धारा 10(2), धारा 10(2क), धारा 11(1क), धारा 12, धारा 13(1), धारा 13(3), धारा 13(4), धारा 13(6), धारा 14, धारा 15, धारा 15(2), धारा 15(3), धारा 16, धारा 22, धारा 27(2)(क), (ख) और (6), धारा 27क, धारा 27ख, धारा 28(4), धारा 29, धारा 31(ख), धारा 32, धारा 33(7), धारा 35(1), धारा 35(3), धारा 40, धारा 40क, धारा 44(1)-स्पष्टीकरण, धारा 48, धारा 49, धारा 48क, धारा 52, धारा 52ज से 52द, धारा 52, धारा 59, धारा 62 से 64, धारा 64यख (3) और (4), धारा 64यब, धारा 64यच से यज्ञ, धारा 64यज(2) से (6), धारा 64यद, धारा 64रक, धारा 65 से 94, धारा 95 से 101 और धारा 114(च)। [पैरा 2.1.5]
- (iv) इस संबंध में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन करते हुए प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 के साथ विलय करने के प्रस्ताव को एतद्वारा अन्तिम रूप दिया गया है और इन्हें इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में एक तालिका में उपवर्णित किया गया है। तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के निम्नलिखित उपबंधों को, अर्थात् धारा 2 (परिभाषा), अध्याय-दो, प्राधिकरण की स्थापना और अनुषंगिक विषयों से संबंधित (धारा 3-12); अध्याय-चार प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कार्यों से संबंधित (धारा 14); अध्याय पांच, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की निधियां, लेखा तथा लेखापरीक्षा से संबंधित (धारा 15-17); अध्याय-छ: केन्द्रीय सरकार की शक्तियों से संबंधित (धारा 18-23 और 25); केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाली धारा 24; प्राधिकरण को विनियम बनाने वाली शक्ति प्राप्त करने वाली धारा 26; नियमों और विनियमों को संसद के पटल पर रखने की अपेक्षा से संबंधित धारा 27 और धारा 28 (अन्य विधियों का लागू होना न वर्जित करते हुए) का बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के साथ विलय किया जाना चाहिए जैसाकि इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है।

- (v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से संबंधित उपबंधों में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में अन्तिम सिफारिश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में दी गई हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धाराएं, जिनमें तदनुसूपी संशोधन किया जाएगा, धारा 3, धारा 3(2)(च), धारा 94क(2)(दूसरा परन्तुक), धारा 3(2ग), धारा 3(3), धारा 3(4), धारा 3क(2), धारा 3क(3), धारा 3क(4) और धारा 3क(5) हैं। [पैरा 3.1.5]
- (vi) बीमाकर्ता के कार्यों का पुनर्मूल्यांकन, अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण, प्रबंधकों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाए जाने के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित प्रस्तावों के बारे में अन्तिम सिफारिशें इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-IV में दी गई हैं। इन सिफारिशों के अन्तर्गत बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33(1), धारा 33(4), धारा 33(8), धारा 34ख(4), धारा 34ग, धारा 34ड, धारा 34 छ, धारा 34ज, धारा 35(1), धारा 35(3), धारा 36 धारा 37क(2), धारा 37क(4), धारा 42(1), धारा 42(2), धारा 42(3), धारा 42(4), धारा 42(5), धारा 42(6), धारा 42(7), धारा 42घ, धारा 42घ(1), परन्तुक (क), धारा 42घ(8), और (9), धारा 64पड, धारा 64पड(1क), धारा 44, धारा 47क और धारा 53 के संशोधन आते हैं। [पैरा 3.1.6]
- (vii) अभी हाल ही में, एक और विकास हुआ है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पत्रिका के जनवरी, 2004 के अंक में यह प्रकाशित हुआ था कि केन्द्रीय सरकार के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण गठित किया है। प्राधिकरण की पत्रिका के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में अपीलीय प्राधिकरण की दोनों, एकल सदस्यीय तथा खंड न्यायपीठ, न्यायपीठ गठित की है। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव एकल सदस्यीय और उसके साथ विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को लेकर खंड न्यायपीठ गठित की गई है। विधि आयोग यह टिप्पणी करते हुए खेद व्यक्त करता है कि ऐसा अपीलीय अधिकरण गठित करने में केन्द्रीय सरकार की चाहे जो भी बाध्यताएं रही हों, एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायनिर्णयक अपीलीय निकाय गठित करने की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। [पैरा 4.2.9]
- (viii) शिकायत समाधान तंत्र के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशों संक्षेप में निम्नलिखित हैं:-
- (क) बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमा अधिकर्ताओं द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघनों करने और अधिनियम में उपबंधित के अनुसार शास्त्रिय लगाने के लिए न्यायनिर्णय/अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा की जाए। न्यायनिर्णयन/अन्वेषण अधिकारी के निर्णय से आहत कोई व्यक्ति बीमा अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकेगा।
- (ख) प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संपूर्ण पर्यवेक्षणाधीन अपने संगठन में एक शिकायत समाधान तंत्र गठित करेगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण में कोई दावा फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए पहले संगठनगत तंत्र में जाना अनिवार्य होगा। जहां संगठन तंत्र का निर्णय दावेदार के लिए संतोषप्रद नहीं है या जहां संगठनगत तंत्र में ऐसा दावा फाइल करने की तिथि से 60 दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है वहां दावेदार संगठनगत तंत्र का निर्णय प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर या दावा करने की तिथि से 60 दिन की अवधि बीत जाने पर, जो भी बाद में हो, शिकायत समाधान प्राधिकरण में जा सकेगा।
- (ग) 1998 के नियमों के अन्तर्गत प्रमुख महानगरों में अम्बड़समैन प्रणाली के स्थान पर शिकायत समाधान प्राधिकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण सांविधिक कार्य करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण होगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में जुर्माना करने या शास्त्रिय लगाने के संबंध में किसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।

- (घ) शिकायत समाधान प्राधिकरण की अधिकारिता में निम्नलिखित विवाद सुने जा सकेंगे:-
- (I) वैयक्तिक बीमे से संबंधित बीमा किए गए व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच निम्नलिखित प्रकार के विवाद:
- (i) बीमाकर्ता द्वारा दावों का आंशिक या पूर्ण रूप से निश्चारण;
  - (ii) पालिसी की शर्तों के अनुसार संदर्भ या संदेय प्रीमियम के संबंध में कोई विवाद;
  - (iii) पालिसियों की वैधता संबंधी विवाद, जहां तक वे दावों से संबंधित हैं;
  - (iv) दावों के निपटारे में विलम्ब;
  - (v) प्रीमियम प्राप्त हो जाने के पश्चात किसी बीमा दस्तावेज का उपलब्ध न कराया जाना; और
  - (vi) बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य शिकायत;
- (II) बीमाकर्ता तथा मध्यवर्तियों के बीच विवाद।
- (III) बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के बीच के विवाद।
- (IV) समनुदेशन की प्राथमिकता के बारे में पालिसी के समनुदेशितियों के बीच विवाद।
- (ङ) शिकायत समाधान प्राधिकरणों का विस्तार, भौगोलिक दृष्टि से अधिकाधिक स्थानों तक किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ, देश के प्रत्येक प्रमुख शहर में एक शिकायत समाधान प्राधिकरण होना चाहिए। पालिसीधारकों की वर्तमान बड़ी संख्या और भविष्य में इसके और बढ़ने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। राज्य में मामलों की संख्या को देखते हुए एक राज्य में एक से अधिक प्राधिकरण हो सकेंगे।
- (च) शिकायत समाधान प्राधिकरणों की शक्तियां और कार्य सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों और कार्यों के समान होंगे और इनमें तथ्य और विधि के प्रश्नों का न्यायनिर्णय भी अन्तर्गत होगा।
- (छ) उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी उपबंधित किया जा सकेगा कि 1938 के बीमा अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता फोरम के समक्ष लम्बित सभी विवाद, 1938 के बीमा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार में समाधान के लिए शिकायत समाधान प्राधिकरणों को अंतरित कर दिए जाएंगे। इस आशय का उपबंध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन उत्पन्न होने वाले विवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन ग्रहण नहीं किए जाएंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में एक संशोधन करना होगा।
- (ज) ऐसे मामलों के बारे में, जो शिकायत समाधान प्राधिकरण की अधिकारिता के विषय हैं, सिविल न्यायालयों तथा अन्य अधिकरण/फोरम की अधिकारिता का स्पष्ट अपवर्जन करने के लिए एक खंड जोड़ा जाएगा। शिकायत समाधान प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक दावेदार को एक स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि किसी अन्य अधिकरण या फोरम में इसी प्रकार का कोई अन्य दावा नहीं किया गया है और यह कि उसने उपर्युक्त पैरा (11) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता के संगठनगत तंत्र का उपयोग कर लिया है।
- (झ) माध्यस्थम या सुलह के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, यह उपबंधित किया जा सकेगा कि दावेदार माध्यस्थम या सुलह का वैकल्प अपना सकेगा और ऐसे मामले शिकायत समाधान प्राधिकरण किसी सहमत व्यक्ति या निकाय द्वारा, या जहां ऐसा कोई करार न हो, शिकायत समाधान प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा विवाद को माध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, शिकायत समाधान प्राधिकरण स्वयं भी अपने समक्ष लंबित विवादों को, कार्यवाही के किसी भी चरण में, पक्षकारों की सहमति से वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को निर्देशित कर सकेगा।

- (ज) शिकायत समाधान प्राधिकरण, जो मूल आदेश पारित करता है, अपना निर्णय, या अपील पर अन्तिम निर्णय, प्रवर्तनीय कर सकेगा और इस प्रयोजन से शिकायत समाधान प्राधिकरण सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (ट) शिकायत समाधान प्राधिकरण बहु सदस्यीय निकाय होना चाहिए जिसमें एक न्यायिक सदस्य, जो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, और दो तकनीकी सदस्य होने चाहिए। शिकायत समाधान प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। प्राधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रैक से कम न हो, या कोई अधिवक्ता जिसे कम से कम 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, होना चाहिए और उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- (उ) जहां तक शिकायत समाधान प्राधिकरण के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बीमा उद्योग में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाया जा सकेगा और उसे अधिनियम की धारा 46ग के अधीन गठित बीमा परिषदों के सदस्यों से गठित की गई चयन समिति को भेजा जा सकेगा। उक्त चयन समिति तकनीकी सदस्यों के पैनल में दिए गए नामों से शिकायत समाधान प्राधिकरण में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सिफारिश करेगी। केन्द्रीय सरकार शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा को अन्य शर्तों के बारे में नियम बनाएगी।
- (ड) शिकायत समाधान प्राधिकरण दावे फाइल करने, अभिवचनों के पूरा होने, शपथपत्रों पर साक्ष्य या अन्यथा, अधिनिर्णय पारित करने और प्रतियां प्रेषित करने के मामलों के बारे में प्रक्रिया नियम बनाएगा। प्रक्रिया के ये नियम अपीलों में अन्तिम निश्चय के रूप में शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णयों के प्रवर्तन संबंधी मामलों के लिए भी लागू होंगे।
- (ड) शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने के पश्चात, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और इन आरोपों के बारे में उसका पक्ष सुनने का उसे पर्याप्त अवसर दिया गया है, प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के सिवाय, उनके पद से नहीं हटाया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार शिकायत समाधान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के दुर्व्यवहार और अक्षमता की जांच करने के लिए प्रक्रिया विनियमित करने हेतु नियम बना सकेगी।
- (ण) शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णय से बीमा अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता में निम्नलिखित विधय पर सुनवाई हो सकेगी:
- शिकायत समाधान प्राधिकरण के निर्णयों से अपील।
  - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णय/अन्वेषण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील।
  - बीमा अपीलीय अधिकरण गठित हो जाने पर, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण, (जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.2.9 में देख जा सकेगा) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों पर कार्यवाही को बंद करना होगा और उसके समक्ष लम्बित अपील स्वयमेव बीमा अपीलीय अधिकरण को अंतरित हो जाएगी।
  - उपर्युक्त मामलों के बारे में, सर्वांगीन या अन्यथा, अंतरित आदेश देना।
- (त) बीमा अपीलीय अधिकरण बहु सदस्यीय निकाय होना चाहिए जिसमें न्यायिक सदस्य अधिकरण का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामनिर्देशित उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता रखी जानी चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण में तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए। इस प्रयोजन से बीमा उद्योग में कम से

- कम 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बीमा परिषदों द्वारा (अधिनियम की धारा 46ग के अधीन गठित) भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। तकनीकी सदस्यों का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के बारे में नियम बनाएगी।
- (थ) बीमा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य 68 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने के पश्चात और उन आरोपों के बारे में उनका पक्ष सुने जाने के लिए न्यायोनियत अवसर प्रदान करके उनके पद से हटाया जा सकेगा। केन्द्रीय बीमा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच प्रक्रिया विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी।
- (द) बीमा अपीलीय अधिकरण की मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली में होनी चाहिए। बीमा अपीलीय अधिकरण की एक न्यायाधीश प्रत्येक राज्य में होनी चाहिए। एक या अधिक राज्यों के लिए बीमा अपीलीय अधिकरण की एक पीठ हो सकती है, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया जाए या प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4(3) की पद्धति पर राज्य सरकारों के बीच कराया जाए।
- (ध) बीमा अपीलीय अधिकरण अपील फाइल करने, अभिवचनों के पूरा होने, अंतरिम तथा अन्तिम दोनों प्रकार के आदेश देने और प्रतियां प्रेषित करने के बारे में प्रक्रिया नियम बनाएगा।
- (न) शिकायत समाधान प्राधिकरणों और बीमा अपीलीय अधिकरणों के गठन तथा उनके अनुरक्षण पर होने वाले व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए क्योंकि वे केन्द्रीय विधि के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों पर न्यायनिर्णय करेंगे।
- (प) बीमा अपील अधिकरण के निर्णय से उच्चतम न्यायालय में सांविधिक अपील की जा सकेगी। अपील बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णय के 60 दिन के भीतर फाइल की जा सकेगी।
- (फ) शिकायत समाधान प्राधिकरण के समक्ष किसी दावे और बीमा अपीलीय अधिकरण के समक्ष किसी अपील के बारे में न्यायनिर्णय शुल्क लगाया जा सकेगा। तथापि, पालिसीधारी को, यथास्थिति, शिकायत समाधान प्राधिकरण या बीमा अपीलीय अधिकरण द्वारा, ऐसा न्यायनिर्णय शुल्क देने से छूट दी जा सकेगी। [पैरा 4.3.8]
- (ix) धारा 45 के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- (क) अवधि जिसके पश्चात किसी बीमा पालिसी का किसी भी आधार पर निराकरण नहीं हो सकेगा, 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। यह अवधि किसी बीमाकर्ता को बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा पालिसी जारी करने के समय दिए गए विवरण की सत्यता की जांच करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जीवन बीमा पालिसी के प्रभावी होने की तिथि अर्थात पालिसी के जारी होने की तिथि या ऐसी पालिसी आरम्भ होने की तिथि या ऐसी पालिसी के पुनर्जीवित होने की तिथि या ऐसी पालिसी में राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, के पश्चात पांच वर्ष की अवधि बीमाकर्ता किसी भी आधार पर पालिसी के अधीन किसी दावे का निराकरण नहीं कर सकेगा।
- (ख) बीमाकर्ता पालिसी जारी करने की तिथि या जोखिम आरम्भ होने की तिथि या पालिसी पुनर्जीवित करने की तिथि या पालिसी में किसी राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय कपट के आधार पर किसी जीवन बीमा पालिसी का निराकरण कर सकेगा। बीमाकर्ता को बीमा किए गए व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशितियों/समनुदेशितियों को उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में लिखित में सूचित करेगा जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है। ऐसे मामले में दावेदार पालिसी की राशि या प्रीमियमों के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

- (ग) बीमाकर्ता पालिसी की तिथि या जोखिम आरम्भ होने की तिथि या पालिसी पुनर्जीवित करने की तिथि या पालिसी में किसी राइटर की तिथि, जो भी बाद में हो, से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय इस आधार पर जीवन बीमा पालिसी का निराकरण कर सकेगा कि बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा प्रस्थापना फार्म या किसी अन्य दस्तावेज में अशुद्ध कथन किया था या तात्त्विक तथ्य को छिपाया था जिसके आधार पर पालिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या उसके लिए कोई राइटर जारी किया गया था। जहां ऐसे निराकरण के परिणामस्वरूप दावेदार के लिए पालिसी की राशि सम्पहृत हो जाएगी वहां वे पालिसी के लिए प्रीमियर्स के रूप में भुगतान की गई राशि सम्पहृत नहीं होगी। इस प्रकार किसी अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाए जाने के आधार पर किए गए निराकरण के मामले में निराकरण की तिथि तक पालिसी पर प्रीमियर्स के रूप में एकत्र की गई राशि बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशियों/समनुदेशियों को लौटानी होगी।
- (घ) अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाया जाना तब तक तात्त्विक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह बीमाकर्ता द्वारा उद्याए गए जोखिम से सीधा संबंधित नहीं होगा। यह साबित करने का भार बीमाकर्ता पर होगा कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य का पता होता तो बीमा किए गए व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पालिसी नहीं दी जाती।
- (ङ) जहां बीमा किया गया व्यक्ति साबित कर देता है कि छिपाया गया तात्त्विक तथ्य या किया गया अशुद्ध कथन उसके ज्ञान और विश्वास में सच था और यह कि तथ्य को जानबूझकर छिपाने का कोई आशय नहीं था या यह कि ऐसा अशुद्ध कथन या तथ्य का छिपाया जाना बीमाकर्ता या उसके अधिकर्ता के ज्ञान में था वहां कपट के आधार पर किसी पालिसी का निराकरण करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (च) कोई व्यक्ति जो बीमा संविदा की याचना करता है या उसके लिए बातचीत करता है, संविदा करने के प्रयोजन से बीमाकर्ताओं का अधिकर्ता समझा जाना चाहिए और यह कि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बीमाकर्ताओं का ज्ञान समझा जाना चाहिए।
- (छ) बीमाकर्ता को बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधियों/नामनिर्देशियों/समनुदेशियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में लिखित सूचना देनी होगी जिनके कारण अशुद्ध कथन या तात्त्विक तथ्य छिपाए जाने के आधार पर पालिसी का निर्णय किया गया है। (पैरा 5.1.39)
- (x) उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए धारा 45 संशोधित की जानी चाहिए। धारा 45 पैरा 5.1.40 में उपबंधित के अनुसार पुनर्प्रिपित की जानी चाहिए।
- (xi) किसी पालिसी के समनुदेशन या अंतरण से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिश निम्नलिखित हैं:
- (क) धारा 38 की उपधारा (7) अधिक स्पष्ट से कठिपय उपांतरणों के साथ रहने दी जाए।
- (ख) उन अनिश्चित परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनके अधीन कोई समनुदेशन या अंतरण सर्वत माना जाएगा। उपबंध में यह दर्शित करने के लिए संशोधन किया जाए कि जहां समनुदेशन या अंतरण का पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि समनुदेशन या अंतरण धारा 38 (7) के उपबंधों के अनुसार सर्वत है उसके सिवाय प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण पूर्ण समनुदेशन या अंतरण समझा जाएगा और यथास्थिति, समनुदेशिती या अंतरिती को क्रमशः पूर्ण समनुदेशिती या अंतरिती समझा जाएगा।
- (ग) धारा 38 में दोनों शब्दों अर्थात्, समनुदेशन और अंतरण, का प्रयोग इन उपबंधों के कार्यकरण को और उदार बनाने की दृष्टि से अनुकूली रूप में किया जाएगा।
- (घ) यह दर्शाने के लिए एक पृथक उपधारा जोड़ी जाए कि किसी पालिसी के आंशिक समनुदेशन और अंतरण के भागों में बीमाकर्ता का दायित्व आंशिक समनुदेशन और अंतरण द्वारा प्रतिशुद्धि राशि तक ही सीमित रहेगा और ऐसे पालिसीधारी को उसी पालिसी के अधीन अवशिष्ट देय राशि का आगे समनुदेशन और अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा।

- (ङ) उपबंध में, इसे समस्त वैयक्तिक स्वरूप के गैर जीवन बीमा कारोबारों के लिए लागू करने हेतु समुचित संशोधन किया जाए।
- (च) कठिपय सुरक्षोपायों की व्यवस्था करने के लिए धारा 38 में संशोधन किया जाना चाहिए। पालिसीधारी को समनुदेशन के कारण, समनुदेशिती का विवरण तथा वे निश्चित शर्तें बतानी होगी जिन पर समनुदेशन किया जा रहा है। बीमाकर्ता का दायित्व होगा कि वह बीमा किए गए व्यक्ति की लागत पर समनुदेशिती के प्रत्ययपत्रों की जांच कराए। यदि बीमाकर्ता समनुदेशन के सद्भावपूर्ण होने से संतुष्ट नहीं है तो समनुदेशन या अंतरण को रजिस्टर करने से इंकार किया जा सकेगा और उसके कारणों के बारे में पालिसीधारी को लिखित रूप में सूचना देनी होगी और इस निर्णय के विरुद्ध शिकायत समाधान प्राधिकरण में याचिका दायर की जा सकेगी। (पैरा 6.1.18)
- (xii) उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए धारा 38 संशोधित की जानी चाहिए। धारा 38 पैरा 6.1.19 में उपबंधित के अनुसार पुनर्प्रिपित की जानी चाहिए।
- (xiii) नामनिर्देशन से संबंधित धारा 39 के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- (क) हिताधिकार नामनिर्देशिती और संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती के बीच स्वयं उपबंध में स्पष्ट अन्तर किया जाना चाहिए।
- (ख) कठिपय बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए इस सुझाव से सहमत होना संभव नहीं है कि सभी भागों में नामनिर्देशिती को संदाय करने पर पालिसी के अधीन बीमाकर्ता के दायित्वों का पूर्ण निर्वहन समझा जाएगा और यह कि जब तक इसके विपरीत आपत्ति नहीं की जाती, नामनिर्देशिती हिताधिकारी नामनिर्देशिती होगा।
- (ग) पालिसीधारी को स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्या नामनिर्देशिती विधिक प्रतिनिधियों की ओर से धनराशि प्राप्त करेगा (दूसरे शब्दों में, ऐसा नामनिर्देशिती संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती होगा) या क्या नामनिर्देशिती धनराशि का पूर्ण स्वामी होगा और इस प्रकार ऐसा नामनिर्देशिती हिताधिकारी नामनिर्देशिती होगा।
- (घ) पालिसीधारी की पालिसी परिपक्व हो जाने के पश्चात परन्तु पालिसी राशि का संदाय प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी की रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन प्रभावी बनाने हेतु एक परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए। (पैरा 7.1.14)
- (xiv) सिफारिश किए गए उपर्युक्त परिवर्तन निर्दिष्ट करने के लिए धारा 39 संशोधित की जानी चाहिए। धारा 39 पैरा 7.1.15 में उपबंधित के अनुसार पुनर्प्रिपित की जानी चाहिए।
- (xv) शक्तियों तथा कठिपय अन्य उपबंधों के बारे में विधि आयोग की अन्तिम सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- (क) धारा 102 से 105ग में विहित की गई शास्तियों की राशि बढ़ाई जाए ताकि यह भयकारी स्वरूप की हो जाए।
- (ख) जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.3.8 में दर्शाया गया है शास्तियां, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णय/अन्वेषण अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने के पश्चात न्यायनिर्णय और उद्ग्रहीत की जाएंगी। यह स्थिति दर्शाने के लिए उपबंधों में तदनुसार संशोधन किए जाएंगे।
- (ग) धारा 53(2)(ख) के संबंध में, जो उन आधारों के बारे में है जिन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा परिसमाप्त के लिए आवेदन कर सकेगा, क्योंकि उपधारा (2) के खंड (i), (ii) और (iii) उन्हें आधारों से संबंधित हैं जिन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण धारा 3(4) के अधीन किसी बीमा कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है, इन खंडों का लोप कर दिया जाना चाहिए। तथापि, खंड (iv) यथावत रखा जाना चाहिए। धारा 53 की उपधारा (1) में कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देश के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

- (घ) स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित धारा 54 के संबंध में, उपबंध में इस आधार के सिवाय, कि अपने दायित्वों के कारण से वह अपना कारबार जारी नहीं रख सकेगी, परिसमाप्त नहीं की जानी चाहिए।
- (ङ) धारा 58 की उपधारा (3) और (4) में आंशिक परिसमापन की योजना के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देश के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के निर्देश प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उपधारा (4) में 'कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 12 शब्दों के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 15 प्रतिस्थापित किया जाए और धारा 15 तथा 16 के स्थान पर धारा 17' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (च) धारा 52क से 52छ के संबंध में, जो प्रशासक द्वारा प्रबंधन के बारे में है, उपबंध में ऐसा प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि, बीमाकर्ता को अवसर प्रदान करने और पालिसीधारी को हित पर विचार करने के पश्चात, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मत यह है कि जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए कोई प्रशासक नियुक्त करना आवश्यक तथा समीचीन है तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आदेश जारी करके ऐसा कर सकेगा। प्रशासक वे परिलक्षियां अभिप्राप्त करेगा जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की जाएंगी। यदि नियुक्त किया गया पहला प्रशासक बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन में असमर्थ रहता है तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा। उपर्युक्त सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए धारा 52क की उपधारा (1), (2) और (3) संशोधित की जानी चाहिए।
- (छ) धारा 52क में ऐसी अवधि का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए जिसके लिए मूलतः कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। धारा 52छ के प्रस्तावित उपबंधों के अध्यधीन अधिनियम में इस सीमा को उपबंधित किया जाना समीचीन होगा क्योंकि धारा 52खख(9) प्रशासक को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है, इसलिए धारा 52क में यह दर्शाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि इस प्रकार नियुक्त प्रशासक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अर्हता प्राप्त और सक्षम होगा।
- (ज) इस आशय का उपबंध करने के लिए धारा 52खख(2) में संशोधन किया जाना चाहिए कि प्रशासक के आदेशों के विरुद्ध अपील बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में की जा सकेगी।
- (झ) प्रशासक की नियुक्ति को समाप्त करने से संबंधित धारा 52 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को नियुक्ति आदेश को रद्द करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।
- (ञ) धारा 52च के अधीन प्रशासक को संपत्ति के दस्तावेज न देने के लिए दंड के रूप में जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए की जानी चाहिए।
- (ट) धारा 52छ में उपबंधित, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का विस्तार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए भी किया जाना चाहिए।
- (ठ) उपर्युक्त संशोधन की दृष्टि से, धारा 52इ में 'केन्द्रीय सरकार, शब्दों के स्थान पर' बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
- (ड) धारा 52ज से 52छ तक परिवर्तित नीति की दृष्टि से निकाल दी जानी चाहिए जिनके अन्तर्गत प्राइवेट व्यक्तियों को बीमा कारबार करने की अनुज्ञा दी गई है।
- (ढ) निक्षेपों की वापसी से संबंधित धारा 59 में आए 'या धारा 98' शब्दों और अंकों का लोप किया जाए।
- (ण) इस आशय के स्पष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय बीमा कम्पनी के अतिरिक्त कोई अन्य बीमाकर्ता भारत में किसी वर्ग का भी बीमा कारबार आरम्भ नहीं कर सकेगा, विदेशी कम्पनियों से संबंधित धारा 62 से 64 तक के उपबंध निरसित कर दिए जाने चाहिए।

- (त) धारा 64पठ में 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के स्थान पर 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
- (थ) अध्यर्पण मूल्यों के अर्जन से संबंधित धारा 113(1) यह दर्शाने के लिए संशोधित की जाए कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण समादरत मूल्य और वार्षिकी की न्यूनतम राशि समय-समय पर अधिसूचित कर सकेगा।
- (xvi) वर्तमान निर्देश के क्षेत्र तथा अन्तर्गत विषयों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग सर्वेक्षकों तथा क्षति निधारिकों, विनिधार, टैरिफ, शेयरधारक और पालिसीधारकों की निधियों तथा विदेशी शेयरधारित की सीमा से संबंधित उपबंधों के बारे में कोई सिफारिश करना उपर्युक्त नहीं है।
- 10.1.2 हम, इस रिपोर्ट तथा परामर्शीपत्र के तैयार करने में डा. एस. मुरलीधर, अंशकालिक सदस्य, विधि आयोग द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं।
- हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।
- ह०/—
- (न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव)
- अध्यक्ष
- ह०/—
- (डा० एन० एम० घटाटे)
- उपाध्यक्ष
- ह०/—
- (डा० के० एन० चतुर्वेदी)
- सदस्य-सचिव
- तारीख: 1 जून, 2004

पुनरीक्षण के कतिपय अनन्तिम आधार:

6.3 विधि आयोग ने जिस आधार पर बीमा अधिनियम, 1938 का पुनरीक्षण करने का वर्तमान कार्य आरम्भ किया है उनमें से कतिपय आधार नीचे दिए जा रहे हैं:

- I. बीमा अधिनियम, 1938 साम्राज्यवादी युग का विधान है और इसमें ऐसे उपबंध अन्तर्विष्ट हैं जो अनावश्यक हो गए हैं और इसलिए उनके निकाले जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, शेमदा सोसाइटी, पारस्परिक बीमा कम्पनियों तथा मूल अभिकर्ता, मुख्य अभिकर्ता और विशेष अभिकर्ता संबंधी उपबंध तथा उनके निर्देश अब आवश्यक नहीं रहे हैं और ऐसे उपबंधों को निकाले जाने की आवश्यकता है।
- II. अधिनियम के कतिपय उपबंध संक्रमणकालीन स्वरूप के हैं और इसलिए उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत आने वाले विषय, पुनरावृत्ति से बचने के लिए अधिनियम से निकाल दिए जाने चाहिए। बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 में कतिपय उपबंध जोड़े गए हैं जिनका आशय कतिपय विद्यमान उपबंधों को अकृत करना है। उन्हें निकाला नहीं गया है, जिससे विसंगतियां पैदा हो गई हैं, उदाहरण के लिए, 'बीमा कम्पनी' की परिभाषा [धारा 2(8)] ऐसे उपबंधों को निकाल दिया जाना चाहिए।
- III. बीमा अधिनियम, 1938 में पुरानी अधिनियमियतियों के निर्देशों के स्थान पर तदनुरूपी नए विधानों, जो पुराने अधिनियमों के स्थान पर प्रतिस्थापित हुए हैं, के निर्देश प्रतिस्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देशों के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के निर्देश प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- VI. बीमा क्षेत्र, जो पहले जीवन और समुद्री बीमा जैसे कुछ क्षेत्रों में ही कार्यरत था, अब उनका विस्तार विभिन्न प्रकार के जोखिम के कार्यों के लिए हो गया है। इस प्रकार, बीमा कारबार का पुनर्वर्गीकरण आवश्यक हो गया है। उदाहरण के लिए, बीमा कारबार को मोटे तौर पर जीवन और गैर जीवन और अल्पावधि या दीर्घावधि बीमा कारबार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रयोजन से बीमा और बीमाकर्ता की परिभाषा संशोधित करनी होगी।
- V. बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण अधिकांशतः: अपनी शक्तियों का प्रयोग मूल अधिनियम के अधीन करता है। अतः यह समीचीन तथा आवश्यक है कि बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण के सुसंगत उपबंधों का बीमा अधिनियम, 1938 में विलय कर दिया जाए।
- VI. बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण प्रशासनिक शक्तियों के साथ-साथ बीमाकर्ताओं के बीमा कार्यों को विनियमित करते समय अर्ध-न्यायालयिक शक्तियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, बीमाकर्ताओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, उसका नवीकरण करना तथा उसे रद्द करना, बीमाकर्ताओं के कार्यों की जांच करने के बारे में आदेश देना, बीमा कम्पनियों को बंद करने के लिए न्यायालय में आवेदन करना, बीमा अधिकर्ताओं आदि के लिए लाइसेंस जारी करना। यह आवश्यक है समझा गया है कि बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध स्वयं अधिनियम के अधीन गठित किए गए निकायों को अपील करने का उपबंध होना चाहिए।
- VII. बीमा कारबार कई गुना बढ़ गया है और यह भी जबकि पालिसीधारक बीमा कम्पनियों के कार्यकरण से विशेषकर दावों के तय किए जाने के मामले में पूर्णतया संतुष्ट नहीं है। यद्यपि इस समय, लोक शिकायत नियम, 1998 के अधीन अम्बड़समैन का कार्यालय है, फिर भी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन गठित उपभोक्ता फोरम में की जाती हैं। अधिक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध कराने के लिए, जबकि इसकी स्थापना से उपभोक्ता फोरम का भारत में कार्य कर जाएगा, यह प्रस्ताव किया गया है कि एक पूर्ण शक्ति सम्बन्ध शिकायत समाधान तंत्र होना चाहिए।

परिशिष्ट-I

बीमा अधिनियम, 1938 के पुनरीक्षण के बारे में भारत के विधि आयोग का परामर्शपत्र

(पैरा 1.6.1)

6. बीमा अधिनियम, 1938 के पुनरीक्षण के आधार:

6.1 इस संदर्भ में, और बदलते आर्थिक परिदृश्य में, यह महसूस किया जा रहा है कि बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण को बीमा कारबार के विनियमन और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तदनुसार, यह महसूस किया गया है कि बीमा अधिनियम, 1938 के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की आवश्यकता है। इस कारण से भारत के विधि आयोग को यह निर्देश किया गया है।

6.2.1 अधिनियम का पुनरीक्षण इस प्रकार से किया जाना है कि इससे न केवल बीमा कारबार को प्रोत्साहन मिले अपिनु पालिसीधारकों के हितों का भी संरक्षण हो और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण को सामर्थ्यवान बनाए। अधिनियम का पुनरीक्षण करते समय अन्य संबंधित विधियों का भी पुनरीक्षण करना होगा तथा बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के सुसंगत उपबंधों का आवश्यक उपांतरणों के साथ, मूल अधिनियम में विलय करना होगा। वास्तव में, बीमा विधियों के पुनरीक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने समय की आवश्यकता है।

6.2.2 बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 में विलय करने की आवश्यकता का कारण एक ऐसा विधायी तंत्र स्थापित करने के लिए, जो विनियमक तंत्र को सुदृढ़ बनाते हुए विनियमक प्राधिकरण के कार्यकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाविष्ट कर सके, एकीकृत दृष्टिकोण बनाना है। बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन समनुदिष्ट किए गए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण के गठन और कार्यों के बारे में एक पृथक विधान रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम तैयार किया जा रहा था, बीमा अधिनियम, 1938 के विस्तृत पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई थी परन्तु समयाभाव के कारण यह कार्य नहीं हो सका। अब, बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के अनुभव से और बीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से कई बार चर्चा करने के पश्चात, बीमा अधिनियम, 1938 का पुनरीक्षण संभव प्रतीत होता है।

6.2.3 बीमा अधिनियम, 1938 के पुनरीक्षण के वर्तमान कार्य में निम्नलिखित क्षेत्रों को नहीं लिया गया है:

I. समुद्री बीमा अधिनियम, 1963

II. मोटरयान बीमा

III. अग्नि बीमा

IV. साधारण बीमा कारबार में तीसरे पक्ष के जोखिम को शासित करने वाले सिद्धान्त।

दूसरे शब्दों में, पुनरीक्षण का वर्तमान कार्य, बीमा क्षेत्र में उपर्युक्त निर्देशित विकास तथा बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 में विलय करने की दृष्टि से, बीमा अधिनियम, 1938 की पुनर्संरचना तक सीमित है। उपर्युक्त (I) से (IV) तक में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विस्तृत और पृथक अध्ययन की आवश्यकता होगी जो इस समय आवश्यक नहीं है।

- VIII. परम विश्वास के सिद्धान्त से बीमा संविदा के दोनों पक्षकार शासित होते हैं। यद्यपि मानकीकृत बीमा पालिसियां कतिपय आमक संविदा उपबंधों का निषेध करती हैं, फिर भी जब बीमा अधिकर्ताओं द्वारा जोखिम वर्णकरण के लिए व्यक्तिगत विशिष्टताओं का विवरण एकत्र किया जाता है तब अशुद्ध कथन या तथ्य प्रकट न किए जाने के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में, प्रश्न यह है कि क्या किसी तात्त्विक सूचना के प्रकट किए जाने में असफलता संविदा को शून्य या शून्यकरणीय बना देगा। इस प्रयोजन से, पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कतिपय विशिष्ट संविधिक उपबंध अपेक्षित हैं ताकि तथ्यों को प्रकट करने में जानबूझकर न की गई छोटी-मोटी त्रुटियों के परिणामस्वरूप पालिसी के निकारकरण से हानि न हो।
- IX. विनिधान, ऋण तथा प्रबंधन संबंधी उपबंधों के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की आवश्यकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने विस्तृत विनिधान विनियम बनाए हैं। इसलिए, असंगतियों तथा पुनरावृत्तियों से बचने के लिए पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। 'स्वीकृत प्रतिभूतिया' शब्द को नई आर्थिक नीतियों तथा कारबार व्यवहारों के संदर्भ में पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है।
- X. जहां तक शोधन क्षमता की संगणना के प्रयोजन से आस्तियों के मूल्यांकन का संबंध है, 'अनुसंधान और विकास' तथा 'प्रोटोटाइपिंग की उभयक' के क्षेत्र में विनिधान करने हेतु बीमाकर्ताओं को उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए इस समय मूल अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। एक यह सुझाव दिया गया है कि शोधन क्षमता के प्रयोजन से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित क्षेत्रों में विनिधान/व्यवहारों का कोई भाग लेने के लिए मूल अधिनियम में कतिपय उपबंधों को जोड़ा जाना समुचित होगा ताकि ऐसे विनिधान के लिए बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- XI. मूल अधिनियम के शोधन क्षमता संबंधी उपबंध बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधित किए गए हैं। परन्तु अभी भी इन उपबंधों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि उनमें नियंत्रण स्तर के बिना शोधन क्षमता के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है अर्थात् एक ऐसी स्थिति जिसके नीचे प्राधिकरण को किसी विशिष्ट अधिकर्ता के बारे में चेतावनी मिल सकती है। मूल अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि जब कभी शोधन क्षमता नियंत्रण स्तर से नीचे आती है तब प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त हो। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने दायित्वों, शोधन क्षमता तथा आस्तियों के मूल्यांकन की राशि का विनिश्चय करने के लिए विनियम बनाए हैं। परन्तु शोधन क्षमता संबंधी उपबंधों में आस्तियों और दायित्वों का समुचित अनुपात दर्शाया जाना अभी भी शेष है।
- XII. मूल अधिनियम तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम केन्द्रीय सरकार को तथा प्राधिकरण को नियम तथा विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। विनियामक व्यवस्था के संदर्भ में इनको संशोधित करने और अधिनियम के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- XIII. अधिनियम के उपबंधों, विनियमों या धारा 102 से 105ग तक के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने या पालन न किए जाने के लिए अधिनियम के प्रकीर्ण भाग में शास्तियों के लिए उपबंध किए गए हैं। इन उपबंधों के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि इनमें उपबंधित जुमानी या शास्ति की राशि अब जुमानी या शास्ति की राशि के रूप में पर्याप्त राशि नहीं है। इन उपबंधों के अतिरिक्त भी ऐसे उपबंध हैं जिनमें अन्य उपबंधों के साथ आज्ञापक अनुपालन की अपेक्षा करते हुए दंड का प्रावधान है। शास्ति से संबंधित सभी विशिष्ट खंडों को शास्तियों वाले अध्याय में लाना समुचित होगा।

#### 7. बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के पुनरीक्षण की योजना

7.1 बीमा अधिनियम के पुनरीक्षण के प्रयोजन से वर्तमान विधियों के प्राथमिक अध्ययन के परिणामस्वरूप यहां मूल अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव करने का प्रयास किया गया है। भारत के विधि आयोग ने प्रारम्भ में

एक प्रस्ताव तैयार किया और बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तथा बीमा क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ चर्चा की। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया कि बीमा अधिनियम, 1938 के पुनरीक्षण का कार्य निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया जाए:

- (i) बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों की बीमा अधिनियम में विलय;
- (ii) परिभाषाओं में परिवर्तन, उपबंधों का निकाला जाना तथा अन्य संशोधन;
- (iii) बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण की शक्तियां;
- (iv) अधिनियम के अधीन बीमाकर्ताओं के दायित्व;
- (v) पालिसीधारकों के हित;
- (vi) टैरिफ सलाहकार समिति-गठन तथा शक्तियां;
- (vii) शिकायतों/दावों का समाधान तथा इसके लिए आवश्यक तंत्र;
- (viii) दांडिक उपबंध; और
- (ix) प्रकीर्ण उपबंध।

#### 8. पुनरीक्षण के प्रस्ताव

##### 8.1 बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों का बीमा अधिनियम में विलय:

8.1.2 प्राधिकरण अधिकांशतः उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रयोग अब तक मूल अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा किया जाता था, उदाहरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देना, निलम्बित करना और रद्द करना। यह बात नोट की जानी चाहिए कि मूल अधिनियम में प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध नहीं है अपितु धारा 2ख में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के उपबंधों का निर्देश करते हुए प्राधिकरण के अधिक्रमण का उपबंध किया गया है। इस संबंध में, पुनरावृत्ति से बचने के लिए, मूल अधिनियम की धारा 2ख(1) का लोप किया जाना चाहिए और उपधारा (2) के उपबंध रहने दिए जाने चाहिए। इस संबंध में, बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से संबंधित उपबंधों का मूल अधिनियम में विलय करना ही सर्वोत्तम उपाय होगा।

8.1.3 इस प्रयोजन के लिए, धारा 2 में दी गई परिभाषाओं का मूल अधिनियम के परिभाषा वाले भाग में विलय किया जाए। स्थापना और प्राधिकरण के बारे में अन्य आनुषांगिक विषयों से संबंधित 1999 के अधिनियम का अध्याय-दो (धारा 3-12), प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कार्यों से संबंधित अध्याय-चार (धारा 14), केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान, बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण निधि, लेखा और संपरीक्षा के बारे में अध्याय-पांच (धारा 15-17), केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के बारे में अध्याय-छह (धारा 18, 23 और 25), एक साथ करके मूल अधिनियम के भाग-दो से पूर्व 'बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण' शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तावित भाग-I के अधीन मूल अधिनियम में विलय कर दिए जाएं। केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाली धारा 24, प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाली धारा 26, नियमों और विनियमों को संसद के सदनों में रखने का उपबंध करने वाली धारा 27, मूल अधिनियम की क्रमशः धारा 114 और 114क में विलय की जाएं। धारा 28, मूल अधिनियम में धारा 114क के पश्चात् जोड़ी जा सकेंगी।

8.1.4 प्रस्तावित विलय से बीमाकर्ता और बीमा किए गए व्यक्तियों, अधिकर्ताओं तथा सर्वेक्षकों, बीमांककों तथा संपरीक्षकों, वकीलों तथा मुकदमेबाजों को न केवल बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की भूमिका समझने में सहायता मिलेगी अपितु सभी उपबंध एक स्थान पर ही देखे जा सकेंगे।

8.1.5 तत्काल निर्देश के लिए, बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों का बीमा अधिनियम में विलय की योजना दर्शाने वाली एक तालिका नीचे दी जा रही है। मुख्य रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-IV के रूप में संलग्न किया गया है, अतः उसे यहां देने की आवश्यकता नहीं है।

### 8.2 परिभाषाओं में परिवर्तन, उपबंधों का निकाला जाना तथा अन्य संशोधन:

8.2.1 विधायी परिवर्तनों, 'नियंत्रक' और 'बीमा महानियंत्रक' के स्थान पर बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण की स्थापना के कारण 'साधारण बीमा', 'जीवन बीमा कारबार' और 'बीमाकर्ता' जैसे विभिन्न शब्दों की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता है। 'बीमाकर्ता' शब्द को विस्तृत रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में किसी भी संदिग्धार्थ को दूर किया जा सके। इस शब्द का अभिप्राय भारतीय बीमा कम्पनियों और बीमा सहकारी समिति से होना चाहिए। इस शब्द के अन्तर्गत सरकारी संगठनों को अपवादों/छूटों के अन्तर्गत लिए जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

8.2.2 कतिपय शब्दों को परिभाषा भाग से निकाले जाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, धारा 2 के खंड (12) और (13) में प्रबंधक, अधिकारी और प्रबंधकारी अभिकर्ता जैसे शब्द। इसी प्रकार, खंड (16) और (17) में गैर सरकारी और सरकारी कम्पनी और विशेष अभिकर्ता जैसे शब्द। बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम की सुसंगत परिभाषाओं का आवश्यक संशोधनों के साथ मूल अधिनियम की धारा 2 में विलय कर दिया जाना चाहिए।

8.2.3 तत्काल निर्देश के लिए, परिभाषाओं में अपेक्षित परिवर्तन और कतिपय उपबंधों का संशोधन (बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित उपबंधों के अतिरिक्त) दर्शाने वाली एक तालिका इस पत्र के साथ परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न की जा रही है। निर्धारक/अनावश्यक हो जाने के कारण निकाले जाने वाले उपबंध पृथक तालिका में परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

8.2.4 बीमा अधिनियम, 1938 में बहुत से उपबंध ऐसे हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है। धारा 52ज से 52ड तक में अन्तर्विष्ट बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के अर्जन संबंधी उपबंधों की अब आवश्यकता नहीं है। धारा 62 से धारा 64 तक में अन्तर्विष्ट विदेशी कम्पनियों के बारे में विशेष उपबंध भी अब सुसंगत नहीं रह गए हैं क्योंकि वर्तमान योजना ऐसी विदेशी कम्पनियों को अनुश्वान नहीं देती है। शेमदा सोसाइटी से संबंधित समस्त भाग-तीन और पारस्परिक बीमा कम्पनियों और सहकारी जीवन बीमा सोसाइटीयों से संबंधित भाग-चार भी अब सुसंगत नहीं रह गया है। इन भागों में अन्तर्विष्ट उपबंधों को निकाले जाना चाहिए। निकाले जाने वाले इन उपबंधों को परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

### 8.3 बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण की शक्तियां

8.3.1 बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण की शक्तियों में रजिस्ट्रीकरण करना, रजिस्ट्रीकरण से इंकार करना, उसे रद्द या निलम्बित करना या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करना सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है जो नीचे दी गई एक तालिका में दर्शाए गए हैं। (मुख्य रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-V के रूप में संलग्न की गई है और यहां उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है)

8.3.2 जहां तक बीमाकर्ताओं के कार्यों का पुनर्मूल्यांकन, अन्वेषण, तलाशी तथा अभिग्रहण तथा प्रबंधकीय स्तर के व्यक्तियों की नियुक्तियां तथा उनको हटाए जाने के बारे में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण की अन्य शक्तियों का संबंध है, प्रस्तावित परिवर्तन नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं। (मुख्य रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-VI के रूप में संलग्न की गई है और यहां उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है)

### 8.4 अधिनियम के अधीन बीमाकर्ताओं के दायित्व

#### 8.4.2 (i) बीमाकर्ता के नाम के बारे में निर्बंधन (धारा 5)

(क) निश्चेप (धारा 7)

(ख) खातों और निधियों का पृथक्करण (धारा 10)

(ग) लेखा और तुलनपत्र (धारा 11)

(घ) लेखापरीक्षा (धारा 12)

(ङ) बीमाकर्ता रिपोर्ट और संक्षिप्तियां (धारा 13)

(च) पालिसीयों का रजिस्टर रखा जाना (धारा 14)

(छ) विवरणियों का दिया जाना (धारा 15)

(ज) भारत के बाहर स्थापित बीमाकर्ताओं द्वारा विवरणियां (धारा 16)

(झ) विनिधान (धारा 27)

(ञ) नियंत्रित निधि का विनिधान (धारा 27क)

(ट) साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा विनिधान (धारा 27ख)

(ठ) भारत के बाहर विनिधान किया जाना (धारा 27ग)

(ड) आस्तियों के विनिधानों का विवरण दिया जाना (धारा 28)

(ढ) विनिधानों की विवरणी दिया जाना (धारा 28क और ख)

(ण) उधारों का प्रतिषेध (धारा 29)

(त) आस्तियों का रखा जाना (धारा 31)

(थ) अत्यधिक परिश्रमिक के संदाय पर निर्बंधन (धारा 31ख)

(द) प्रबंध अभिकर्ताओं के नियोजन पर निर्बंधन (धारा 32)

(ध) सम्मिलित अधिकारियों का प्रतिषेध (धारा 32क)

(न) ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में दायित्व (धारा 32क और ख)

(प) समामेलन के पश्चात विवरण (धारा 37क)

(फ) कमीशन के संदाय का प्रतिषेध (धारा 40)

(ब) नवीकरण कमीशन का संदाय [धारा 40(2क)]

(भ) दाययोग्य कमीशन (धारा 44)

(म) प्रबंध के व्ययों की परिसीमा (धारा 40ख और ग)

(य) रिबेटों का प्रतिषेध (धारा 41)

(कक) बीमा अभिकर्ताओं का रजिस्टर (धारा 43)

(खख) लाभांशों और बोनसों का निर्बंधन (धारा 49)

(गग) विभाजन सिद्धान्त कारबार करने का प्रतिषेध (धारा 52)

(घघ) शोधन क्षमता बनाए रखना (धारा 64फ और फक)

(ङङ) नए स्थान पर कारबार खोलने पर निर्बंधन (धारा 64फग)

8.4.2 उपर्युक्त के संबंध में, बहुत से संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है और इन्हें परिशिष्ट-II की तालिका में दर्शाया गया है। इनके अतिरिक्त ऐसे भी उपबंध हैं जिनके निकाले जाने की आवश्यकता है और इन्हें परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

### 8.5 पालिसीधारकों के हित

#### 8.5.1 प्रस्तावों और चिकित्सा रिपोर्टों की प्रतियों की आपूर्ति

जीवन बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता का धारा 52 के अधीन यह दायित्व है कि वह पालिसीधारकों, बीमाकर्ता के प्रस्ताव में और उससे संबंधित दी गई चिकित्सा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट पालिसीधारक से पूछे गए प्रश्न और उसके द्वारा उनके दिए गए उत्तरों की प्रमाणित प्रतियों, पालिसीधारक के आवेदन करने और फीस का संदाय करने पर जो एक रूपए से अधिक नहीं होगी, उपलब्ध कराएं। चिह्नित फीस अत्यधिक अपर्याप्त है। इस प्रयोजन के लिए लौ जाने वाली फीस का विनियमों में विहित किया जाना समुचित होगा। अतः इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिए।

### 8.5.2 पालिसी के व्यपगत होने पर विकल्पों की सूचना दिया जाना

जीवन बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता को मूल अधिनियम की धारा 50 के अधीन जीवन पालिसीधारक को, उस तारीख से, जिसको जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम की राशि संदेश थी परंतु संदाय नहीं किया गया था, तीन मास की अवधि के पूरा होने से पूर्व, उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचना देनी होगी जब तक कि ये विकल्प पालिसी में न दिए गए हों।

जीवन बीमाकर्ता द्वारा दी गई सूचना निश्चित रूप से पालिसी के व्यपगत होने से पूर्व दी गई सूचना है और यह बास्तव में पालिसीधारक के हितों का संरक्षण करती है। परन्तु इस धारा के उपबंध सूचना में इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि बीमा किए गए व्यक्ति के लिए पालिसी व्यपगत होने के बारे विकल्प पालिसी में दिए गए हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि चाहे पालिसी में विकल्पों का विवरण दिया गया भी हो, ऐसी सूचना दी जाने की आवश्यकता है क्योंकि जीवन बीमा पालिसियां दीर्घकालिक होती हैं और साधारणतया इन विकल्पों पर पालिसीधारक द्वारा संभवतया कभी ध्यान दिया जाता है। इसलिए, “जब तक ये पालिसी में न दिए गए हों” शब्दों का लोप किया जाना चाहिए जो बिना शर्त सूचना दिया जाना आवश्यक बनाएगा।

### 8.5.3 किसी पालिसी पर दो वर्ष के पश्चात अशुद्ध कथन के आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकेगा

8.5.3.1 धारा 45 पालिसी के अधीन अपने दायित्व का निराकरण करने से बीमाकर्ता के अधिकार को निर्बन्धित करती है। इस धारा में यह उपबंध किया गया है कि किसी जीवन बीमा पालिसी पर उसके किए जाने की तारीख से दो वर्ष के पश्चात पालिसी में किए गए अशुद्ध कथन के आधार पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा जब तक कि यह नहीं दर्शाया जाता कि धारा 45 के दूसरे भाग में उपवर्णित तीनों शर्तें पूरी होती हैं अर्थात् (i) कथन तात्त्विक तथ्य के बारे में किया गया था, (ii) तात्त्विक तथ्य छिपाया गया था जिसका प्रकट करना तात्त्विक था या कथन पालिसीधारक द्वारा कपटपूर्वक किया गया था, और (iii) कथन करते समय पालिसीधारक जानता था कि वह मिथ्या था या उसने तात्त्विक तथ्य छिपाया था।

8.5.3.2 यह धारा बीमा किए गए व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधि को होने वाली अत्यधिक हानि और कठिनाईयों से बचाने के लिए अधिनियमित की गई थी क्योंकि बीमाकर्ता पालिसी के कई वर्ष तक प्रभावी रहने के उपरांत भी बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा अशुद्ध कथन के कारण चाहे वह तात्त्विक था अथवा नहीं, जीवन बीमा पालिसी की संविदा का निराकरण कर देते थे और उस मामले में बीमाकर्ता सभी प्रीमियम राशियों का भुगतान सम्पूर्ण कर लेते थे। इस प्रकार, उपबंध के कार्यकरण से परमविश्वास के नियम का न्यूनीकरण होता था। जीवन बीमा संविदाएं मूलतः इस नियम से शासित होती हैं और निष्पक्ष और ईमानदारी से व्यवहार करने का दायित्व समान रूप से दोनों पक्षों पर है।

8.5.3.3. इस धारा के उपबंध पालिसी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक बीमाकर्ता के अधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं, परन्तु उसके पश्चात्, किसी भी पालिसी पर इस आधार पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि प्रस्ताव में किया गया कथन अशुद्ध था या चिकित्सा अधिकारी की किसी रिपोर्ट में किया गया कथन गलत या मिथ्या था जब तक कि उसका प्रकट किया जाना तात्त्विक नहीं था और यह कपटपूर्वक नहीं किया गया था। तथापि, इस धारा के उपबंध बीमाकर्ता को किसी ऐसी पालिसी का, उपर्युक्त कारणों के आधार पर, तात्त्विक होते हुए भी, निराकरण करने का अधिकार नहीं देते हैं जो पालिसी दो वर्ष से कम अवधि के लिए प्रभावी रही हो।

8.5.3.4 विगत वर्षों में, जब बीमा अभिकर्ताओं द्वारा जोखिम वर्गीकरण के लिए व्यक्तिगत विशिष्टाओं का विवरण एकत्र किया गया है तब दुर्व्यपदेशन या तथ्य प्रकट न किए जाने जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस विषय से संबंधित विधिक प्रश्न सामान्यतया बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा तात्त्विक जानकारी प्रकट किए जाने पर केन्द्रित है। इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि ऐसा तथ्य प्रकट न किए जाने के कारण कोई संविदा कब शून्य या शून्यकरणीय होगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत से निर्णय दिए हैं जिनमें दो वर्ष के पश्चात्, यदि बीमाकर्ता कपट या तथ्यों को छिपाए जाने के आधार पर, जिनका प्रकट किया जाना तात्त्विक था, दावे का निराकरण करना चाहता है तब, सावित करने का भार बीमाकर्ता पर आ जाएगा। (उदाहरण के लिए, मिट्टु लाल नायक बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम: एआईआर 1962 सु.को. 814 और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम श्रीमती चन्नाबासम्मा (1991) 1 एस सी सी 357)

8.5.3.5 भारत के विधि आयोग ने 1985 में अपनी 112वीं रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में जीवन बीमा निगम द्वारा दावों के निराकरण के प्रश्न पर विचार किया था। बीमाकर्ताओं तथा पालिसीधारकों के विचारों और निर्णय रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् धारा 45 में यह उपबंधित करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि:

- (1) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर, उस तारीख से, जिसको वह की गई हो या किसी कारण से व्यपगत हो जाने के पश्चात् पुनर्जीवित की गई हो, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी जीवन बीमा पालिसी पर, उस तारीख से, जिसको वह पुनर्जीवित की गई हो, तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय इस आधार पर आक्षेप किया जा सकेगा कि बीमा प्रस्थापना में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके कारण वह पालिसी दी गई है, किया गया कथन, जो जिस व्यक्ति का बीमा किया या है उसकी जीवन प्रत्याशा के बारे में तात्त्विक कथन है, अशुद्ध है।

8.5.3.6 यह प्रस्ताव किया जाता है कि विधि आयोग ने अपनी 112वीं रिपोर्ट में जिन उपर्युक्त परिवर्तनों की सिफारिश की थी, उनकी फीस से सिफारिश की जाए। यह आशा की जाती है कि इससे पालिसीधारकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा हो सकेगी।

### 8.5.4 बीमाकर्ताओं के निदेशकों का पालिसीधारकों द्वारा निर्वाचित

अधिनियम की धारा 48 में यह उपबंध किया गया है कि बीमा कंपनी के निदेशकों में से एक चौथाई निदेशक बीमा पालिसीधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और इसके साथ ही धारा में ऐसे निर्वाचन के लिए पालिसीधारकों की पात्रता संबंधी अपेक्षाएं भी उपबंधित की गई हैं। राष्ट्रीयकरण और जीवन बीमा निगम की स्थापना के साथ यह धारा असंगत हो गई है और इसे बहुत पहले निरसन कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में और इस क्षेत्र में गैर सरकारी कंपनियों के आ जाने से इन उपबंधों पर विशेषकर बीमाकर्ता सहकारी समितियों के मामले में, जहां निदेशकों का निर्वाचन न केवल समितियों के सदस्यों द्वारा अपितु पालिसीधारकों द्वारा भी किया जाता है क्योंकि समिति के बहुत से सदस्य पालिसीधारक भी होते हैं।

इस धारा को निकालने का सुझाव पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण संबंधी विनियमों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो उनके हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। यहां यह बात नोट की जा सकेगी कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में भी उपर्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त, शोधन क्षमता और विनिधान संबंधी उपबंध भी उनके हितों को सुरक्षित रखते हैं। यदि इस धारा का निरसन किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप धारा 114(2)(च) को भी निकालने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार को धारा 48 के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ, बीमा नियमों के नियम 13, 14 और 15 को भी निकालना होगा क्योंकि उनमें पालिसीधारकों द्वारा निदेशकों के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है।

इस सुझाव पर विचार किया जा सकेगा परंतु बीमा सहकारी समिति के मामले में, निदेशकों का निर्वाचन सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इन सदस्यों में बहुत से सदस्य पालिसीधारक भी होते हैं और इस प्रकार निर्वाचन पालिसीधारकों द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार, इसे ध्यान में रखते हुए इस धारा का निरसन समुचित नहीं होगा।

### 8.5.5 जीवन बीमा अभिकर्ता बीमा कंपनियों के निदेशक नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे

8.5.5.1 धारा 48 के पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से जीवन बीमा अभिकर्ताओं के बीमा कंपनियों के निदेशक होने या रहने का निषेध करती है। इस धारा में विहित निरहता साधारण बीमा कारबार करने वाले अभिकर्ताओं के लिए भी लागू होनी चाहिए। इसलिए धारा 48 के लिए आशय का संशोधन किया जाना चाहिए।

8.5.5.2 “जीवन बीमा कारबार” शब्दों के पश्चात् “या साधारण बीमा कारबार” शब्द जोड़े जाने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप धारा के लिए मार्जिन में दिए गए ‘नोट’ में भी संशोधन करना होगा। मार्जिन में दिए गए नोट से ‘जीवन’ शब्द का लोप किया जा सकेगा।

8.5.5.3 “और कोई भी मुख्य अधिकार्ता या विशेष अधिकार्ता” शब्दों का लोप किया जाना चाहिए। इस प्रकार “जीवन बीमा कारबार करने वाले” शब्दों को और इस धारा के परंतु को भी निकाल दिया जाना चाहिए।

#### 8.5.6 पालिसियों का समनुदेशन और अंतरण

8.5.6.1. पालिसीधारकों द्वारा जीवन बीमा पालिसियां अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए धारित की जाती हैं क्योंकि ये पालिसियों निहित हित का सूजन करती हैं और इन्हें अमृत संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए धारा 38 में स्वयं पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी पृथक लिखित द्वारा, जो अंतरक या समनुदेशक द्वारा या किसी प्राधिकृत अधिकार्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित हो, उसमें समनुदेश अंतरण का तथ्य उपर्याप्त करके, जीवन बीमा पालिसी के अंतरण या समनुदेश का उपबंध किया गया है। अंतरण/समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में भी किया जा सकता है परंतु अंतरिती या समनुदेशिती या उसके विधिक प्रतिनिधि को ऐसी पालिसी के द्वारा प्रतिभूत राशि के लिए बाद लाने का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि अंतरक और अंतरिती दोनों के द्वारा उस अंतरण की लिखित सूचना बीमाकर्ता को न दे दी गई हो। इस धारा की उपधारा (3) के द्वारा एक से अधिक अंतरण/समनुदेश किए जा सकेंगे। ऐसे मामलों में दावों की प्राथमिकता, सूचना दिए जाने की तिथि के क्रम में निश्चित की जाएगी।

8.5.6.2 यद्यपि धारा 38 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 130 के सदृश है, इसमें बाद वाले उपबंध का प्रवर्तन अपवर्जित है क्योंकि पहली अर्थात् बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 एक विशिष्ट सांविधिक उपबंध है।

8.5.6.3 यह धारा पूर्ण समनुदेशन और सशर्त समनुदेशन दोनों का निर्देश करती है। पूर्ण समनुदेशन में समनुदेशिती को सभी अधिकार, हक और हित, जो समनुदेशक को पालिसी में प्राप्त हैं, और सशर्त समनुदेशन, जैसाकि उपधारा (7) में विचार किया गया है, अंतरिती में तत्काल हित का सूजन करता है परंतु जो समनुदेशन में विनिर्दिष्ट घटनाएं घटित होने पर प्रभावहीन हो जाएगा। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई सशर्त समनुदेशिती बीमा किए गए व्यक्ति की सहमति के बिना पालिसी के अधीन कोई ऋण अभिप्राप्त करने, उसका अध्यर्पण करने का अधिकार रखता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है तब सशर्त समनुदेशन पूर्ण समनुदेशन में परिवर्तित हो जाएगा और सशर्त समनुदेशन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। जबकि कोई अंतरण, अंतरण लिखित में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होता है। धारा 38 की उपधारा (5) के उपबंधों से निम्नलिखित में से एक या दोनों अधिप्रेत होंगे: पहले यह कि उपधारा (7) के अधीन समनुदेशक पालिसी राशि का हकदार होता है यदि समनुदेशन अप्रवर्तनीय हो जाता है; दूसरे यह कि यदि समनुदेशन की शर्त में स्पष्टतः या विवक्षण: समनुदेशिती को विशेष अधिकार या लाभ की बात न हो तब तक बीमाकर्ता उसे पालिसी के लाभ का एकमात्र अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा और बीमा किए गए व्यक्ति को ही हकदार समझेगा। यदि बीमा किया गया व्यक्ति परिपक्वता पर पालिसी की रकम स्वयं प्राप्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है तब समनुदेशिती अध्यर्पण के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगा।

8.5.6.4 उपधारा (5) की दृष्टि से उपधारा (7) की व्याख्या में कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है, उदाहरण के लिए बीमा किए गए व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान किसी विनिर्दिष्ट घटना में, हो सकता है, ऐसी किसी घटना का निर्देश न हो जिससे समनुदेशिती का स्तर अदि प्रभावित होता हो।

8.5.6.5 एक और कठिनाई यह है कि यदि कोई समनुदेशन सम्पूर्ण रूप से निष्पादित हो जाता है और उपधारा (2) के अधीन बीमाकर्ता को उसकी सूचना नहीं दी जाती है, समनुदेशन अविधिमान्य तो नहीं है परंतु समनुदेशिती को बीमाकर्ता के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। इस पृष्ठभूमि में उपधारा (5) और उपधारा (7) पर पुनर्विचार और उनका पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके। तथापि, एक सुझाव दिया गया है कि उपधारा (7) को निकाल दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 के उपबंध लागू हो जाएंगे जब तक कि इसका लागू होना अपवर्जित करने के लिए एक उपबंध न जोड़ा जाए।

8.5.6.6 धारा 38(4) में समनुदेशन अंतरण की सूचना प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक रूपया फीस विहित की गई है। यह राशि पूर्णतया अपवर्जित है। ‘एक रुपया’ शब्दों के स्थान पर ‘प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विहित से अनधिक राशि’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

#### 8.5.7 पालिसियों के आंशिक समनुदेशन के लिए प्रस्ताव

8.5.7.1 अधिनियम में ऋणों की सांपाश्विक प्रतिभूति के लिए समनुदेशन के मामले में, जहां बीमा राशि ऋण राशि से अधिक है, अपेक्षित पालिसी के आंशिक समनुदेशन का उपबंध नहीं किया गया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि पालिसी के आंशिक समनुदेशन का उपबंध करने के लिए इस आशय के राइडर के साथ एक नई उपधारा जोड़ी जाए कि दावा करने के समय बहुत से समनुदेशितियों के हितों के बीच द्वन्द्व से बचने के लिए, मूल समनुदेशक को अपने अवशिष्ट अधिकारों को किसी तीसरे पक्षकार को आगे समनुदेशित करने की अनुज्ञा नहीं है।

8.5.7.2 इस धारा के उपबंध के बाद जीवन पालिसियों के लिए लागू होते हैं। यह इच्छा व्यक्त की गई है कि यह धारा व्यक्तिक रूप के सभी गैर जीवन बीमा कारबार के लिए भी लागू होनी चाहिए।

#### 8.5.8 पालिसीधारी द्वारा नामनिर्देशन

8.5.8.1 धारा 39 में जीवन बीमा पालिसियों के नामनिर्देशन के लिए उपबंध किया गया है। इस धारा के उपबंधों के अनुसार जीवन बीमा पालिसी का धारक उस व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे वह राशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, पालिसीधारक की मृत्यु की दशा में दी जाएगी। ऐसा नामनिर्देशन पालिसी किए जाने के समय या पालिसी के परिपक्व होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा और उसे पृष्ठांकन द्वारा या ‘विल’ के द्वारा बदला या रद्द भी किया सकेगा। तथापि, इस संबंध में किए गए परिवर्तन की सूचना उपधारा (2) के अधीन बीमाकर्ता को देनी होगी अन्यथा बीमाकर्ता नामनिर्देशिती को संदाय करने का दायी नहीं होगा।

8.5.8.2 उपधारा (3) में किसी नामनिर्देशन या उसके किसी परिवर्तन को दर्ज करने की लिखित अभिस्वीकृति देने के लिए एक रूपया फीस लेने का प्रावधान किया गया है। फीस अपर्याप्त है और इसलिए यह बढ़ायी जानी चाहिए। इसकी अधिकतम सीमा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जा सकेगी। तदनुसार, उपधारा संसोधित की जानी चाहिए। इस प्रकार “एक रुपया” शब्दों के स्थान पर “प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि”

8.5.8.3 उपधारा (4) में उन मामलों के सिवाय जहां समनुदेशन ऋण लेने के लिए बीमाकर्ता के पक्ष में किया जाता है, अंतरण या समनुदेशन की दशा में नामनिर्देशन के स्वतः: रहकरण की अवधारणा की गई है। उस स्थिति में क्या होगा जहां धारा 38 के अधीन पालिसी किसी गैर बीमाकर्ता को समनुदेशित की जाती है? ऐसे मामलों में नामनिर्देशन तथा अन्य संबंधित मामलों की समस्या से कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए यह उपयुक्त होगा कि विद्यमान परंतुक को इस स्थिति के लिए भी प्रभावी बनाया जाए या इस आशय का एक अन्य उपबंध किया जाए कि ऋण की अदायगी पर, बीमाकर्ता को पालिसी की प्रतिभूति के अतिरिक्त, समनुदेशिती द्वारा पालिसी पालिसीधारक के पक्ष में पुनःसमनुदेशित कर दिए जाने पर नामनिर्देशन स्वतः: पुनर्जीवित हो जाएगा।

8.5.8.4 साधारणतया पालिसी के पुनर्समनुदेशन पर पालिसीधारक नामनिर्देशन में किसी परिवर्तन या उसी नामनिर्देशन को, जो पालिसी के समनुदेशन के समय था, जारी रखने के उनके आशय की सूचना बीमाकर्ता को देना भूल जाते हैं। अतः इस आशय का एक स्पष्ट उपबंध जोड़ा जाए कि समनुदेशन के समय जो नामनिर्देशन था उसे बहाल किया जाए या पालिसीधारक को पालिसी के समनुदेशन पर उसी नामनिर्देशन को प्रभावी समझा जाए या जब तक कि उपधारा (2) में उपबंधित के अनुसार उसे रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाता। इस प्रकार के अतिरिक्त उपबंध से पालिसी राशि के संबंध में बीमाकर्ता को अपने दायित्व को शीघ्र पूरा करने में सहायता मिलेगी।

8.5.8.5 इस धारा की उपधारा (6) में यह उपबंध किया गया है कि यदि नामनिर्देशिती उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, जिसके जीवन का बीमा किया गया है, जीवित बचा रहता है तो पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम ऐसे नामनिर्देशिती उत्तरजीवियों को संदेय होगी। इस धारा में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या नामनिर्देशिती इस प्रकार संदत्त राशि को हिताधिकारी स्वामी के रूप में अपने पास रखने का हकदार होगा या वह रकम का, जो बीमा किए गए व्यक्ति की संपदा का एक भाग है, केवल नाममात्र का स्वामी होगा ताकि उसके वारिस, लेनदार, वसीयतदार उस राशि में अपना दावा कर सकें।

8.5.8.6 इस संबंध में निर्णयजन्य विधि में दो प्रवृत्तियां स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि धारा 39(6) नामनिर्देशिती को बीमाकर्ता से केवल पालिसी की रकम का संग्रह करने और प्राप्त करने का अधिकार देती है। दूसरी यह कि, नामनिर्देशिती के बल राशि का प्राप्तकर्ता ही नहीं है अपितु उसका हिताधिकारी स्वामी भी है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने धारा 39 की उपधारा (6) के उपबंधों की व्याख्या में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं जिनसे दोनों दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। गुजरात, कलकत्ता, कर्नाटक, केरल तथा उड़ीसा उच्च न्यायालयों ने एक दृष्टिकोण अपनाया है और आन्ध्र प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूसरा।

8.5.8.7 विधि आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी 82वीं रिपोर्ट में जीवन बीमा पालिसी से प्रतिभूत राशि में, नामनिर्देशिती को उसका संदाय किए जाने के पश्चात् नामनिर्देशितीयों वारिसों, लेनदारों तथा वसीयतदारों के अधिकारों के विषय पर विचार किया है। आयोग ने विद्यमान निर्णयजन्य विधि तथा अन्य विधायी पूर्व निर्णयों का अध्ययन किया। उन्होंने सामाजिक न्याय के पहले पर भी विचार किया, अर्थात् निकट संबंधियों, विशेषकर महिलाएं, माता-पिता और संतान की न्यायोचित अपेक्षाएं जो पालिसीधारक की मृत्यु के पश्चात् वित्तीय संरक्षण के हकदार हैं क्योंकि मृत्यु का उनके व्यक्तिगत जीवन पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा, और पाया कि वर्तमान उपबंध उन अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल है। आयोग ने यह बात भी नोट की है कि जब कोई व्यक्ति नामनिर्देशन करता है, वह नामनिर्देशित उस अधिकार से अधिक कुछ नहीं दे सकता जो उसे स्वयं को प्राप्त है और इसके अनुसार ही जीवन बीमा पालिसी वीमा राशि में नामनिर्देशिती के अधिकार विनिश्चित होंगे। तदनुसार, आयोग ने अपनी 82वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित उपबंध जोड़े जाने की सिफारिश की है:

- “(6क) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, जहां अपने जीवन की किसी जीवन बीमा पालिसी का धारक अपने माता-पिता, अपनी पत्नी/पति, या संतान, या पत्नी/पति और संतान या उनमें से किसी को भी नामनिर्दिष्ट करता है वहां उपधारा (6) के अधीन नामनिर्देशिती या सभी नामनिर्देशिती बीमाकर्ता द्वारा उसे या उन्हें संदेय राशि के हिताधिकारी होंगे जब तक कि यह साबित नहीं किया जाता कि पालिसीधारक ने, पालिसी में अपने हक के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई हिताधिकार किसी नामनिर्देशिती को नहीं दिया था।
- (6ख) उपर्युक्त के अध्यधीन रहते हुए, जहां नामनिर्देशिती, या यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं वहां सभी नामनिर्देशिती, जिन्हें उपधारा (6) लागू होती है, की मृत्यु जीवन बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् परन्तु पालिसी द्वारा प्रतिभूत राशि का संदाय किए जाने से पूर्व होती है वहां पालिसी द्वारा प्रतिभूत राशि, या पालिसी की प्रतिभूत राशि में से उतनी राशि जो इस प्रकार से मृत्यु हो जाने वाले नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितीयों (यथा स्थिति) का अंश बनती है, नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितीयों के, यथास्थिति, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारक को संदाय होगी और वे ऐसी राशि के हिताधिकारी होंगे।
- (6ग) उपधारा (6क) और (6ख) की कोई भी बात जीवन बीमा पालिसी के आगमों से संदर्भ किए जाने के किसी लेनदार के हक को नष्ट या बाधित करने के लिए लागू नहीं होगी।
- (6घ) उपधारा (6क), (6ख) और (6ग) के उपबंध बीमा (संशोधन) नियम ..... के प्रवर्तन के पश्चात् संदाय के लिए परिपक्व होने वाली सभी जीवन बीमा पालिसीयों के लिए लागू होंगे।

8.5.8.8 सरबती देवी बनाम ऊषा देवी: ए आई आर 1984 सुको 346, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 39 के अधीन अब नामनिर्देशन का आशय बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु पर नामनिर्देशिती को पालिसी के अधीन संदेय राशि कोई लाभात्मक हित प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने अगे यह टिप्पणी की है कि नामनिर्देशिती पालिसीधारक के जीवनकाल में पालिसी में कोई हित अर्जित नहीं करता है, इसलिए पालिसीधारक की मृत्यु के पश्चात् पालिसी के अधीन राशि विधिक उत्तराधिकारियों को संदेय हो जाती है। नामनिर्देशिती भुगतान का संग्रह करने के लिए मात्र प्राधिकृत व्यक्ति है ताकि बीमाकर्ता पालिसी के अधीन अपने दायित्वों को विधिक रूप से पूरा कर सके। इस मामले में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि धारा 39 के उपबंध विधि के अधीन उत्तराधिकार की स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। उपर्युक्त मामले के नियम का विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया गया।

8.5.8.9 सरबती देवी के मामले में दिए गए नियम को विधि आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पर 1990 में प्रस्तुत की गई अपनी 137वीं रिपोर्ट को ध्यान में रखा है। आयोग ने अपने पूर्ववर्ती विचार को उपांतरित करते हुए निम्नलिखित सिफारिश की है:

“5.11 सभी संबंधित पहलुओं पर ध्यान से विचार करने के बाद एक ऐसा सुन्नतैयार करना संभव प्रतीत होता है जो संबंधित कर्मचारी की इच्छा के महत्व के अलावा सामाजिक न्याय और औचित्य की मांग को पूरा करे। यह हल ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह उत्कृष्ट रूप से संतोषजनक हो। इस आशय का एक सांविधिक उपबंध किया जाए कि अधिनियम और स्कीम के अन्तर्गत संदेय राशि उस नामांकित व्यक्ति में निहित होगी जिसे “लाभभोगी नामनिर्देशिती” सिवाय तब जब संबंधित व्यक्ति ने स्कीम के पैरा 70(ii) के अनुसार संवितरण के लिए पैरा 2(छ) में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों की ओर से राशि प्राप्त करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक “संग्रहकर्ता नामनिर्देशिती” के रूप में किसी व्यक्ति का नाम न भर दिया हो। दूसरे शब्दों में, यह उस संबंधित कर्मचार को विकल्प देने के बाबर होगा जो उसे स्पष्ट किए जा रहे, ऐसे नामांकन के महत्व पर किसी लाभभोगी या किसी संग्रहकर्ता-नामनिर्देशिती नामित व्यक्ति का नाम भर सकता है। उसे स्पष्ट रूप से अपना यह विकल्प भी बताना आवश्यक होगा कि नामांकित व्यक्ति संग्रहकर्ता-नामनिर्देशिती न होकर लाभभोगी-नामनिर्देशिती होगा या इसके विपरीत। यह विधि जीवन बीमा पालिसीयों के संबंध में भी अपनायी जा सकती है और विधि आयोग 82वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश की इस संशोधन के साथ पुनरावृत्त करता है।

5.12 जीवन बीमा पालिसीयों के अन्तर्गत नामांकन-व्यापि यह मामला इस रिपोर्ट से बाहर का है तथापि, यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि 2 फरवरी, 1980 को एक दशक से भी अधिक पहले प्रस्तुत की गई विधि आयोग द्वारा अपनी 82वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के संदर्भ में जीवन बीमा पालिसीयों के अन्तर्गत किए जाने वाले नामांकनों के संबंध में भी यही विधि अपनायी जा सकती है।

5.13 जीवन बीमा पालिसीयों के संबंध में भी जनता को बड़े पैमाने पर सही कानूनी स्थिति का पता नहीं है। जीवन बीमा पालिसीयों के अन्तर्गत सुरक्षा का सहारा लेने वाले बहुत से व्यक्ति इस प्रकार की गलत अवधारणा से प्रभावित हो सकते हैं कि नामांकित व्यक्ति अपने अधिकार से पूर्ण लाभभोगी हो जाए। यही स्थिति उनकी भी है जो अधिनियम और स्कीम के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों के हित में यह आवश्यक है कि कानूनी स्थिति सुनिश्चित की जाए। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, विधि आयोग ने, अन्य वारिसों को विवर्जित करके, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित व्यक्ति बनाने की दृष्टि से, जिसमें फायदाप्रद लाभ निहित होगा, जीवन बीमा अधिनियम में पहले से ही संशोधन की सिफारिश कर दी है। लेकिन चूंकि अभी तक विधि आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए मामला इस अर्थ में अब भी अनिश्चितता से मुक्त नहीं है कि जनसाधारण नामांकनों की विवर्जित कर देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय के नियम के आशय के प्रति पूर्णतया संचेत नहीं है। यही कारण है कि उपर्युक्त पैरा 3.11 के साथ पठित पैरा 5.12 में सुझायी गई विधि अपनाई जानी उचित है।

उपरोक्त सिफारिश को दोहराया जाता है और इस पर विचार आर्मित्रित किए जाते हैं कि क्या धारा 39 तदनुसार संशोधित की जा सकती है।

8.5.8.10 एक सुझाव दिया गया है कि यदि पालिसीधारक की मृत्यु पालिसी परिपक्व होने के पश्चात् होती है परन्तु मृत्यु हो जाने के कारण वह पालिसी के आगम प्राप्त नहीं कर पाता है वहां नामनिर्देशिती को उन्हें प्राप्त करने का अधिकार हो सकेगा। नामनिर्देशिती को पालिसी की रकम प्राप्त करना प्रभावी बनाने के लिए इस आशय का एक उपबंध जोड़ा जाना चाहिए।

8.5.8.11 एक अन्य सुझाव यह आया है कि बीमा किए गए व्यक्ति को विकल्प के द्वारा ऐसे नामनिर्देशन के लिए सामर्थ्यकारी बनाया जाए जो बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामनिर्देशिती को पालिसी की रकम पर पूर्ण स्वामित्व प्रदान करे। इस सुझाव के अनुसार ऐसा नामनिर्देशन नामनिर्देशिती को वही स्तर प्रदान करेगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन नामनिर्देशिती को प्राप्त है।

8.5.9 रकम का संदाय न्यायालय में किया जाना

बहुत बार बीमाकर्ता के लिए विरोधी दावों, या हक की अपर्याप्तता या हक के सबूत के कारण, किसी जीवन बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम का संतोषपूर्ण रूप में संदाय कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसी

परिस्थितियों में, बीमाकर्ता, धारा 47 के उपबंधों के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा से और धारा की उपधारा (3) और (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, उस पालिसी की रकम का संदाय न्यायालय में करता है। ऐसी परिस्थितियों में दावेदार निश्चय रूप से अपना वकील करना चाहेगा और अन्ततः दावेदार इस प्रक्रिया में रकम का हिताधिकारी होने के स्थान पर पैडित व्यक्ति बन जाता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बीमाकर्ता, उपर्युक्त जैसी परिस्थितियों में, रकम को, यथास्थिति, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास या किसी प्रत्यय अधिकरण के पास जमा करा सकेगा। ऐसे दावों के निपटारे के लिए बीमा लोक अदालत गठित करना समुचित होगा। ऐसी प्रक्रिया दावेदारों के हित में होगी क्योंकि लोक अदालत द्वारा निपटारा शीघ्र और जिना किसी तकनीकी के किया जा सकेगा।

#### 8.6 टैरिफ सलाहकार समिति-गठन और शक्तियां

8.6.1 साधारण बीमा कारबार के संबंध में टैरिफ दरों, 1968 के मूल अधिनियम (1968 का बीमा संशोधन विधेयक) के अधीन स्थापित टैरिफ सलाहकार समिति नामक एक निकाय द्वारा विनिश्चित की जाती है। उसकी स्थापना से पूर्व, टैरिफ समिति ने साधारण बीमा कारबार के संबंध में दरों और लाभों को विनियमित किया।

8.6.2 मूल अधिनियम में, धारा 64प के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति की स्थापना का उपबंध किया गया है। यह साधारण बीमा कारबार के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सहूलियतों और शर्तों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा के साथ एक समाप्ति निर्गम है।

8.6.3 यह प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन 1999 से कार्यरत एक महत्वपूर्ण निकाय है। 1999 से पूर्व, टैरिफ सलाहकार समिति बीमा नियंत्रक के अधीन कार्य करती थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के निर्णय करने के विकल्प को मानकीकृत करने के उद्देश्य से बीमा उत्पादों के वैज्ञानिक रीति से मूल्य निर्धारित करना है।

#### 8.6.4 टैरिफ सलाहकार समिति का गठन

अधिनियम में टैरिफ सलाहकार समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष (प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष), एक उपाध्यक्ष (प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी और बीमाकर्ताओं के 10 से अनधिक निवाचित प्रतिनिधि और भारत से बाहर अधिवासित परन्तु भारत में रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ताओं के 4 से अनधिक प्रतिनिधि होंगे।

8.6.5 इस समय प्रक्रिया यह है कि सलाहकार समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं होते अपितु इन्हें नामनिर्देशित या बीमाकर्ताओं के मतानुसार उनका चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, उपबंधों में संशोधन किया जाना चाहिए। धारा 64पक(1) के खण्ड (ग) निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जा सकेगा:

“भारतीय बीमाकर्ताओं के 10 से अनधिक प्रतिनिधि और प्राधिकरण और/या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सरकारी विभागों, वृत्तिक निकायों आदि से 4 से अनधिक प्रतिनिधि”।

8.6.6 प्राधिकरण को टैरिफ सलाहकार समिति का सचिव नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्राप्त है [धारा 64 पक(2)] जो प्राधिकरण के निदेश और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

#### 8.6.7 टैरिफ सलाहकार समिति की शक्तियां

(i) जीवन के अतिरिक्त (साधारण बीमा) अन्य जोखिमों के संबंध में दरों, सहूलियतों और शर्तों पर नियंत्रण रखने की शक्ति।

8.6.7.1 अधिनियम की धारा 64पग में टैरिफ सलाहकार समिति को बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम के किसी भी वर्ग के लिए प्रस्तावित दरों, सहूलियतों तथा शर्तों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है और यह सभी बीमाकर्ताओं के लिए आवश्यक है। तथापि, कठिपय मामलों में, समिति किसी बीमाकर्ता को सीमित अवधि के लिए (दो वर्ष से अनधिक) ऐसी शर्तों के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति निर्धारित की जाएं, समिति द्वारा निर्धारित दरों से भिन्न दरों अपनाने की अनुज्ञा दे सकती है।

8.6.7.2 उपधारा (3) में यह उपबंध किया गया है कि टैरिफ सलाहकार समिति का प्रत्येक निर्णय केवल प्राधिकरण द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने के पश्चात ही विधिमान्य होगा जबकि, उपधारा (4) में कहा गया है कि

इस धारा के उपबंधों के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति के निर्णय अनिम होंगे। इन दोनों धाराओं के उपबंधों में एक रूपता नहीं है, अतः इस कमी को दूर करने के लिए उपबंध फिर से प्रारूपित किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जब निर्णयों की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की जानी है, तब उहूँ स्पष्टतः अनिम समझा जाना चाहिए। इस स्थिति में उपधारा (4) को रखने की क्या आवश्कता है।

8.6.7.3 जो बीमाकर्ता टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित दरों/सहूलियतों का हनन करते हों वे इस धारा की उपधारा (5) के अधीन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के दोषी हैं। आश्चर्य की जात है कि इस उपधारा का परन्तु प्राधिकरण को, बीमाकर्ता से प्रीमियम राशि की कमी की वसूली पूरी करके या 1000 रुपये से अनधिक जुमाने की राशि सलाहकार समिति को संदाय करने की अनुमति प्रदान करके, उल्लंघन के अपराध का प्रश्न मान करने की अनुपत्ति प्रदान करता है।

8.6.7.4 जुमाने की राशि पर्याप्त नहीं है इसलिए इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

यदि प्रीमियम राशि की कमी को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रीमियम राशि के अन्तर की 25 प्रतिशत राशि बीमाकर्ता से वसूल करने का उपबंध किया जाए।

(ii) टैरिफ सलाहकार समिति की जानकारी मांगने की शक्ति

8.6.7.5 धारा 64पड़ के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति किसी बीमाकर्ता को नोटिस देकर उससे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने के लिए कह सकती है और ऐसा करने में विफल रहने को अधिनियम का उल्लंघन समझा जाएगा। यह उपबंध धारा 44क के उपबंध के समान है जिसमें प्राधिकरण को ऐसी ही शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

8.6.7.6 धारा 64पड़ की उपधारा (3) प्राधिकरण को, बीमाकर्ता द्वारा दिए गए विवरण की यथार्थता की जांच करने के लिए, अपने किसी अधिकारी को लेखाओं, लैजर आदि का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।

8.6.7.7 सलाहकार समिति एक सांचिधिक निकाय है और यह समुचित होगा कि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग प्राधिकरण के बजाय टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा किया जाए क्योंकि बीमाकर्ताओं द्वारा उपधारा (1) के अधीन जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है उसकी जांच सलाहकार समिति द्वारा की जानी चाहिए प्राधिकरण द्वारा नहीं। इसलिए उपधारा (3) में ‘प्राधिकरण’ शब्द के स्थान पर ‘समिति स्वयं या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जाए’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

8.6.7.8 टैरिफ सलाहकार समिति को, जोखिमों तथा हानि के समायोजन आदि के बारे में उपधारा (4) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर, निरीक्षण के लिए प्रबंध करने की भी शक्ति प्राप्त है। तथापि, इसके परन्तु में कहा गया है कि ऐसा निरीक्षण केवल संगठन (बीमाकर्ता) की लिखित अनुज्ञा पर किया जा सकेगा। यह समुचित होगा यदि ‘लिखित अनुज्ञा’ शब्दों के स्थान पर ‘पूर्व लिखित सूचना’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं क्योंकि इस धारा के अधीन निरीक्षण बीमाकर्ता के आवेदन पर किया जा रहा है, अतः संगठन की अनुज्ञा अनावश्यक प्रतीत होती है।

(iii) क्षेत्रीय समिति गठित करने की टैरिफ सलाहकार समिति की शक्ति

8.6.7.9 धारा 64पक के उपबंध सलाहकार समिति को क्षेत्रीय समितियां गठित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है, क्षेत्रीय समितियां अब कार्य नहीं कर रही हैं, इसलिए, उपधारा (2) से (6) निकाल दी जानी चाहिए और उपधारा (1) निम्नलिखित रूप में पुनःप्रारूपित की जानी चाहिए:

“प्राधिकरण/सलाहकार समिति ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वे उचित समझे, ऐसी क्षेत्रीय या अन्य समितियां गठित कर सकेंगे।

(iv) नियम बनाने की शक्ति

8.6.7.10 प्राधिकरण को धारा 64पख के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उसके सदस्यों के कार्यकाल, निर्वाचन की प्रक्रिया तथा उसके कार्यकरण से संबंधित अन्य विषयों के बारे में, विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

8.6.7.11 उपधारा (2) का खंड (ख) इसके सदस्यों के निवाचन के स्थान पर 'नामनिर्देशन' को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

8.6.7.12 उपधारा (3) में टैरिफ सलाहकार समिति को क्षेत्रीय समितियों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्योंकि क्षेत्रीय समितियां अब कोई कार्य नहीं करती हैं अतः इस उपधारा के उपबंध निकाल दिए जाने चाहिए।

8.6.7.13 पुनः उपधारा (4) के उपबंधों का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि वे संक्रमणकालीन हैं और बहुत समय पहले से अनावश्यक हो गए हैं।

8.6.8 मूल अधिनियम के भाग-11ख में टैरिफ सलाहकार समिति से संबंधित क्रितिपय उपबंधों को निरसित किए जाने की आवश्यकता।

8.6.8.1 मूल अधिनियम के भाग-11ख में क्रितिपय उपबंध संक्रमणकालीन हैं अतः इन्हें निरसित किए जाने की आवश्यकता है।

(क) धारा 64पघ के उपबंध, उपधारा (1) के परन्तुक के सिवाय (जो 1999 के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया), संक्रमणकालिक स्वरूप के होने के कारण उनको निरसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत पहले से ही अनावश्यक हो चुके हैं।

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक को भी निरसित किया जा सकेगा क्योंकि उसके उपबंधों का धारा 64पक(1) के खंड (क) के अधीन ध्यान रखा गया है।

(ग) धारा 64पच के उपबंध, जिनमें साधारण बीमा परिषद का आस्तियां और दायित्वों को, संशोधन अधिनियम, 1968 के प्रवर्तन के पश्चात, सलाहकार समिति में निहित करने का उपबंध है, निरसित किए जाने चाहिए क्योंकि आस्तियां और दायित्व टैरिफ सलाहकार समिति में पहले ही निहित हो चुके हैं।

(घ) धारा 64पछ के उपबंधों को भी निरसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि टैरिफ समिति द्वारा 1968 से पूर्व की गई सभी संविदाओं/करारों के बारे में तथा टैरिफ समिति द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए वार्दों के बारे में कार्यावाही भी, 1968 के संशोधन अधिनियम के पश्चात, टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा किए जाने के कारण ये अनावश्यक हो गए हैं। यह बात स्पष्ट है कि तीन दशाविद्यां बीत जाने के पश्चात से ये उपबंध सुसंगत नहीं रह गए हैं।

(ङ) इसी प्रकार, 1968 के संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व टैरिफ समिति में नियुक्त कर्मचारियों के हित का संरक्षण करने के बारे में धारा 64पञ्च के उपबंधों को भी निरसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे सभी कर्मचारी अब सलाहकार समिति के सदस्य हैं और अन्य, जो नहीं हैं, उन्होंने इस धारा में उल्लिखित लाभों का उपयोग कर लिया है।

(च) धारा 64पञ्च के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का, जिसके अधिकार या अभिरक्षा में टैरिफ समिति की संपत्ति या संपत्ति के दस्तावेज हैं, दायित्व है कि वह उन्हें सलाहकार समिति के सुरुद्ध करेगा। यहां भी संभावना यही है कि ऐसी संपत्ति या दस्तावेजों का हस्तांतरण किया जा चुका है। इसलिए उपबंध अनावश्यक हो गया है और इसे निरसित कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसी सुरुद्धगी अभी तक नहीं हुई है तब उसके लिए दावा किया जा सकता है।

#### 8.7 शिकायतों/दावों के समाधान के लिए व्यवस्था

##### 1998 के नियम

8.7.1 केन्द्रीय सरकार ने 1998 में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शिकायत समाधान नियम, 1998 बनाए थे। इन नियमों के अधीन, बीमा परिषद का एक शासी निकाय बनाया जाना था जो नियम 6 के अधीन इन नियमों के प्रयोजन से आयुक्त (अम्बड़समैन) के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। आयुक्त (अम्बड़समैन) नियम 7 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह फिर से नियुक्त किए जाने के लिए भी पात्र होंगा। तथापि, वह 65 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पद पर नहीं रह सकेगा।

8.7.2 नियम 12 के अधीन अम्बड़समैन की शक्तियों में निम्नलिखित प्राप्त करना और उन पर विचार करना आता है:

(क) नियम 13 के अधीन शिकायतें, अर्थात् किसी बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत जो बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्तियों के अभ्यावेदन को रद्द किए जाने पर की जाएगी;

(ख) किसी बीमाकर्ता द्वारा दावों का आंशिक या पूर्ण निराकरण;

(ग) पालिसी की शर्तों के अनुसार संदर्भ या संदेय प्रीमियम के बारे में कोई विवाद;

(घ) पालिसी की विधिक संरचना के संबंध में कोई विवाद, जहां तक वह विवाद दावों से संबंधित हों;

(ङ) दावों के निपटारे में विलम्ब;

(च) प्रीमियम की प्राप्ति के पश्चात उपभोक्ताओं को बीमा दस्तावेज न दिया जाना।

8.7.3 नियम 12(2) के अधीन, अम्बड़समैन ऐसे मामलों में, जो उसमें निदेश पदों के अधीन आते हैं, परामर्शदाता या मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा और यदि बीमा किए गए व्यक्ति और बीमा कम्पनी द्वारा पारस्परिक समझौते के द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित में अनुरोध किया जाए।

8.7.4 अम्बड़समैन का निर्णय अनियम है। नियम 15 के अधीन यह प्रतीत होता है कि बीमा कम्पनी को अम्बड़समैन के निर्णय का अनुशासन करना होगा जबकि परिवादी को उस निर्णय को स्वीकार करने या स्वीकार न करने का विकल्प दिया गया है। जहां परिवादीयों द्वारा ऐसी स्वीकृति नहीं दी जाती है, वहां अम्बड़समैन ऐसा निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से निष्क्रिय समझता है।

पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण संबंधी विनियम

8.7.5 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने धारा 114 क (2) (पक) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 बनाए हैं। विनियम 5 आदेश देता है कि प्रत्येक बीमाकर्ता की अपनी व्यवस्था में पालिसीधारकों की शिकायतों पर प्रभावी और शीघ्र कार्यवाही करने के लिए उचित प्रक्रिया और तंत्र की व्यवस्था होगी और उसे बीमा अम्बड़समैन के बारे में जानकारी सहित पालिसी दस्तावेज के साथ पालिसीधारक को भेजा जाए। विनियम 8 के अधीन, किसी जीवन बीमा पालिसी के बारे में कोई दावा करने और उसके बारे में आगे कार्यवाही करने की प्रक्रिया दी गई है। विनियम 9 में ऐसी ही प्रक्रिया साधारण बीमा पालिसी के बारे में दी गई है।

अन्य व्यवस्थाएं

8.7.6 उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, इस समय असंतुष्ट पालिसीधारकों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन फाइल की जा रही हैं। जिनमें, जब दावों का समाधान होता है या आंशिक समाधान हो पाता है, सेवा की कमी के आरोप लगाए जाते हैं। विभिन्न उपभोक्ता फोरमों द्वारा दिए गए निर्णयों के विशेषण से पता चलता है कि इस विषय से संबंधित मामलों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता फोरम से बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों की व्याख्या करने का बार-बार अनुरोध किया जाता है। तथापि, उपभोक्ता फोरम में निर्णय के लिए लम्बित अन्य मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, यह उपचार तीव्र और प्रभावी नहीं रह गया है।

8.7.7 इसके साथ-साथ, जहां तक पालिसीधारकों की शिकायतों का संबंध है, थोड़ी बहुत व्यवस्था है, जैसीकि उपर्युक्त नियमों में बताई गई है परन्तु बीमाकर्ताओं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बीच विवादों के निपटारे के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। एक उपर्युक्त शिकायत समाधान तंत्र का सुझाव देते समय इस विषय को भी ध्यान में रखना होगा।

सेबी माडल:

8.7.8 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की स्थापना की गई जिसे शेयर बाजार के विनियामक का कार्यालय सौंपा गया। इस अधिनियम के अध्याय-6क में न्यायनिर्णयन में शास्त्रियों के लिए उपबंध किया गया है। धारा 15क और 15ज में

सेबी द्वारा विहित उपबंधों का उल्लंघन करने या अनुसरण करने में विफलता के लिए शास्त्रियों का उपबंध किया गया है और शास्त्रियों के बारे में न्यायनिर्णयन, अधिनियम की धारा 15ज्ञ के अधीन नियुक्त किए गए न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी सेबी के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो डिवीजन चीफ की रैक से कम नहीं होंगे और जो विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेंगे तथा सुने जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, शास्त्रिय निर्धारित करेंगे। धारा 15ज्ञ में उन पहलुओं का निर्देश किया गया है जिनको न्यायनिर्णयन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। न्यायनिर्णयन अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के लिए जो सकेगी जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के किसी पदासीन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अधिकरण के अन्य सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें प्रतिभूति बाजार से संबंधित समस्या के बारे में कार्यवाही करने का विशेष ज्ञान होगा और नियमपत्र विधि, प्रतिभूति विधि, वित्त, अर्थशास्त्र और लेखा-कर्म के बारे में अहंता और अनुभव प्राप्त होगा। 'सेबी' अधिनियम की धारा 15च के अधीन, 2002 में संशोधित रूप में, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में करने का उपबंध किया गया है।

8.7.9 यह प्रस्ताव किया जाता है कि कतिपय उपांतरणों और परिवर्धनों के साथ सेबी माडल अपनाया जाए। पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के साथ-साथ, बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पालिसीधारकों/उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए प्रमुख शहरों में तीन सदस्यीय शिकायत समाधान प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। शिकायत समाधान प्राधिकरण अध्यक्ष पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और अधिकरण में दो और सदस्य होंगे जिन्हें बीमा क्षेत्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा।

8.7.10 इसके अतिरिक्त, सेबी अधिनियम की ही भाँति, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामलों में, बीमा अधिनियम 1938 में ही विनिर्दिष्ट की गई शास्त्रियों के साथ, न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ-साथ, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 से 105ग में अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने या अनुपालन न करने पर शास्त्रिय विहित की गई हैं। उपबंधों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रिय आपराधिक न्यायालयों द्वारा विनिश्चित की जाएंगी क्योंकि ये जुमाने के स्वरूप की प्रतीत होती हैं। इन उपबंधों को उपांतरित करने तथा ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है कि ये शास्त्रिय सेबी माडल की पद्धति पर न्यायनिर्णयन अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णयन जांच करने के पश्चात लगाई जाएंगी। ये न्यायनिर्णयन अधिकारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में से सेबी के न्यायनिर्णयन अधिकारियों की भाँति एक स्तर से ऊपर के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएंगे। न्यायनिर्णयन अधिकारी बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमाकर्ताओं की विस्तृत भौगोलिक पहुंच के लिए सुविधाजनक स्थानों पर नियुक्त किए जाएंगे।

8.7.11 यह भी प्रस्ताव किया गया है कि न्यायनिर्णयन अधिकारियों के आदेशों और शिकायत समाधान प्राधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक बीमा अपीलीय अधिकरण स्थापित किया जाए। यह अपीलीय अधिकरण रजिस्ट्रीकरण और लाइसेंस देने जैसे मामलों सहित, बीमाकर्ताओं और बीमा अधिकर्ताओं के अन्तर्गत होने वाले मामलों के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की भी सुनवाई करेगा। बीमा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पदासीन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। अधिकरण के दो अन्य सदस्य निष्ठावान, योग्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिन्हें बीमा क्षेत्र में अपेक्षित अहंता और अनुभव प्राप्त होगा। यह प्रस्ताव किया जाता है कि 'सेबी' अधिनियम की धारा 15य के समान ही बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

#### सिफारिशें

8.7.12 परिपूर्ण शिकायत समाधान तंत्र के बारे में अनन्तिम प्रस्ताव निम्नलिखित है:

(क) 1998 के नियमों के अधीन प्रमुख महानगरों में आयुक्त (अम्बेड्समैन) रखे जाने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर बीमा अधिनियम, 1938 में समुचित संशोधन करके, शिकायत समाधान प्राधिकरण गठित किए जाने चाहिए। इस प्रकार ये सांविधिक कार्य करने वाले सांविधिक प्राधिकरण होंगे।

- (ख) शिकायत समाधान प्राधिकरण वह सदस्यीय निकाय होंगे जिनमें एक न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे। ऐसे सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए।
- (ग) शिकायत समाधान प्राधिकरणों की स्थापना भौगोलिक दृष्टि से अधिकाधिक संभव स्थानों पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, देश के प्रत्येक बड़े शहर में एक शिकायत समाधान प्राधिकरण स्थापित किया जा सकेगा। वर्तमान समय में पालिसीधारकों की बड़ी संख्या और भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना की दृष्टि से पद आवश्यक है।
- (घ) शिकायत समाधान प्राधिकरणों की शक्तियों और अधिकारिता में वे सभी शक्तियां और कार्य होंगे जिनका प्रयोग इस समय 1998 के नियमों के अधीन अम्बेड्समैन द्वारा किया जा रहा है।
- (ङ) उपर्युक्त के साथ-साथ, यह उपबंध भी किया जा सकेगा कि बीमा अधिनियम, 1938 से उत्पन्न उपभोक्ता फोरम के समक्ष लम्बित विवाद बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत समाधान प्राधिकरणों को अन्तरित किए जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस आशय का एक संशोधन करना होगा कि बीमा अधिनियम, 1938 से उत्पन्न होने वाले विवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन ग्रहण नहीं किए जाएंगे।
- (च) बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमा अधिकर्ताओं द्वारा अधिनियम, नियमों और विनियमों की जांच/न्यायनिर्णयन करने तथा अधिनियम में उपबंधित के अनुसार शास्त्रिय लगाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण न्यायनिर्णय अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।
- (छ) 'सेबी' अधिनियम के अधीन विहित पद्धति पर एक बीमा अपीलीय अधिकरण गठित किया जाना चाहिए जिसकी मूल शाखा दिल्ली में तथा चार महानगर उसके सर्किट होंगे और तदनुसार उनकी बैठकें होंगी। बीमा अपीलीय अधिकरण, शिकायत समाधान प्राधिकरणों और न्यायनिर्णयन अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा और बीमा अपीलीय अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। बीमा अपीलीय अधिकरण, बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमा अधिकर्ताओं से संबंधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के निर्णय/आदेशों के विरुद्ध, रजिस्ट्रीकरण और लाइसेंस देने के मामलों सहित, भी अपील ग्रहण करेगा।
- (ज) 'सेबी' अधिनियम की धारा 15य की पद्धति पर बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध सांविधिक अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। ऐसी अपील बीमा अपीलीय अधिकरण के निर्णय के पश्चात 60 दिन के भीतर फाइल की जा सकेगी।
- (झ) बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का स्पष्ट अपवर्जन करते हुए, खण्ड जोड़ा जाएगा। तथापि, इसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 और समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 के अधीन उत्पन्न होने वाले दोष/विवाद सम्मिलित नहीं होंगे।
- (ञ) वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को प्रोत्साहन देने के विचार से यह उपबंध किया जा सकेगा कि दावेदार को पहले किसी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें माध्यस्थम और/या सुलह सम्मिलित होंगे, और केवल उसके विफल हो जाने पर ही मामला शिकायत समाधान प्राधिकरण के समक्ष लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, शिकायत समाधान प्राधिकरण स्वयं भी किसी लंबित विवाद को, कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर, पक्षकारों की सहमति से वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के लिए निर्देशित कर सकेगा।
- 8.7.13 शिकायत समाधान तंत्र की उपर्युक्त संरचना अनन्तिम है और इसे संबंधित पक्षों से परामर्श करके और विकसित तथा उपांतरित किए जाने की अवश्यकता है।

#### 8.8 दांडिक उपबंध

8.8.1 धारा 102 से 105ग में अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने या अनुपालन न करने, दस्तावेजों में मिथ्या कथन करने, किसी संपत्ति को सदोष विधारित और अभिग्राप्त करने, कम्पनियों द्वारा अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों तथा उपथारा 2ख और 32ग के उपबंधों का अनुपालन न करने पर शास्त्रिय विहित की गई हैं।

8.8.2 धारा 105ग और धारा 32ग में अनुपालन न करने के लिए शास्ति विहित की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि इस धारा में अधिरोपित की जाने वाली न्यूनतम शास्ति दर्शने के लिए संशोधन किया जाए ताकि उपबंध को भयोपरायी स्वरूप का बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, ये शास्त्रियां, जैसाकि पैरा 8.7.10 में कहा गया है, ज्ञानविनियम अधिकारियों द्वारा न्यायनिर्णय/जांच करने के पश्चात विनिश्चित और अधिरोपित की जाएंगी।

### ४.१ प्रकीर्ण उपबंध

विविधान

8.9.1.1 इस विषय पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या धारा 27, 27क और 27ख में उपबंधित विनिधान संबंधी विवरण इन धाराओं के सारभूत उपबंधों में अन्तर्विष्ट अनिवार्य मार्गान्विदेशों को प्रतिधारित करते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों को अंतरित कर दिया जाए। अनुकल्पतः क्या धारा 27, 27क और 27ख के अधीन विनिधान संबंधी विभाजन उपबंध इस आशय के एक अतिरिक्त सुरक्षोपाय के साथ प्रतिधारित किए जाएं कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे विनिधानों की सही बनाने में रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

8.9.1.2 इस विषय पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि विनिधान तथा शोधन क्षमता के अनुरक्षण संबंधी उपबंध, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा उनकी सहायक कम्पनियों सहित गांवकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के लिए भी समान रूप से लागू होने चाहिए।

द्वायालय दारा परिसमाप्त (धारा 53)

8.9.2 बीमा अधिनियम की धारा 53 के अधीन न्यायालय द्वारा परिसमापन का उपबंध किया गया है। अधिनियम में, धारा 54 में उपवर्णित आधारों के सिवाय, कम्पनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिसमापन किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसमें अधिकारीकृत परिसमापन के लिए भी उपबंध किया गया है यदि ऐसी योजना की धारा 58 के अधीन न्यायालय द्वारा पुष्टि कर दी जाती है। धारा 53 के उपबंध, न केवल कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपितु यदि इस संबंध में न्यायालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कम्पनी के 1/10 शेयरधारी या 50 पालिसीधारकों से अन्यून पालिसीधारकों द्वारा इस धारा की उपधारा (2) के अधीन कोई याचिका दायर किए जाने पर भी, न्यायालय को किसी बीमा कम्पनी के परिसमापन का आदेश पारित करने में समर्थ बनाते हैं।

8.9.3 यह धारा 53 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्राधिकरण को परिसमापन के लिए आवेदन करने हेतु समर्थ बनाती है यदि (i) यदि कम्पनी धारा 7 या 98 के अधीन अपेक्षित राशि जमा करने में या जमा रखने में असफल रहती है; या (ii) कम्पनी इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में तीन माह की अवधि तक निरन्तर विफल रही है; या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करती रही है; या (iii) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से या इस अधिनियम के अंधीन कराए गए अन्वेषण से पता चलता है कि कम्पनी दिवालिया है या दिवालिया समझी जानी चाहिए या (iv) कम्पनी का कार्यरत रहना पालिसीधारकों के द्वितीय समान्यतया लोक हित के लिए हानिकारक है।

8.9.4 उपर्युक्त (i) से (iv) में उल्लिखित आधार, जिन पर प्राधिकरण को इस धारा के अधीन परिसमापन के लिए आवेदन करने की शक्ति दी गई है, ऐसे अधार भी है जिन पर प्राधिकरण धारा 53(4) के अधीन किसी बीमा कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा। रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाने पर कम्पनी बीमा कारबाह नहीं कर सकेगी इसलिए, उपधारा (2) (ख) के खंड (i), (ii) और (iii) के अधीन उपबंधों का लोप कर दिया जाना चाहिए तथापि खंड (iv) उपधारित किया जाना चाहिए।

8.9.5 धारा 53 की उपधारा (1) में कम्पनी अधिनियम, 1913 के निर्देश के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 7) प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

8.9.6 धारा 53 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (1) से 'या धारा 98' शब्दों का लोप किया जाना चाहिए।

### स्वैच्छिक परिसमापन (धारा 54)

8.9.7 धारा 54, समामेलन या कम्पनी का पुनर्गठन या अपने दायित्वों के कारण कम्पनी अपना कारबार जारी नहीं रख सकती है, जैसे प्रयोजनों के सिवाय, बीमा कम्पनियों के स्वैच्छिक परिसमापन का अपवर्जन करती है। परन्तु समामेलन या पुनर्गठन में परिसमापन का पुर्वानुमान नहीं है और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति योजना के अधीन शेरधारियों के हित संरक्षित समझे जाते हैं। जबकि परिसमापन के मामले में प्रक्रिया पूर्णतया भिन्न है। धारा 54 में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिए कि बीमा कम्पनियां इस आधार के सिवाय कि अपने दायित्वों के कारण कम्पनी कारबार जारी नहीं रख सकेगी, परिसमाप्त नहीं की जानी चाहिए।

### आंशिक परिसमापन की योजना (धारा 58)

8.9.8 धारा 58 में बीमा कम्पनियों के आंशिक परिस्थिति का उपबंध किया गया है। इसकी उपधारा (3) और (4) में 'कम्पनी अधिनियम, 1913' के निर्देश के स्थान पर' कम्पनी अधिनियम, 1956' प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

8.9.9 उपधारा (4) में, कम्पनी अधिनियम, 1913 की 'धारा 12' का निर्देश किया गया है। इसके स्थान पर कम्पनी अधिनियम की 'धारा 15' प्रतिस्थापित की जानी चाहिए और 'धारा 15 और 16' के स्थान पर कम्पनी अधिनियम 1956 की 'धारा 17' प्रतिस्थापित की जानी चाहिए।

पृश्नासक द्वाय पृबंधन (धारा 52क-52 छ)

8.9.10 धारा 52क से 52छ तक में प्रशासक द्वारा प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। ये धाराएं जीवन बीमा पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से 1950 में जोड़ी गई थी।

8.9.11 धारा 52क में उपर्युक्त है कि यदि प्राधिकरण के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई बीमाकर्ता इस प्रकार से कार्य कर रहा है जो जीवन बीमा पालिसीधारकों के हितों के लिए हानिकारक है तब प्राधिकरण, बीमाकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट भेज सकेगा और केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।

8.9.12 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है और किसी भी परिस्थिति में निर्णय तथा कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इसलिए, यह सुचाव दिया जाता है कि प्राधिकरण बीमाकर्ता को अवसर प्रदान करके और पलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखने के पश्चात् यदि प्राधिकरण का मत है कि जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करना आवश्यक और उपयुक्त है तब प्राधिकरण आदेश देकर ऐसा कर सकेगा। प्रशासक प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा। प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा यदि पहले नियुक्त किया गया प्रशासक बीमाकर्ता के कार्यों का प्रबंध करने में समर्थ नहीं है।

8.9.13 उपर्युक्त सुझावों के संदर्भ में, धारा 52क की उपधाराएं (1), (2) और (3) उपर्युक्त प्रस्तावों को पृथक बनाने के लिए संशोधित की जानी चाहिए।

8.9.14 इस समय, धारा 52क के उपबंधों में उस अवधि का कोई उल्लेख नहीं है जिसके लिए प्रारम्भ में कोई प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। यह उपयुक्त होगा यदि धारा 52घ में प्रस्तावित उपबंधों के अधीन, विधि में इस प्रकार की अवधि का उपर्युक्त किया जाए।

मासूनि से संबंधित पश्चात्क की शक्तियाँ (धारा 52 अन्तर्गत)

8.9.15 धारा 52 खण्ड (9) प्रशासक में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित करती है। उपधारा (1) में यह उपबंध किया गया है कि कोई प्रशासक, किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही लंबित रहते हुए, जिसने धारा 106 के अधीन अपने को अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के दायित्वाधीन बना लिया है, लिखित आदेश द्वारा उसका या किसी अन्य व्यक्ति का ऐसी किसी सम्पत्ति का अंतरित करना/व्ययनित करना निषिद्ध कर सकेगा जिसकी उसके मतानसार कर्की की जाएगी।

8.9.16 उपधारा (2) में प्रशासक के ऐसे आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील करने का उपबंध किया गया है। प्राधिकरण को इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकरण बनाना समुचित होगा। उपधारा (2) और (3) में 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों के स्थान पर 'प्राधिकरण' शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

8.9.17 जैसाकि ऊपर कहा गया है, प्रशासक सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकेगा। इसलिए, वह ऐसी शक्तियों के उपयोग के लिए पूर्ण अर्हता प्राप्त और सक्षम होना चाहिए। धारा 52क में इस आशय का एक उपबंध जोड़ा जा सकेगा।

प्रशासक की नियुक्ति का समाप्त किया जाना।

8.9.18 धारा 52क और 52ख या उपर्युक्त प्रस्तावित सुझावों के परिणामस्वरूप, धारा 52घ के उपबंधों को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाना चाहिए:

"यदि किसी समय, प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि प्रशासक की नियुक्ति करने के आदेश का प्रयोजन पूरा हो गया है या यह कि किसी कारण से, यह कि नियुक्ति का आदेश प्रवृत्त बना रहे, अवांछनीय हो गया है, तो प्राधिकरण उस आदेश को रद्द कर सकेगा और वैसा होने पर प्रशासक बीमा कारबार के प्रबंध से निर्निहित हो जाएगा और जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, प्रबंधन फिर से उस व्यक्ति में निहित हो जाएगा जिसमें वह प्रशासक की नियुक्ति से पूर्व निहित था या इस संबंध में बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए हों।"

सम्पत्ति के दस्तावेजों को प्रशासक से विधारित रखने के लिए शास्ति

8.9.19 धारा 52च में, किसी प्रशासक से सम्पत्ति के दस्तावेज विधारित रखने के लिए 6 माह के कारणावास या 1000 रुपए जुमानि या दोनों से दंडनीय होने का उपबंध किया गया है। इस धारा के अधीन जुमानि की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए करना चाहनीय होगा।

कार्यवाही का संरक्षण (धारा 52छ)

8.9.20 धारा 52छ में धारा 52क, 52ख और 52घ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 52क, 52ख या 52ख या 52ज के अधीन प्रशासक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है।

8.9.21 यह सुझाव दिया जाता है केन्द्रीय सरकार को दिया गया संरक्षण प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त धाराओं के अधीन कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा सकेगी। अतः इन धाराओं में संशोधन किया जाना चाहिए।

प्रशासक नियुक्त करने के विनिश्चय की अन्तिमता (धारा 52ड)

8.9.22 धारा 52क में सुझाए गए संशोधनों की दृष्टि से धारा 52ड के उपबंधों में भी संशोधन किया जाना चाहिए। "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

करिपय मामलों में बीमाकर्ताओं को उपक्रमों को अर्जित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति (धारा 52ज से 52ड)

8.9.23 धारा 52ज में यह उपबंध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी बीमाकर्ता के उपक्रम को अर्जित कर सकेगी यदि प्राधिकरण उसे यह रिपोर्ट देता है कि बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा धारा 34, 34च और 34छ के अधीन उसे दिए गए निदेशों का या धारा 3पड़ के अधीन गए किसी आदेश का पालन करने में निरन्तर विफल रहा है या वह अपने कार्य इस प्रकार से कर रहा है जो लोक हित के विरुद्ध है।

8.9.24 धारा 52झ में केन्द्रीय सरकार को किसी बीमाकर्ता के उपक्रमों का अर्जन करने के लिए स्कीम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और इसके साथ ही इस प्रयोजन से शक्तियों का विश्लेषण भी किया गया है तथा इस प्रकार बनाई गई स्कीम को प्रकाशित करने का भी उपबंध किया गया है। धारा 52ज में बीमाकर्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिकर का संदाय किए जाने का उपबंध किया गया है और यदि बीमाकर्ता को प्रतिकर की राशि स्वीकार्य न हो तो वह केन्द्रीय सरकार से मामले को, इस प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 52ट के अधीन गठित अधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध कर सकेगा जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(धारा 52ट) और वह अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा (धारा 52ड) अर्जित बीमाकर्ताओं के विधान के लिए विशेष उपबंध धारा 52ट में दिए गए हैं।

8.9.25 निजीकरण को अनुज्ञा देने और राष्ट्रीयकरण से हटने की नीति को ध्यान में रखते हुए अर्जन की ये शक्तियां सुसंगत नहीं रह गई हैं और यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 52ज से धारा 52ट तक निकाल दी जानी चाहिए।

निक्षेपों की वापसी (धारा 59)

8.9.26 धारा 59 में बीमा कम्पनियों के दिवाले या परिसमाप्त की स्थिति में धारा 7 या धारा 98 के अधीन किए गए निक्षेपों की वापसी का उपबंध किया गया है। इस धारा में आए शब्दों और अंकों "या धारा 98" का लोप किया जाना चाहिए।

विदेशी कम्पनियों के बारे में विशेष उपबंध (धारा 62-64)

8.9.27 धारा 62 से धारा 64 तक में भारत से बाहर स्थापित गैर भारतीय बीमा कम्पनियों/बीमाकर्ताओं के बारे में उपबंध किए गए हैं। ये उपबंध बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधिनियम से पूर्व ही अनावश्यक हो गए थे। अब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में भी, जिसके द्वारा भी बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन हुआ है, ऐसा विशिष्ट उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात (1938 के अधिनियम की धारा 2ग का परन्तु) भारतीय बीमा कम्पनी के अतिरिक्त कोई अन्य बीमाकर्ता भारत में किसी त्रैणी का भी बीमा कारबार आरम्भ नहीं कर सकेगा। इस उपबंध की दृष्टि से, गैर भारतीय कम्पनियों से संबंधित उपर्युक्त विशेष उपबंध अनावश्यक हो गए हैं, और, इसलिए, इनको निरसित किए जाने की आवश्यकता है।

बीमा परिषद और कार्यपालिका समिति की शक्तियां (धारा 64झ)

8.9.28.1 धारा 64ग के अधीन गठित बीमा परिषदों का कार्यकरण बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों को अनुमति देने की परिवर्तित नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक यह सुझाव दिया गया है कि इन परिषदों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि इन परिषदों के अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। इस विषय पर चर्चा अपेक्षित है।

8.9.28.2 धारा 64झ जीवन बीमा परिषदों की कार्यपालिका समिति की बीमा अभिकर्ताओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय बीमा संस्थान के प्रत्यापन के संदर्भ में इस धारा को निरसित करने का सुझाव दिया गया है।

8.9.29 कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति (धारा 64पठ)

इस धारा में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। पालिसी के अध्यर्पण मूल्य का अर्जन (धारा 113)

8.9.30 इस धारा में यह उपबंध किया गया है कि यदि प्रदत्त मूल्य घटी हुई न्यूनतम राशि से कम हो तो उपधारा (2) और (3) लागू नहीं होंगी। यह सुझाव दिया गया है कि प्रदत्त मूल्य और वार्षिकी की इस न्यूनतम राशि से प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने की अनुमति होनी चाहिए।

8.9.31 उपधारा (4) (ग) में यह उपबंधित है कि उपधारा (2) और (3) उन पालिसीयों को लागू नहीं होंगी जिनमें प्रीमियम का संदाय न किए जाने के कारण पालिसी व्यपगत जो जाने के पश्चात पालिसी को प्रवर्तन में रखने के लिए संविदा की शर्तों के अधीन अध्यर्पण मूल्य स्वयं में लागू हो जाएगा। यह सुझाव किया गया है कि इस आशय से इस उपधारा के नीचे एक परन्तु जोड़ा जाना चाहिए।

छूट (धारा 118)

8.9.32 यह सुझाव दिया गया है कि यदि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकूट कोई मजदूर संघ बीमा कारबार करता है तो उसे विनियमों की अधिकारिता के अधीन लाया जाएगा। यह सुझाव किया गया है कि विनियम का क्षेत्र और रीति (संघ के आकार - सदस्य संघ्या तथा निधि से सम्बद्ध) बीमा विधियों में समाविष्ट की जानी चाहिए।

## परिशिष्ट-II

उपबंध, जिनको संशोधन की आवश्यकता है  
(बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित के अतिरिक्त)

[पैरा 2.1.3]

धारा 2(9)

बीमा सहकारी सोसाइटी, धारा 2(8क) में परिभाषित रूप में, और भारतीय बीमा कम्पनी, धारा 2(7क) में परिभाषित रूप में, को सम्मिलित करने के लिए 'बीमाकर्ता' की परिभाषा को परिवर्तित करना होगा।

इस शब्द के अन्तर्गत सरकारी संगठनों को अपवादों/छूटों के अधीन लिया जा सकता है।

धारा 2ग

कुछ व्यक्तियों द्वारा बीमा कारबार किए जाने का प्रतिषेध:

धारा 2ग में वर्ष 1999 में तीसरा परन्तुक पुरस्थापित किए जाने से धारा 2ग में उल्लिखित प्रतिषेध अनावश्यक हो गया है। यह उपबंध निम्नलिखित रूप में किया जाना चाहिए:-

"इस अधिनियम के अधीन कोई भी बीमाकर्ता भारत में किसी भी श्रेणी का बीमा कारबार नहीं करेगा जब तक कि वह-

(क) धारा 2 के खंड (7क) में परिभाषित भारतीय बीमा कम्पनी नहीं है; या

(ख) धारा 2 के खंड (8क) में परिभाषित बीमा सहकारी सोसाइटी नहीं है।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार.....'(पहला परन्तुक रहने दिया जाए)

धारा 4

यह प्रस्ताव किया गया है कि जीवन बीमा पालिसियों द्वारा प्रतिभूत वार्षिकियों तथा अन्य प्रसुविधाओं की न्यूनतम सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इसे समय-समय पर विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अतः इस धारा में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

धारा 6क(1)

यह प्रस्ताव किया जाता है कि बीमाकर्ताओं को अधिमानी शेयर निर्गमित करने की अनुमति देने के लिए धारा 6क(1) में संशोधन किया जाना चाहिए। तथापि, प्रत्येक नए पूंजीगत निर्णय के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति, उसके द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार प्राप्त की जानी चाहिए।

धारा 6क(10)

यह प्रस्ताव किया जाता है कि पूंजीगत ढांचे के संबंध में निदेश जारी करने के केन्द्रीय सरकार की शक्ति और मताधिकारों का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

धारा 6ख

यह प्रस्ताव किया जाता है कि अपने किसी बीमाकर्ता द्वारा अपने पूंजीगत ढांचे को धारा 6क की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सक्षम होने के लिए किसी स्कीम की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त करने का निदेश देने की शक्ति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंपी जानी चाहिए।

धारा 6क(4)

यदि "जीवन बीमा कारबार" शब्दों के पश्चात "साधारण बीमा कारबार" शब्द जोड़कर धारा 6ख(1) में संशोधन किया जाता है तब धारा 6ख(4) की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी जिसका तदनुसार लोप किया जाना चाहिए।

धारा 6ग

वर्तमान में शेयरों द्वारा परिसीमित पब्लिक कम्पनी के केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अपने को

धारा 7(1)

गरन्टी द्वारा परिसीमित कम्पनी में संपरिवर्तित कर सकती है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनुमति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दो जानी चाहिए और उपबंध में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

निष्केप:

यह स्पष्ट करने के लिए धारा 7(1) में संशोधन किया जाना चाहिए कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के समय किसी बीमाकर्ता द्वारा किया गया निष्केप धारा 7(1) के अधीन किया गया निष्केप समझा जाएगा।

समस्त प्रीमियम के योग पर आधारित निष्केप राशि संबंधी फारमूला पहली बार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए सहायक नहीं है। पहली बार आवेदन करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों के अधीन पहली बार आवेदन करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए अपने आवेदन-पत्र के साथ 10 लाख रुपए की राशि जमा कराना आवश्यक है। इस व्यवस्था को धारा 7(1) में दर्शाया जाना चाहिए।

किसी बीमाकर्ता के पास शेयर पूंजी न होने की दशा में केन्द्रीय सरकार को धारा 7(1) के अधीन उपांतरण के साथ इस उपबंध को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 7(1) के दूसरे परन्तुक में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर इस आशय के स्पष्टीकरण के साथ कि प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से शक्ति का प्रयोग करेगा, "प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 7(9क) और 7(9ख)

बीमाकर्ता द्वारा धारित प्रतिभूतियों/निष्केप के विनिधान की बिक्री के मामले में रिजर्व बैंक की शक्ति का प्रयोग बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से किया जाना चाहिए। उपबंध में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, धारा 7(9ख) के खंड (ख) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 9

निष्केपों का प्रतिदाय:

यह प्रस्ताव किया जाता है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमा कारबार बन्द कर दिए जाने पर बीमाकर्ता के निष्केपों के प्रतिदाय करने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्राप्त होनी चाहिए। जहां कारबार न्यायालय में कार्यवाही समाप्त हो जाने के अनुसारण में बंद किया गया है वहां ऐसे आदेश न्यायालय द्वारा दिए जाने चाहिए।

धारा 10(1)

इस धारा के परन्तुक का, जिसमें प्रकीर्ण बीमा कारबार के कतिपय उपवर्गों के विहित किए जाने का प्रतिषेध किया गया है, पुनरीक्षण करने और उसमें उपांतरण करने की आवश्यकता है।

धारा 10(2)

यह अपेक्षा कि जीवन बीमा कारबार की बाबत शोध्य सब प्राप्तियां "एक पृथक निधि में जमा की जाएंगी जिसका नाम बीमा निधि होगा" अनावश्यक हो गई है क्योंकि जीवन बीमाकर्ता साधारण बीमा कारबार नहीं कर सकता। तथापि, साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता साधारण बीमा कारबार के उपवर्गों के संबंध में पृथक लेखे और पृथक निधियां रख सकेंगे। इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिए।

लेखाओं और तुलनपत्रों का तैयार किया जाना:

भागीदारी फर्मों द्वारा बीमा कारबार करने वाले विधायी परिवर्तनों के

कारण और सहकारी सोसाइटियों को बीमाकर्ता के रूप में सम्मिलित किए जाने से धारा 11(2) में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। भागीदारी फर्म के हस्ताक्षरकर्ता संबंधी निर्देश वाला इस धारा का भाग निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि वह बीमा कारबार नहीं कर सकता। तथापि, बीमा 'सहकारी सोसाइटियों से संबंधित हस्ताक्षरकर्ता' अन्तःस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 12

लेखा परीक्षक का दायित्व

"भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 145" शब्दों के स्थान पर "कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 223" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 13(4)

प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए उपधारा (4) के उपबंध के निम्नलिखित रूप में पुनर्प्रारूपण की आवश्यकता है:

"(4) बीमाकर्ता के लेखाओं के बारे में पांचवीं अनुसूची के भाग-एक में अन्तर्विष्ट विनियमों के अनुसार, जो ऐसी संक्षिप्ति के प्रयोजनों से बनाए गए हैं, तैयार किया गया एक विवरण ऐसी प्रत्येक संक्षिप्ति के साथ, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से, संलग्न किया जाएगा।"

धारा 15

विवरणियों का दिया जाना:

क्योंकि धारा 11(2) में भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने का उपबंध किया गया है, इसलिए धारा 15 की उपधारा (1) और (2) को सरल बनाने के विचार से निम्नलिखित रूप में पुनर्प्रारूपित किया जाना चाहिए:

"15(1) धारा 11 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षित लेखे और विवरण तथा धारा 13 में निर्दिष्ट संक्षिप्ति और विवरण, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि में, चार प्रतियों में दिए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण कम्पनी की दशा में उसके अध्यक्ष तथा दो निदेशकों द्वारा कम्पनी के प्रधान अधिकारी द्वारा और यदि कम्पनी का प्रबंध निदेशक है तब उस निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और बीमा सहकारी सोसाइटी की दशा में.....:

परन्तु यह कि उपर्युक्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा तथा मूल्यांकन करने वाले बीमांकक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।"

धारा 16

भारत के बाहर स्थापित बीमाकर्ताओं द्वारा विवरणियां:

धारा 16 (2) (ख) में "तीसरी अनुसूची, जो उस वर्ग या उपवर्ग के बीमा कारबार के लिए लागू होती है" शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए और बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 को ध्यान में रखते हुए, इन शब्दों के स्थान पर "विनियम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 28

आस्तियों के विनिधानों के विवरण का दिया जाना:

धारा 28(1) और (2) निम्नलिखित रूप में पुनर्प्रारूपित की जानी चाहिए:

"(1) जीवन बीमा कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता, प्रत्येक वर्ष, प्राधिकरण को, विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर और रीति के अनुसार, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को, धारा 27 के अनुसार, विनिहित आस्तियां दर्शायी जाएंगी।

(2) ऐसा प्रत्येक बीमाकर्ता जून, सितम्बर और दिसम्बर के अन्त में विनिहित आस्तियां दर्शाते हुए, विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर और रीति के अनुसार, ट्रैमासिक विवरणी भी प्रस्तुत करेगा।"

धारा 28(3)

धारा 28(3) में भी संशोधन की आवश्यकता है। 'अगस्त' और 'जून' शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'नवम्बर' और 'सितम्बर' शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 28क और 28ख

विनिधानों की विवरणी प्रस्तुत किया जाना: विस्तृत विनिधान विनियमों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः जीवन बीमाकर्ताओं तथा साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा विनियमों की विवरणी प्रस्तुत किए जाने का उपबंध करने वाली धारा 28क और 28ख को मूल अधिनियम में उपबंधित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति का निर्देश मात्र करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।

धारा 29

उधारों का प्रतिषेध:

धारा 29 के उपबंध किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी निदेशक प्रबंधक, बीमांकक, लेखापरीक्षक, या अधिकारी को त्रृण या अस्थायी अग्रिम दिए जाने का प्रतिषेध करते हैं। तथापि, जीवन बीमाकर्ता, बीमा अधिकर्ताओं को उनके कार्य करने के लिए उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन त्रृण या अग्रिम राशि दे सकते हैं। यह समुचित होगा यदि धारा 29(3) के उपबंध साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए भी प्रवर्तनीय बनाए जाए।

अपने कर्मचारियों को त्रृण आदि देना कम्पनियों का आंतरिक मामला है, फिर भी इस मामले में थोड़ी छूट दिया जाना उपयुक्त होगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 29(3)(क) में संशोधन किया जाए और धारा 29क की उपधारा (1) में "विनिर्दिष्ट उधारों के सिवाय" शब्दों के स्थान पर "निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत बीमाकर्ता की स्कीम के सिवाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

एक यह सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों को दी गई अस्थायी अग्रिम राशियों पर धारा 29 के उपबंध लागू नहीं होने चाहिए।

धारा 29(2) में "कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 86ध(1913 का 7)" शब्दों के स्थान पर "कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 31(ख)(3)

अत्यधिक पारिश्रमिक दिए जाने का निर्बंधित किया जाना:

उपधारा (3) के उपबंधों में मुख्य अधिकर्ता, प्रधान अधिकर्ता या विशेष अधिकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा 5000 रुपए की राशि से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किए जाने की दशा में बीमाकर्ता तथा अधिकर्ता के बीच हुए करार की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ता को नोटिस दिए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट 5000 रुपए की सीमा को समुचित रूप में बढ़ाया जाना चाहिए।

धारा 32क

सम्मिलित अधिकारियों का प्रतिषेध:

धारा 32क की उपधारा (1) के अधीन किसी जीवन बीमाकर्ता का प्रबंध निदेशक या अन्य अधिकारी किसी अन्य बीमाकर्ता या बैंककारी कम्पनी के प्रबंध निदेशक या अन्य अधिकारी न होना और उपधारा (2) के अधीन बीमा निधि 50 लाख रुपए से अधिक और जीवन बीमा निधि 25 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक या अधिकारी रखना बीमाकर्ता का दायित्व होगा। उपधारा (2) के पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि इस उपधारा के अधीन पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की आवश्यकता सर्वान्वयी है। नियुक्ति का बिना किसी शर्त का होना उपयुक्त है अर्थात्, बीमाकर्ता की निधि की राशि पर निर्भर न करते हुए। यह अधिक समुचित होगा यदि इस धारा के उपबंधों को विनियमों का भाग बना दिया जाए।

धारा 32ख और  
32ग

**सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र:**  
“या” शब्द के स्थान पर “और” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ताकि बीमाकर्ता द्वारा ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों में से एक का चयन करने के विकल्प को समाप्त किया जा सके और बीमाकर्ता उनमें से किसी एक का चयन करने के बजाय दोनों क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान कर सके। इसके परिणामस्वरूप इन धाराओं के ‘मार्जिन नोट’ में भी तदनुसार संशोधन किया जाना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त विनियम 3 का तीसरा परन्तुक इस विनियम में उल्लिखित दायित्व को प्रत्येक पांच वर्ष में प्रकटीकृत करने का प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करता है। प्राधिकरण की यह शक्ति अधिनियम में अन्तःस्थापित की जाना चाहिए और इसे आवश्यक परिवर्तनों के साथ धारा 32ग का परन्तुक बनाया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकरण को प्रतिशतता का पुनरीक्षण करने की अपनी शक्तियां संविधि से प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग मूल अधिनियम के अधिकारातीत हो जाएगा।

धारा 32ग के उपबंधों के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में, विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, फसल बीमा सहित जीवन बीमा पालिसीयां तथा साधारण बीमा पालिसीयां देना प्रत्येक बीमाकर्ता का दायित्व है। तथापि, खंड (ख) के विनियम 3 में पहले पांच वर्षों में दायित्वों के बारे में जीवन संख्याओं का उल्लेख किया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि “जीवन” शब्द के स्थान पर “पालिसीयां” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 32ख(1) में “सरकारी राजपत्र” शब्दों के स्थान पर “विनियमों” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 35

**समामेलन:**

मूल अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत को अधीन, चाहे स्कीम प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई हो अथवा नहीं, बीमा कारबार के समामेलन की अनुज्ञा देता है। जहां ऐसी स्कीम मंजूर की जाती है, वहां समामेलन कारबार करने वाले बीमाकर्ता या अन्तरित बीमाकर्ता को अन्तरण और समामेलन के संबंध में स्कीम, करार, तुलनपत्र आदि, वहां भी जहां समामेलन या अन्तरण खंड (ग) के अधीन प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई स्कीम के अनुसार नहीं किया गया है, प्राधिकरण को प्रस्तुत करने होंगे। धारा का यह भाग धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों के अनुरूप प्रतीत होता है जहां प्राधिकरण की मंजूरी के बिना कोई समामेलन नहीं हो सकेगा। अतः उपबंधों में स्पष्टीकरण जोड़कर इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बीमा अधिनियम, 1938 के कार्यकरण के बारे में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति या अस्पष्टता को दूर करने के विचार से इस आशय का एक स्पष्ट उपबंध करना होगा कि बीमा अधिनियम, 1938 की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना कम्पनी अधिनियम के अधीन समामेलन के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।

धारा 37क

समामेलन की स्कीम तैयार करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्ति:

धारा 37 में दिया गया समामेलन स्कीम का विवरण विनियमों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

धारा 40(2)

**बीमा अधिकर्ताओं को कमीशन का संदाय:**

उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

“किसी भी बीमा अधिकर्ता को कमीशन के रूप में या किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में उस राशि से अधिक राशि का संदाय नहीं किया जाएगा या संदाय करने की संविदा नहीं की जाएगी जो पालिसीयों के बारे में, चाहे वे जीवन या गैर जीवन बीमा पालिसीयां या वह राशि पालिसी के नवीकरण के संबंध में हो, विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई हो”।

धारा 40(2क)

**नवीकरण कमीशन का संदाय:**

धारा 40(2क) में इस आशय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि परवर्ती नवीकरण प्रीमियम का संदाय पालिसी करने वाले अधिकर्ता के अतिरिक्त अन्य अधिकर्ता को किया जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप, इस उपधारा के परन्तुक में भी इस आशय का उपबंध करने के लिए संशोधन करना होगा कि नवीकरण प्रीमियम पर कमीशन के बाल उस अधिकर्ता को किया जाएगा जिसने प्रीमियम का संदाय न किए जाने के कारण व्यपत गत हो गई पालिसी के नवीकरण में सहायता की है। इस प्रकार वह अधिकर्ता, जिसने पालिसी अधिप्राप्त की थी, कमीशन प्राप्त करने से प्रतिशब्द होगा। इस संबंध में प्राधिकरण विनियम बना सकेगा।

धारा 40क

**कमीशन के रूप में होने वाले व्यय की परिसीमा:**

धारा निम्नलिखित रूप में पुनःप्राप्तित की जाए:-

“40क. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा, चाहे वह जीवन बीमा कारबार करता है या साधारण बीमा कारबार, की गई किसी भी पालिसी के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट के सिवाय, किसी बीमा अधिकर्ता को कमीशन या किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में न तो कोई रकम देगा और न देने की संविदा करेगा तथा कोई भी बीमा अधिकर्ता ऐसी कोई रकम न तो प्राप्त करेगा और न प्राप्त करने की संविदा करेगा”।

प्रस्तावित धारा के परिणामस्वरूप उपधारा (5) भी पुनःप्राप्तित की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान धारा 40क की उपधारा (1) और (3) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उपधारा (5) में दंड के रूप में 100 रुपए जुमाने का उपबंध किया गया है। यह राशि अपर्याप्त है और इसलिए इसे समुचित रूप में बढ़ाया जाना चाहिए।

धारा 40ख और ग

**प्रबंध पर होने वाले व्यय की परिसीमा:**

धारा 40ख के स्पष्टीकरण के खंड(ख) में “प्रबंध के व्यय” पद की व्याख्या की गई है। देश में कारबार की हाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में इसके अन्तर्गत कातिपय अन्य प्रकार के व्ययों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों का विनियमों में लिया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

इसी प्रकार धारा 40ग के उपबंध साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता को प्रबंधन पर विहित सीमा से अधिक व्यय करने का प्रतिषेध करते हैं।

दोनों धाराओं में तथा उनके स्पष्टीकरणों में “कलैण्डर” शब्द के स्थान पर “वित्तीय” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

**रिबेट विषयक प्रतिषेध:**

धारा 41 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए, इस धारा की उपधारा (2) में जुमाने के रूप में 500 रुपए की राशि विहित की गई है। जुमाने की यह राशि अपर्याप्त है और यह बढ़ाई जानी चाहिए। एक यह सुझाव आया है कि जुमाने की राशि प्रीमियम राशि के 100 प्रतिशत या 10000 रुपए, जो भी अधिक हो, तक बढ़ाने के लिए धारा 41 का संशोधन किया जाना चाहिए।

**बीमा अधिकर्ताओं का रजिस्टर:**

‘रजिस्टर’ शब्द के स्थान पर “रिकार्ड” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप हाशिए में दिए गए टिप्पण में भी तदनुसार संशोधन करना होगा अर्थात् “बीमा अधिकर्ताओं का रिकार्ड”।

धारा में रिकार्ड रखने के लिए कोई समय सीमा (अधिकतम समय सीमा) नहीं दी गई है। यह सुझाव दिया गया है कि इस संबंध में अधिकतम समय सीमा धारा में विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

धारा 44

## दायरोग्य कमीशन:

धारा 44(1) के परन्तुक के खंड (ख) में उल्लिखित पचास हजार रुपए की राशि और नवीकरण कमीशन की प्रतिशतता (4 प्रतिशत) में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, विनियमों में इसका विनिश्चित किया जाना प्राधिकरण के लिए छोड़ना उपयुक्त होगा। खंड(ग) के अधीन किसी अधिकर्ता द्वारा किसी बीमाकर्ता के लिए निरन्तर दस वर्ष तक कार्य करने की शर्त की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

उपधारा (ग) के उपबंध किसी भूतपूर्व बीमाकर्ता का अधिकर्ता न रहने पर भी उसे किसी अन्य बीमाकर्ता के लिए कारबार की याचना करने या कारबार उपाप्त करने से रोकते हैं। उदारीकरण के इस युग में यह शर्त न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। इस उपबंध का संशोधन इस आशय से किया जाना चाहिए कि अधिकर्ता न रहने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात वह अन्य बीमाकर्ता के लिए कारबार उपाप्त कर सकेगा।

खंड(ख) और (ग) में “और अन्यतः” शब्द इस दृष्टि से निकाल दिए जाने चाहिए कि एक अधिकर्ता एक जीवन बीमाकर्ता तथा एक साधारण बीमाकर्ता के लिए कार्य कर सकता है। (देखें विनियम)

नवीकरण कमीशन का संदाय केवल तभी किया जाना चाहिए जब अधिकर्ता पालिसी के साथ निरन्तर रूप से जुड़ा हो। धारा 44 में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

धारा 44(1) में आए “व्यक्ति” शब्द के स्थान पर “बीमाकर्ता” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 48क

“जीवन बीमा कारबार” शब्दों के पश्चात “या साधारण बीमा कारबार” शब्द जोड़े जाने चाहिए। परिणामतः, धारा के हाशिये के शीर्षक में भी संशोधन करना होगा। हाशिये में से “जीवन” शब्द का लोप कर दिया जाना चाहिए।

धारा 50

विकल्पों की सूचना:

“जब वे विकल्प पालिसी में उपर्युक्त नहीं हैं” शब्दों का लोप किया जाना चाहिए।

धारा 51

## प्रस्थापनाओं आदि की प्रतियों का दिया जाना:

“एक रूपए से अनधिक फीस” शब्दों के स्थान पर “फीस जो विनियमों में विहित की जाए” शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 52(खख)

## प्रशासक की शक्तियां:

उपधारा (2) और (3) में “केन्द्रीय सरकार” शब्द के स्थान पर “प्राधिकरण” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 52 घ

## प्रशासक की नियुक्ति का पर्यवेक्षण:

धारा 52घ को निम्नलिखित रूप में संशोधित करना होगा:-

“यदि किसी समय प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि प्रशासक की नियुक्ति करने वाले आदेश के प्रयोजन की पूर्ति हो गई है या किसी कारण से यह अवांछनीय हो गया है कि नियुक्ति का आदेश प्रवृत्त बना रहे तो प्राधिकरण उस आदेश को रद्द कर सकेगा और वैसा होने पर प्रशासक बीमा कारबार के प्रबंध से विनिहित हो जाएगा और जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निरेश न दिया जाए, वह प्रबंध उस व्यक्ति में पुनःनिहित हो जाएगा जिसमें वह प्रशासक की नियुक्ति से पूर्व या इस संबंध में बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से पूर्व निहित था।”

प्रशासक नियुक्त करने के विविश्चय की अन्तिमता:

“केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर “प्राधिकरण” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा परिसमाप्तन:

धारा 53 की उपधारा (1) में “कम्पनी अधिनियम, 1913” के निर्देश के स्थान पर “कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 7)” प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

आंशिक परिसमाप्तन:

उपधारा (4) में कम्पनी अधिनियम, 1913 की “धारा 12” के निर्देश के स्थान पर “15” और “धारा 15 और 16” के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की “धारा 17” प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

“केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर “प्राधिकरण” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

### परिशिष्ट-III

उपबंध जो अनावश्यक हो गए हैं और जिनके निकाले जाने की आवश्यकता है

[पैरा 2.1.5]

बीमा अधिनियम, 1938 के

उपबंध

धारा 2(12) और 2(13)

प्रबंधक, अधिकारी और प्रबंध अधिकर्ता की परिभाषाएं। ये पद अब प्रचलन में नहीं हैं और इसलिए सुसंगत नहीं हैं।

धारा 2(16) और 2(17)

'प्राइवेट कम्पनी' और 'पब्लिक कम्पनी' शब्द अब कम्पनी अधिनियम, 1913 से संबंधित नहीं रहे हैं, जैसाकि अधिनियम की धारा 2(16) में दर्शाया गया है। इसलिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस परिभाषा को निकाले जाने की आवश्यकता है।

धारा 2ख(1)

'विशेष अधिकर्ता' की अवधारणा भी अब प्रचलित नहीं रही है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 2(17) निकाल दी जानी चाहिए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के उपबंधों का बीमा अधिनियम के प्रस्तावित विलय की दृष्टि से, धारा 2ख(1) निकाली जा सकेगी जबकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकरण की दशा में बीमा नियंत्रक की नियुक्ति का उपबंध करने वाली उपधारा (2) रहने दी जाएगी।

धारा 2ग

धारा 2(1) के लिए वर्ष 1999 में अन्तःस्थापित किए गए तीसरे परन्तुके आधार पर जो व्यक्ति बीमा कारबार कर सकते हैं, उनमें केवल भारतीय कम्पनियां भारत में बीमा कारबार कर सकती हैं। तदनुसार, धारा 2ग(1) और उसका पहला और दूसरा परन्तुक अनावश्यक हो जाते हैं।

तदनुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2ग(1) और उसका पहला और दूसरा परन्तुक निकाल दिए जाने चाहिए और यह कि धारा 2ग(1) के तीसरे परन्तुक को धारा 2ग के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही धारा 2ग(2) को भी निरसित करना होगा।

धारा 3(5)

उपधारा (5) से धारा 3(3) का निर्देश धारा 3 में प्रस्तावित परिवर्तन की दृष्टि से, जिसे धारा 2ग(1) के तीसरे परन्तुक की दृष्टि से निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया जाना चाहिए।

धारा 3(4)(क)

धारा 3(4)(क) में आए शब्द "या धारा 98" भाग - चार के प्रस्तावित निरसन की दृष्टि से, जिसमें धारा 98 अन्तर्विष्ट है, निकाले जा सकेंगे।

धारा 3(4)(ड)

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का एक आधार वह है जहां केन्द्रीय सरकार धारा 33(4) के अधीन ऐसा निर्देश देती है। क्योंकि यह उपबंध अनावश्यक हो गया है, इसका लोप कर दिए जाने की आवश्यकता है।

धारा 3(5)

धारा 3(5) में धारा 3 की उपधारा (3) का उल्लेख अब संगत नहीं रह गया है अतः इसका लोप किया जाना चाहिए।

धारा 4

धारा 4 में सहकारी जीवन बीमा सोसाइटी और पारस्परिक बीमा कम्पनी के निर्देशों का असंगत हो जाने के कारण लोप कर दिया जाना चाहिए।

धारा 5(2) और 5(3)

धारा 5(2) और 5(3) में पहला और दूसरा परन्तुक अनावश्यक हो गए हैं अतः इनका लोप किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें उन बीमाकर्ताओं के बारे में उपबंध हैं जो 1912 के अधिनियम के अधीन कारबार करते थे या कारबार क्षेमदा सोसाइटियों द्वारा किया जाता था।

धारा 6क(1)  
परन्तुक

धारा 7(7)

धारा 7(ख)

धारा 10(1)

धारा 10(2)

धारा 10(2क)

धारा 11(1) और (1क)

धारा 12

धारा 13

धारा 6क(1) के परन्तुक का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनावश्यक हो गया है।

इन्डियन लाइफ इश्योरेंस कम्पनीज एक्ट, 1912 के अनुपालन में करेंसी नियंत्रक के पास जमा निक्षेपों से संबंधित यह उपबंध अनावश्यक हो गया है अतः इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

धारा 7(9ख) के खंड (क) से "या बेंची गई थीं अथवा यदि प्रतिभूतियां मार्च, 1940 के इक्कीसवें दिन से पूर्व परिपक्व हुई थीं या बेंची गई थीं तो, "बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1940 के प्रारम्भ से चार मास की अवधि के अन्दर" शब्द निकाल दिए जाने चाहिए क्योंकि ये अनावश्यक हो गए हैं।

बीमा कारबार के प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक लेखा रखा जाना:

यह बाध्यता निर्धारित हो गई है क्योंकि मिश्रित कारबार की अनुज्ञा नहीं है। धारा 10(1) निकाली जा सकती है।

धारा 10(2) से "बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1946 के प्रारम्भ से छह माह की समाप्ति के पश्चात" शब्द और "बीमाकर्ता के देश की विधि के अधीन" शब्द अनावश्यक हो गए हैं अतः निकाल दिए जाने चाहिए।

धारा 10(2क) के उपबंधों में जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता से, यदि वह जीवन बीमा कारबार के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग के बीमा कारबार के लिए रजिस्ट्रीकृत होना चाहता है, एक अपेक्षा पूरी किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस उपधारा का उपबंध निकाल दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि मिश्रित बीमा कारबार की अनुज्ञा नहीं है।

धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार बीमाकर्ताओं का यह दायित्व है कि वे अधिनियम की पहली, दूसरी तथा तीसरी अनुसूची में अन्तर्विष्ट विनियमों के अनुसार तुलनपत्र, लाभ हानि लेखा, प्राप्तियों और संदायों का पृथक लेखा और राजस्व लेखा रखेंगे। ये अनुसूचियां बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा निरसित कर दी गई हैं। इसलिए, उपधारा (1) अनावश्यक हो गई है और निरसित कर दी जानी चाहिए।

वर्ष 1999 के संशोधन के द्वारा इस धारा में उपधारा (1क) और (1ख) अन्तःस्थापित की गई है, जो ऐसे दस्तावेज तैयार करने से संबंधित मामलों पर स्वतंत्र रूप से निगरानी रखती है। अतः अन्य किसी परिवर्धन आदि की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार उपधारा (1क) से "उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी के होते हुए भी" शब्द निकाले जाने की आवश्यकता है।

"ऐसे बीमाकर्ता की दशा में जो धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं" शब्द "किसी अन्य बीमाकर्ता की दशा में भारत में उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार की बाबत" शब्द निकाल दिए जाने चाहिए।

"चौथी अनुसूची के भाग-1 में अन्तर्विष्ट विनियमों के अनुसार तथा अनुसूची के भाग-2 की अपेक्षाओं के अनुरूप" शब्द बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 तथा बीमांकक रिपोर्ट और संक्षिप्तियों के बारे में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों की दृष्टि से अनावश्यक हो गए हैं अतः ये निकाल दिए जाने चाहिए।

धारा 13(1) का दूसरा, तीसरा तथा चौथा परन्तुक भी अनावश्यक हो जाने के कारण निरसित कर दिए जाने चाहिए। इन परन्तुकों में क्रमशः बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 के प्रारम्भ से पूर्व किए जाने वाले अन्वेषणों के बारे में उपबंध किए गए हैं।

धारा 13(3)

प्रत्येक संक्षिप्ति के साथ पालिसीधारक के विवरणों के बारे में बीमाकर्ता का प्रमाणपत्र उपाबद्ध करने की अपेक्षा करने वाले उपबंधों [धारा 13(3)] की पुनरावृत्ति से बचने के लिए लोप किया जाना चाहिए क्योंकि ये उपबंध विनियमों में उपलब्ध हैं।

धारा 13(4)

उपधारा (4) को पुनर्प्रारूपित करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखे हुए इस उपधारा का परन्तुक भी असंगत हो जाएगा अतः इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

धारा 13(6)

उपधारा (6) के उपबंधों में “प्रकीर्ण बीमा” वर्ग के अधीन आने वाले बीमा कारबार के उपवर्ग का निर्देश किया गया है जो धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाएगा। तथापि धारा 10(1) में कुछ भी विहित नहीं किया गया है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि या तो बीमा कारबार के उपवर्ग “प्रकीर्ण बीमा” शब्द की परिभाषा में विनिर्दिष्ट किए जाएं या “जो धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाए” शब्द निकाल दिए जाने चाहिए।

धारा 14

धारा 14 के अधीन प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा पालिसियों और दावों का रजिस्टर या रिकार्ड रखे जाने की अपेक्षा की गई है। इस धारा में खंड (क) और खंड (ख) से “रजिस्टर” शब्द का लोप किया जाना चाहिए, क्योंकि अब रिकार्ड इलैक्ट्रॉनिक रूप से भी रखा जा सकेगा। रिकार्ड शब्द के अन्तर्गत रिकार्ड और रजिस्टर दोनों ही आ जाते हैं।

धारा 15

विवरणियों का दिया जाना:

धारा 15(1) का परन्तु अनावश्यक हो जाने के कारण निकाल दिया जाना चाहिए।

धारा 15(2)

उपधारा (2), बीमाकर्ता यदि कोई कम्पनी या कोई फर्म या कोई व्यष्टि होने की दशा में, दस्तावेजों पर हस्ताक्षरकर्ताओं का निर्देश करती हैं। भागीदारी फर्म या व्यष्टि के निर्देश निकाल दिए जाने चाहिए क्योंकि ये हाल ही के विधायी विकासों की दृष्टि से असंगत हो गए हैं।

धारा 15(3)

उपधारा (3) के उपबंध, जिनमें उन बीमाकर्ताओं के बारे में व्यवस्था की गई है जिनका अधिकावास भारत से बाहर है और जिनके कारबार का मुख्य स्थल भारत से बाहर है, अनावश्यक हो गए हैं क्योंकि ऐसे किसी बीमाकर्ता को भारत में कारबार करने की अनुज्ञा नहीं है। इसलिए, इसे निरसित कर दिया जाना चाहिए।

धारा 16

भारत से बाहर स्थापित बीमाकर्ताओं द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने की रीति विहित करने वाले उपबंध निरर्थक हो गए हैं अतः इनका निरसन किए जाने की आवश्यकता है।

धारा 22

धारा 22 की उपधारा (1) और (2) से धारा 16 (2) (ग) का निर्देश निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि धारा 16 (2) (ग) में भारत से बाहर अधिकावासित बीमाकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई है, अतः इस प्रकार से निर्देश का लोप कर दिया जाना चाहिए।

धारा 27(2) (क), (ख) और (6)

धारा 27 (2) के खंड (क) में धारा 98 के निर्देश का लोप किया जाना चाहिए। धारा 27 (2) (ख) के उपबंध, उसके परन्तुक सहित, असंगत हो जाने के कारण निरसित कर दिए जाने चाहिए।

धारा 27 (6) के उपबंध भी असंगत हो गए हैं और इन्हें निरसन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे भारत से बाहर अधिकावासित बीमाकर्ताओं के बारे में हैं।

धारा 27क

धारा 27 (1) के खंड (ख) के उपबंध असंगत होने के कारण निकाल दिए जाने चाहिए क्योंकि इनमें ब्रिटेन सरकार की प्रतिभूतियों के लिए व्यवस्था की गई है।

धारा 27क (1) (द) से “या ऐसे अन्य देश में” शब्द निकाल दिए जाने चाहिए क्योंकि विनिधान विनियमों की अनुसूची—I और अनुसूची—II में स्वीकृत विनिधानों के प्रयोजन से अन्य देशों में स्थिति स्थावर सम्पत्ति को स्पष्ट रूप से वर्चित रखा गया है। इससे अधिनियम और विनियमों के बीच असंगति दूर हो जाएगी इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का निरसन धारा 27ग की अवधारणा के अनुरूप होगा।

उपधारा (12) के उपबंध निरसित किए जाने चाहिए क्योंकि इनमें बीमा अधिनियम, 1950 के प्रारम्भ के समय विद्यमान बीमाकर्ता से अधिनियम के प्रारम्भ के समय से 90 दिन के भीतर धारा 27क के उल्लंघन में किए गए विनिधानों के बारे में रिपोर्ट दिए जाने की अपेक्षा की गई है। ऐसे बीमाकर्ता अब विद्यमान नहीं हैं।

उपधारा (16) में आस्तियां शब्द का अर्थ पहली अनुसूची के भाग 2 के प्रूप में दर्शित आस्तियों का निर्देश करने वाले कारबार के विभिन्न वर्गों के लिए लिया गया है। पहली अनुसूची बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा निरसित कर दी गई है। इसलिए इस धारा के उपबंध असंगत हो गए हैं। इसके साथ ही यह शब्द विनिधानों से संबंधित विनियमों के पैरा 2(6क) में परिभाषित किया गया है। इसलिए, इस उपधारा को निरसित किए जाने की आवश्यकता है।

उपधारा 27ख (1) (i) में “या किसी अन्य देश” शब्दों का निर्देश विनिधान विनियमों की दूसरी अनुसूची की दृष्टि से, जिसमें भारत से बाहर स्थित स्थावर सम्पत्ति का पहला बंधक स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, निकाल दिया जाना चाहिए।

उपधारा (1) के खंड (झ) में “या किसी अन्य देश” में जहां बीमाकर्ता बीमा कारबार कर रहा है शब्द उन्हीं कारणों से निकाल दिए जाने चाहिए जो कारण धारा 27क के ऐसे ही उपबंधों के बारे में दिए गए हैं।

उपधारा (4), जिसमें भारत से बाहर अधिकावासित बीमाकर्ताओं के बारे में उपबंध किए गए हैं, अनावश्यक हो गई है अतः निरसित कर दी जानी चाहिए।

क्योंकि भागीदारी फर्म कारबार नहीं कर सकेगी, इसलिए किसी फर्म या भागीदार के बारे में उपधारा (1) में किए गए निर्देश का लोप कर दिया जाना चाहिए।

उपधारा (3) (ख) और स्पष्टीकरण से मुख्य अभिकर्ता और विशेष अभिकर्ता के बारे में निर्देश निकाल दिए जाने चाहिए, इसी प्रकार क्रमशः मुख्य अभिकर्ता और विशेष अभिकर्ता से संबंधित उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) भी निकाल दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार उपधारा (6) में मुख्य अभिकर्ता के निर्देश का लोप किया जाना चाहिए।

उपधारा (4) के उपबंध, जिनमें 1950 के अधिनियम के प्रारम्भ से उधार या अग्रिमों के बारे में अधिसूचना जारी करना प्राथिकरण का दायित्व बनाया गया है, प्रत्यक्षतः निरर्थक हो गए हैं अतः निरसित कर दिए जाने चाहिए।

मुख्य अभिकर्ता, प्रधान अभिकर्ता और विशेष अभिकर्ता की प्रणाली अब विद्यमान नहीं है। इसलिए बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को पारिश्रमिक का संदाय किए जाने की संभावना ही नहीं है। इसलिए जिनके निकाले जाने की आवश्यकता है उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए।

बीमाकर्ताओं द्वारा प्रबंधकारी अभिकर्ताओं का नियोजन करने से प्रतिषेध किया गया है। धारा 32(1) के उपबंधों के अधीन उनके नियोजन और पारिश्रमिक से

धारा 31ख

धारा 32

धारा 33(7)	संबंधित उपधारा (2) और (3) अनावश्यक हो गई है तथा वे आकस्मिक स्वरूप की भी हैं, अतः उपधारा (2) और (3) का लोप किया जाना चाहिए।
धारा 35(1)	उपधारा (7) में रिपोर्ट के प्रकाशन में बीमाकर्ता को पूर्व सूचना देने की परिकल्पना की गई है क्योंकि उपधारा (6) में बीमाकर्ता को रिपोर्ट उपलब्ध कराने और उस पर प्रतिक्रिया वयक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है इसलिए, कोई सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए, उपधारा (7) निकाली जा सकती है।
धारा 35(3)	धारा 35(1) में “किसी व्यक्ति को या अंतरित किया जाएगा” शब्द अनावश्यक प्रतीत होते हैं, इसलिए इनका लोप किया जाना चाहिए।
धारा 40	धारा 35(3) के परन्तुक में शब्दों और अंकों का निर्देश, “या इन्डियन लाइफ एश्योरेंस कम्पनिज एक्ट, 1912 की धारा 7 और 8” शब्दों का अनावश्यक हो जाने के कारण निकाल दिया जाना चाहिए।
धारा 40क	उपधारा (1) में प्रधान, मुख्य या विशेष अभिकर्ताओं का निर्देश निकाल दिया जाना चाहिए। “इस अधिनियम के प्रारम्भ से 6 माह की समाप्ति के पश्चात” शब्दों का अनावश्यक हो जाने के कारण लोप किया जाना चाहिए।
धारा 40क - स्पष्टीकरण	उपधारा (2) में अभिकर्ता को जीवन बीमा कारबार की दशा में उसके द्वारा की गई किसी बीमा पालिसी या साधारण बीमा पालिसी पर, बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारम्भ से पूर्व, 31 दिसंबर, 1950 से पूर्व देय कमीशन की सीमा का उपबंध किया गया है। यह बात स्पष्ट है कि इस उपधारा के उपबंध विशेषकर इस धारा के परन्तुक की दृष्टि से अनावश्यक हो गए हैं, अतः इन्हें निरसित किया जाना चाहिए।
धारा 48	जीवन बीमा कारबार के विशेष अभिकर्ताओं और साधारण बीमा कारबार के प्रधान अभिकर्ताओं को कमीशन का संदाय करने से संबंधित उपधारा (2) और (4) विगत पांच वर्षों के दौरान विधायी परिवर्तनों की दृष्टि से असंगत और अनावश्यक हो गई है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि इन उपधाराओं को निकाल दिया जाना चाहिए।
धारा 48क	धारा 44(1) का ‘स्पष्टीकरण’ असंगत और अनावश्यक हो गया है अतः इसका निरसन किया जा सकेगा।
धारा 49	पालिसीधारियों द्वारा बीमाकर्ताओं के निदेशकों का निर्वचन किया जाना: निजीकरण की अनुज्ञा के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में, यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस धारा को निकाल दिया जाए।
धारा 52	“और कोई भी मुख्य अभिकर्ता या विशेष अभिकर्ता” शब्दों का लोप किया जाना चाहिए। इसी प्रकार “जीवन बीमा कारबार करने वाला” शब्दों को तथा इस धारा के परन्तुक को भी निकाले जाने की आवश्यकता है।
धारा 52	उपधारा (1) में “इन्डियन लाइफ एश्योरेंस कम्पनिज एक्ट, 1912 (1912 का 6) की धारा 11 के अधीन या केन्द्रीय सरकार को” शब्दों का निकाले जाने की आवश्यकता है।
धारा 52	धारा 52 के उपबंध, जो किसी बीमाकर्ता के विभाजन के सिद्धान्त पर कारबार करने का प्रतिषेध करते हैं, संगत नहीं रह गए हैं। इनके साथ ही ये उपबंध संक्रमणकालीन स्वरूप के होने के कारण बहुत पहले से अनावश्यक हो गए हैं। इसलिए उपधारा 52 निरसित कर दी जानी चाहिए।

धारा 52ज से 52द	धारा 52ज से 52द में अन्तर्विष्ट उपबंध बीमाकर्ताओं के उपकरणों का अर्जन करने से संबंधित हैं। ये अब सुसंगत नहीं रह गए हैं और इनके निकाले जाने की आवश्यकता है।
धारा 53	उपधारा (ख) के खंड (i) और (ii) का लोप किया जाना चाहिए। धारा 53 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंध (i) से “या धारा 98” शब्दों का लोप किया जाना चाहिए।
धारा 59	इस धारा में आने वाले “या धारा 98” शब्दों और अंकों का लोप किया जाना चाहिए।
धारा 62 से 64	धारा 62 से 64 में विदेशी कम्पनियों से संबंधित विशेष उपबंध अब सुसंगत नहीं रहे हैं क्योंकि वर्तमान स्कीम ऐसी विदेशी कम्पनियों के लिए अनुज्ञा नहीं देती है।
धारा 64पख(3) और (4)	उपधारा (3) टैरिफ सलाहकार समिति को क्षेत्रीय समितियों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि अब क्षेत्रीय समितियां कार्यरत नहीं हैं, इस उपधारा के उपबंध निकाले जा सकते हैं।
धारा 64 पघ	उपधारा (4) के उपबंधों का भी लोप किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे संक्रमणकालीन स्वरूप के हैं और बहुत पहले से अनावश्यक हो चुके हैं।
धारा 64 पच से पञ्च तक	उपधारा (1) के परन्तुक के सिवाय (1999 के अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित) धारा 64पघ, संक्रमणकालीन स्वरूप की होने के कारण, को निरसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह अनावश्यक हो गई है।
धारा 64पक(1) के खंड (क)	उपधारा (1) के परन्तुक का भी निरसन किया जा सकेगा क्योंकि उसके उपबंधों को धारा 64पक(1) के खंड (क) के अधीन ध्यान में रखा गया है।
संशोधन अधिनियम, 1964 के प्रारम्भ होने के पश्चात साधारण बीमा परिषद की आस्तियों और दायित्वों को सलाहकार समिति में निहित करने के बारे में धारा 64पच के उपबंधों को निरसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आस्तियां और दायित्व पहले ही टैरिफ सलाहकार समिति में निहित किए जा चुके हैं।	
धारा 64पछ	धारा 64पछ के उपबंधों को भी निरसित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये असंगत हो गए हैं। वर्ष 1968 से पूर्व टैरिफ समिति द्वारा की गई सभी संविदाओं/करारों के बारे में कार्यवाही सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी और जैसेकि 1968 के संशोधन के पश्चात टैरिफ समिति द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए वादों या विधिक कार्यवाहियों में टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा ही कार्यवाही की जाएगी।
धारा 64पछ	इसी प्रकार टैरिफ समितियों के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने, जो संशोधन अधिनियम, 1968 से पूर्व नियोजन में थे, संबंधी धारा 64पज के उपबंधों का निरसित किए जाने के आवश्यकता है क्योंकि वे सभी कर्मचारी अब सलाहकार समिति के कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी नहीं हैं उन्होंने इस धारा में डल्लखित लाभ प्राप्त कर लिए हैं।
धारा 64पञ्च	धारा 64पञ्च के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति-का, जिसके कब्जे या अभिक्षा में टैरिफ समिति की सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेज हैं, दायित्व है कि वह उन्हें सलाहकार समिति के सुरुद्द करेगा। ये उपबंध अनावश्यक हो गए हैं और इनको निरसित किए जाने की आवश्यकता है।
धारा 64पज (2) से (6)	क्योंकि टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा गठित क्षेत्रीय समितियां कार्य नहीं कर रही हैं, उपधारा (2) से (6) तक निकाल दी जानी चाहिए।
धारा 64पद	धारा 64पद(1) के पुनर्पारुपण की आवश्यकता है। उपधारा (1)(क) में “बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 प्रारम्भ होने के समय से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात” शब्द असंगत हो जाने के कारण निकाल दिए जाने चाहिए।

इसके साथ ही, उपधारा (1)(ख) भी निकाल दी जानी चाहिए क्योंकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित की गई उपधारा (1) (कख) के उपबंध, जो 1999 के अधिनियम से पूर्व सर्वेक्षकों को दिए गए लाइसेंसों के बारे में है, भी सार्थक है, की दृष्टि से, इस धारा के उपबंध असंगत हो गए हैं।

उपधारा (5) असंगत हो जाने के कारण निकाल दी जानी चाहिए।

धारा 64फक

उपधारा (1) के उपबंध अब असंगत हैं क्योंकि उनमें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ से पूर्व के बीमाकर्ताओं के लिए उपबंध किए गए हैं, इसलिए इन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। इसके परिणमस्वरूप, उपधारा (2), (5) और (6) को भी निकालना होगा।

धारा 65 से 94

क्षेत्रदा सोसाइटियों से संबंधित समग्र भाग 3 अब सुसंगत नहीं रहा है और इस भाग में अन्तर्विष्ट धारा 65 से 94 तक का निकाले जाने की आवश्यकता है।

धारा 95 से 101

पारस्परिक बीमा कम्पनियों और सहकारी जीवन बीमा सोसाइटियों से संबंधित सम्पूर्ण भाग 4 अब सुसंगत नहीं रह गया है और इस भाग में अन्तर्विष्ट धारा 95 से 101 निकाल दी जानी चाहिए।

धारा 114(च)

धारा 48 का निकाले जाने के प्रस्ताव की दृष्टि से, धारा 114(च) में केन्द्रीय सरकार की तत्संबंधी नियम बनाने की शक्ति अब सुसंगत नहीं रह गई है, अतः इस धारा को निकाल दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, बीमा नियम, 1939 के नियम, 13, 14 और 15 भी निकाले जा सकते हैं।

#### परिशिष्ट-IV

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 में विलय करने संबंधी प्रस्ताव

[पैरा 3.1.3]

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंध धारा 2 (परिभाषाएं)

विलय किए जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंध

बीमा अधिनियम का परिभाषा खंड

प्राधिकरण की स्थापना और अनुबंधिक विषयों से संबंधित अध्याय-दो (धारा 3-12)

इन उपबंधों के एक साथ मिलाकर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण शीर्षक के अन्तर्गत बीमा अधिनियम धारा 1 के रूप में रखा जा सकेगा।

प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों संबंधित अध्याय-चार (धारा 14)

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि, लेखा तथा संपरीक्षा से संबंधित अध्याय-पांच (धारा 25)

धारा 24- जो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती हैं।

धारा 26- जो प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती हैं।

इन उपबंधों का बीमा अधिनियम की धारा 114 और 114क में विलय किया जाएगा।

धारा 27- जिसमें नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखने की अपेक्षा की गई है।

धारा 28- अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

बीमा अधिनियम, 1938 में धारा 114क के पश्चात् अन्तःस्थापित की जा सकेगी।

परिशिष्ट-V

रजिस्ट्रीकरण करने, रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार करने, निलम्बित करने या उसका नवीकरण करने के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में परिवर्तन

[पैरा 3.1.5]

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

धारा 3

बीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण:

रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के प्रयोजन से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/विवरणों का उल्लेख/निर्देश बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 3(2) निम्नलिखित रूप में पुनःप्रारूपित की जाए:

“रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति से किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिश्चित की जाए और आवेदनपत्र के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं”।

धारा 3(2) (च)

धारा 3(2) (च) के अधीन जीवन बीमा कारबार के लिए बीमाकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मांग करने वाले प्रत्येक आवेदक के लिए किसी बीमांकक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। सूबेदार समिति ने सिफारिश की है कि यह आवश्यक साधारण बीमा कारबार के लिए भी लागू होनी चाहिए। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो धारा (2)(च) में तदनुसार संशोधन करना होगा और तदोपरांत इसे विनियमों में स्थानान्तरित करना होगा।

धारा 3(2क)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना:

धारा 3 की उपधारा (2क) में कतिपय शर्त निर्धारित की गई है जिन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने से पूर्व पूरा करना आवश्यक है। यह सुझाव दिया जाता है कि इसमें धारा 6 और 6क की अपेक्षाओं का अनुपालन भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तथापि, प्रबंधकों और प्रबंध अधिकर्ताओं के बारे में धारा 31क और 32 की अपेक्षाएं असंगत हैं और इनका लोप कर दिया जाना चाहिए। संशोधित धारा 3(2क) (घ) का पाठ निम्नलिखित होगा :

“(घ) आवेदक ने धारा 2g, 5, 6 और 6क के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है तथा उसने इस धारा की उन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, जो उसे लागू होती हैं (शेष भाग रहने दिया जाएगा)”

यह प्रस्ताव भी किया गया है कि यदि आवेदक द्वारा अन्य सभी अपेक्षाओं/औपचारिकताओं को पूरा कर दिया जाता है तो एक ऐसी समय-सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर करने/इंकार करने के बारे में निर्णय ले सके। यह प्रस्ताव किया गया है कि यह समय-सीमा सभी औपचारिकताएं पूरी होने की तिथि से 60 दिन होनी चाहिए जिसके समाप्त हो जाने के पश्चात बीमा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर हुआ समझा जाएगा, यदि इस समय-सीमा के भीतर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया गया है।

प्रस्तावित परिवर्तन

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

धारा 94क(2)  
दूसरा परन्तु

निगमित बीमाकर्ताओं के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि बीमा कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटियों के लिए कतिपय उपबंधों को लागू होने से छूट प्रदान करने वाला परन्तुक निकाल दिया जाना चाहिए।

वैकल्पिक रूप से, यदि यह शक्ति रहने दी जाती है तो यह सुनिश्चित कराया जाना चाहिए कि यह अधिनियम के सभी उपबंधों के लिए नहीं होगी। छूट के लिए अधिनियम के कुछ चुने हुए उपबंधों के लिए ही होगी और उसके लिए भी कारण लिखित करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया है कि यह शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास होनी चाहिए प्राधिकरण के पास नहीं।

जहां तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विभागों, संगठनों और एसोसिएशनों के बीमा कारबार करने का संबंध है (आर्मी वैल्फेयर एसोसिएशन, पोस्टल इस्योरेंस आदि), यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे विभागों और एसोसिएशनों को विनियामक तंत्र के अधीन लाया जाना चाहिए परन्तु पूंजी और निक्षेपों की अपेक्षा में या तो कुछ छूट की जा सकेगी या ऐसे मामलों में इसे निलम्बित रखा जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण से इंकार किए जाने के विरुद्ध अपील:

इस समय अपील केन्द्रीय सरकार को की जाती है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि इंकार करने के आदेश को आवेदक द्वारा प्रथम चुनौती शिकायत समाधान प्राधिकरण में दी जानी चाहिए जैसाकि पत्र में प्रस्ताव किया गया है। इसके पश्चात अपील अधिनियम के अधीन गठित किए जाने वाले अपीलीय अधिकरण में की जा सकेगी। जिन बीमाकर्ताओं का कारबार स्थान भारत से बाहर किसी अन्य देश में है उस देश में ऐसी पारस्परिक व्यवस्था न होने के कारण रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना/रजिस्ट्रीकरण का रोका जाना:

वर्तमान संदर्भ में जहां संयुक्त उपक्रमों को अनुजा दी जाती है, यह उपबंध सुसंगत नहीं होगा। तदनुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 3 की उपधारा (3) निम्नलिखित रूप में उपांतरित की जाए:

“किसी ऐसे बीमाकर्ता की दशा में, जो किसी भागीदार के साथ, जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत से बाहर है, संयुक्त उपक्रम चला रहा है, प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस देश में, जहां भागीदार के कारबार का मुख्य स्थान है, बीमा कारबार करना उस देश की विधि या प्रथा द्वारा विवरित है, रजिस्ट्रीकरण को रोक लेगा या पहले से किया गया रजिस्ट्रीकरण रद्द कर देगा”।

तदनुसार धारा 3(5) में धारा 3(3) का निर्देश सुसंगत नहीं रह गया है।

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना:

रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने का एक आधार बीमाकर्ता का भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाना भी होना चाहिए। जीवन बीमा निगम अधिनियम अधिनियम का उल्लंघन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का एक आधार होना सुसंगत नहीं रहा है। दूसरी ओर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम का उल्लंघन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का एक आधार होना चाहिए। धारा 3(4) में तदनुसार अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिए।

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

रजिस्ट्रीकरण "पूर्णतः या वहां तक जहां तक कि रजिस्ट्रीकरण का संबंध बीमा कारबार के विशिष्ट संवर्ग से है", रह करने की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने वाला उपबंध सुसंगत नहीं रहेगा क्योंकि संयुक्त कारबार की अनुज्ञा नहीं है। अतः इस उपधारा में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन:

अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण को निलम्बित करने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। तथापि, रजिस्ट्रीकरण संबंधी विनियमों के खंड 23 में उन आधारों को उपबंधित किया गया है जिन पर किसी बीमा कम्पनी का निलम्बन किया जा सकेगा। यह उपयुक्त होगा कि यदि यह खंड तथा विनियमों का खंड 24 विधि का अंग बनाया जाए और इसे धारा 3 में स्थापित किया जाए। निलम्बन के आधारों में उपधारा (4) के अधीन खंड (क) (कक), (ड), (च), (छ), (ज), (झ) और (ज) में निर्दिष्ट आधारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

यह बात नोट की जानी चाहिए कि धारा 3 की उपधारा (5) के उपबंध प्राधिकरण को उपधारा (4) के खंडों में निर्दिष्ट आधारों पर रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरण को बहाल करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि इन आधारों पर, प्राधिकरण किसी बीमाकर्ता का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा। यदि बीमाकर्ता इन धाराओं में उल्लिखित शर्तों को प्राधिकरण के निर्देशों के छह माह के अन्दर पूरा करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रक्रिया आरम्भ कर देगा।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 24 में कहा गया है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलम्बित करने या उसे रद्द करने का कोई आदेश विनियमों में विनिर्दिष्ट जांच किए बिना नहीं दिया जाएगा। इस खंड को (खंड 24) अधिनियम में लाए जाने की आवश्यकता है।

धारा 3क

बीमाकर्ता द्वारा नवीकरण प्रत्येक वर्ष कराया जाना अपेक्षित है। यह प्रस्ताव किया गया है कि इस अवधि को बढ़ाया जाए और रजिस्ट्रीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रखा जाए, विशेषकर, जीवन बीमा कारबार की दशा में, इसके पश्चात रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जा सकेगा।

"दिसम्बर" शब्द के स्थान पर "मार्च" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि इसी आशय का ऐसा ही परिवर्तन 1999 के संशोधन द्वारा किया गया है।

धारा 3क(2)

प्रीमियम आय की प्रतिशतता का निर्देश करने वाली धारा 3क(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीकरण फीस के विनिश्चय तथा धारा 3क(2) (i) में विनिर्दिष्ट राशि के बारे में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। सुझाव यह है कि राशि कम की जानी चाहिए।

धारा 3क(3)

नवीकरण फीस की राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने के उपबंध अधिनियम की धारा 3क(3) में और विनियमों के अध्याय-चार के विनियम 21 दोनों में किए गए हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि "विनियमों में उपबंधित रीति में" आशय का उपबंध करने के लिए विधि में संशोधन किया जाना चाहिए और विनियमों "भारतीय

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

रिजर्व बैंक" शब्दों के स्थान पर "किसी अनुसूचित बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 3क(4)

धारा 3क की उपधारा (4) में बीमाकर्ता पर शास्ति लगाने के प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील करने का उपबंध किया गया है। यहां, शास्ति विलम्बित फीस के रूप में है और इसी उपबंध में इसकी अधिकतम सीमा भी दी गई है। इस प्रकार अपील करने का उपबंध असंगत प्रतीत होता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में संशोधन किया जाना चाहिए।

धारा 3क(5)

प्रत्येक नवीकरण के लिए नए रजिस्ट्रीकरण संबंधी सभी अपेक्षाएं पूरी करने पर जोर दिया जाना चाहिए तथा इसके साथ ही ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमा संबंधी धारा 32ख और 32ग का अनुपालन भी किया जाना चाहिए। धारा 3क(5) में, तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

## परिशिष्ट-VI

रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने आदि के अतिरिक्त उपर्युक्त परिशिष्ट-V में दी गई बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के बारे में परिवर्तन

[पैरा 3.1.6]

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

धारा 33(1)-बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण न्यायोचित रूप से कारित करने का मार्गान्देश देने के कार्यकलायों के बारे में धारा 33 के उपबंधों में कोई मानक या मानदंड (आधार) निर्धारित नहीं किया गए हैं। ऐसे मानदंड के अभाव में किसी अंतररक्ष हेतु से शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकेगा। इसलिए, उपधारा (1) के उपबंध में “यदि वह ऐसा करना अनिवार्य समझता है” शब्द जोड़कर संशोधन किया जाना चाहिए।

यह बात नोट की जानी चाहिए कि धारा में विनियमकारी प्राधिकरण और अन्वेषण प्राधिकारी दोनों के लिए ‘प्राधिकारी’ शब्द का प्रयोग किया गया है। यह उपर्युक्त होगा यदि अन्वेषण प्राधिकारी ‘शब्दों के स्थान पर’ अन्वेषण अधिकारी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

धारा 33(4) - अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा बीमाकर्ता के अधिकारी की शपथ पर परीक्षा जो व्यक्ति अन्वेषण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और जो उपधारा (4) के अधीन शपथ पर बीमाकर्ता के अधिकारी की परीक्षा करेगा, इस धारा में उसके लिए किसी योग्यता/अनुभव/एक आदि के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपर्युक्त संशोधन करके इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। अक्षम व्यक्ति की नियुक्ति रोकने के लिए एक अन्य उपबंध भी समाविष्ट किया जाना चाहिए।

धारा 33(8)-बीमाकर्ताओं द्वारा जानकारी रखा जाना उपधारा (8) के उपबंधों में कहा गया है कि बीमाकर्ता द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम जानकारी रखी जाएगी ताकि अन्वेषण प्राधिकारी अपना कार्य सुविधाजनक रूप में पूरा कर सके। इस धारा में जिस प्रकार की जानकारी बताई गई है वह साधारण है और सभी बीमाकर्ताओं द्वारा रखी जानी चाहिए चाहे उनके कार्यकलायों का अन्वेषण हो अथवा नहीं। इस प्रकार, इस उपधारा के उपबंधों को विशेषकर इस प्रयोजन के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्व के रूप में प्रारूपित किया जाना चाहिए।

धारा 34ख(4)- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधकीय स्तर के व्यक्तियों को हटाए जाने संबंधी उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

इस धारा की उपधारा (4) के उपबंधों में धारा 34ख या धारा 34ख(2) के परन्तुक का उल्लंघन करने के लिए जुमाने के रूप में दंड की व्यवस्था की गई है जो 250 रुपए प्रतिदिन तक हो सकेगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने से किसी अधिकारी को रोकने के उद्देश्य से जुमाने की यह राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए, इस राशि में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए।

धारा 34ग- अपर निदेशक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा शक्ति का प्रयोग, विशेषकर बीमा सहकारी सोसाइटियों की दशा में, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिए।

धारा 34ड- बीमाकर्ताओं को चेतावनी और सलाह देने की शक्ति

धारा 34(ड) में ‘नियंत्रक’ शब्द के स्थान पर ‘प्राधिकरण’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि इस धारा की शक्तियों का प्रयोग बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के कारण से अब प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

धारा 34छ - विदेशी शाखाओं को बंद करने का आदेश देने की प्राधिकरण की शक्ति

धारा 34ज - तलाशी तथा अभिग्रहण

यह उपबंध अब सुरक्षित नहीं रहा है क्योंकि निजी कम्पनियों, जिन्हें शाखाओं को बंद करने का आदेश देने की प्राधिकरण का निर्णय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जिनमें स्वयं ही ले सकती हैं। इस उपबंध को निकाल दिया जाना चाहिए।

तलाशी तथा अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की रैंक स्पष्ट की जानी चाहिए।

“दंड प्रक्रिया संहिता, 1898” शब्दों के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

धारा 35(1) - बीमा कारबार का समामेलन और अंतरण

इस समय उपबंध के बल जीवन बीमा कारबार के लिए लागू होता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस उपबंध को साधारण बीमा कारबार के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ऐसी समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसके अन्दर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण समामेलन और अंतरण की स्कीम को स्वीकृति प्रदान करे।

हाशिए में दिए गए शीर्षक में भी इस धारा के उपबंधों के संदर्भ में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। “और” शब्द के स्थान पर “या” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

धारा 35(3)- बीमांकक रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा

धारा 35(3) के उपबंधों में कहा गया है कि बीमांकक रिपोर्ट भाग-दो की चौथी और पांचवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की जाएंगी। क्योंकि चौथी अनुसूची बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा निरसित की जाएगी, धारा 35(3) के उपबंध (ग) में अनुसूची चार का निर्देश निकाल कर और यह उपबंध करके कि बीमांकक रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार तैयार की जाएंगी, संशोधन किया जाना चाहिए।

धारा 36- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समामेलन को स्वीकृति

प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 36 के अधीन, निदेशकों और पालिसीधारकों को सुने जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करके, समामेलन व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान करके और धारा 7 या धारा 98 के अधीन किए गए निष्क्रियों के निपटान सहित समामेलन को प्रभावी बनाने के आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 98, जिसके पारस्परिक बीमा कम्पनियों और सहकारी जीवन बीमा सोसाइटियों के लिए उपबंध किए गए हैं अनावश्यक हो गई है। इसलिए “या धारा 98” शब्दों का लोप किया जाना चाहिए। इस धारा के परन्तुक के खंड (ग) में भी ऐसा ही लोप अपेक्षित है।

समामेलन के उपबंध साधारण बीमा कारबार के लिए भी लागू किए जा सकेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो धारा 36(1) में “जीवन पालिसी” शब्दों के स्थान पर “किसी भी प्रकार की पालिसी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए।

हाशिए के टिप्पण में “और” शब्द के स्थान पर “या” शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

धारा 37क(2) - समामेलन उपधारा (2) की अन्तर्वास्तु, जिसमें उन खंडों का उल्लेख किया गया की स्कीम तैयार करने की है जो स्कीम के उपबंध होंगे, विनियमों के भाग में अन्तर्विष्ट होनी चाहिए।

विकास प्राधिकरण की शक्ति

धारा 37क(4) - केन्द्रीय सरकार समामेलन की स्वीकृति स्कीम को विनिर्दिष्ट करेगी

धारा 37क(4) में "इस निमित" शब्दों के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाना चाहिए:  
"सरकारी राजपत्र में, ऐसे गठन, ऐसी सम्पत्ति, शक्तियां, अधिकारों, प्राधिकरणों और विशेषाधिकारों, ऐसी देयताओं, कर्तव्यों और दायित्वों सहित जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे"।

पालिसीधारकों या शेयरधारियों आदि के हितों के संरक्षण के प्रयोजन से कम्पनी अधिनियम में उपबंधित निम्नलिखित उपबंध भी अन्तःस्थापित किए जाएंगे:

"(4क) समामेलन से पूर्व, प्रत्येक पालिसीधारी, शेयरधारी या प्रत्येक बीमाकर्ता के सदस्य के बही हित या समामेलन के परिणामस्वरूप बीमाकर्ता के विरुद्ध वही अधिकार होंगे जो उसे उस कम्पनी में प्राप्त थे जिसका वह मूल पालिसीधारक, शेयरधारी या सदस्य था।

परन्तु यह कि जहां किसी शेयरधारी या सदस्य के हित या अधिकार मूल बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके हितों या अधिकारों की तुलना में कम हैं वहां वह ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा जिसका मूल्यांकन विहित रीति से प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4ख) इस प्रकार, मूल्यांकित प्रतिपूर्ति का संदाय ऐसे समामेलन के परिणामस्वरूप बीमा कम्पनी शेयरधारी या सदस्य को किया जाएगा।

(4ग) प्राधिकरण द्वारा उपधारा 4क (प्रस्तावित) के अधीन किए गए प्रतिपूर्ति के मूल्यांकन से आहत कोई सदस्य शेयरधारी ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।"

धारा 42(1) - बीमा अधिकर्ताओं को लाइसेंस का दिया जाना

प्राधिकरण को, विनियमों के अनुरूप, स्वयं बीमाकर्ता के अधिकर्ताओं को लाइसेंस जारी करने या उनका नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

इस संबंध में विनियमों में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अध्यधीन, लाइसेंस दिए जाने की फीस में, जो वर्तमान में 250 रुपए है, वृद्धि की जानी चाहिए।

धारा 42(2) - बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति अधिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है

विनियमों के अनुरूप, उपधारा (2) में इस आशय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि एक अधिकर्ता "केवल एक जीवन बीमाकर्ता और/या एक गैर जीवन बीमाकर्ता के लिए कार्य कर सकेगा"।

धारा 42(3) - लाइसेंस नवीकरण और शास्ति की राशि इनकी वर्तमान सीमा क्रमशः 250 रुपए और 100 रुपए से बढ़ाई जाए और इसे विनियमों में विनिर्दिष्ट आगामी परिवर्तनों के अध्यधीन रखा जाए।

धारा 42(4) - बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए निरहताएं

विनियम 8 (ज) के अधीन उपवर्णित निरहताएं धारा 42(4) में अन्तःस्थापित की जानी चाहिए।

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

इसके साथ ही, किसी बीमा अधिकर्ता की राष्ट्रीयता के बारे में विचार किए जाने का अपेक्षित अहता के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

विनियम 3(2) में यह भी उपबंधित किया जाना चाहिए कि अपेक्षित अहता पूरी किए जाने के साथ-साथ लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब वह व्यक्ति धारा 42(4) के अधीन उल्लिखित निरहताओं में से किसी से ग्रस्त न हो।

विनियम 8 (ज) (ii) का यह उपबंध कि कोई बीमा अधिकर्ता लाइसेंस रद्द किए जाने के पश्चात पांच वर्ष तक नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करेगा, अधिनियम की धारा 42(4) में ही समाविष्ट किया जाना चाहिए।

धारा 42(6)-लाइसेंस की दूसरी प्रति का दिया जाना

प्राधिकरण के बजाए नामनिर्दिष्ट अधिकारी का लाइसेंस की दूसरी प्रति देने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

धारा 42(7)-लाइसेंस प्राप्त किए बिना अधिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए 500 रुपए जुमाना और किसी बीमाकर्ता द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए 1000 रुपए जुमाने की वर्तमान राशि अपर्याप्त है और इहें बढ़ाया जाना चाहिए।

लाइसेंस जारी करने की शक्ति का प्रयोग बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए स्वयं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं।

धारा 42घ(1)-परतुक(क)

धारा 42घ(5) के साथ असंगति की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 42घ(1) के परतुक के खंड (क) का इस प्रकार संशोधित किया जाए ताकि "धारा 42 क (4)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस धारा क (5)" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाए।

धारा 42घ(8) और (9)- ये विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। उल्लंघन करने के लिए जुमाना

धारा 64पट-सर्वेक्षकों/हानि निधारकों को लाइसेंस दिया जाना

धारा 42 (1) और (2) में बीमा अधिकर्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट अहताओं और निरहताओं के आधारों पर ही लाइसेंस देने के लिए प्राधिकरण को स्पष्ट शक्ति प्रदान करने हेतु इस उपबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

ऐसे सर्वेक्षक का लाइसेंस रद्द करने के लिए जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन संतोषप्रद तथा वृत्तिक स्वरूप से नहीं करता है या विनियमों द्वारा विहित आचार संहिता का उल्लंघन करता है, विनियम 8(4) में उल्लिखित आधार को धारा 64पट(1) (छ) में अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए।

विनियम 8(4) में लाइसेंस निलम्बित करने का उपबंध अधिनियम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

धारा 64पट (1क)

साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा सर्वेक्षक/हानि निधारक नियुक्त करने में इस समय पारदर्शिता नहीं है। अधिकांशतः सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता विशेषाधिकार प्राप्त सर्वेक्षकों की उनके विभागों/कर्मचारियों/अधिकारियों और प्रबंधक से बात तय करके नियुक्त करते हैं, एक उपयुक्त संशोधन द्वारा यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए।

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

साधारण बीमाकर्ताओं को नियुक्त किए गए सर्वेक्षकों की एक सूची तथा इन सर्वेक्षकों/हानि निर्धारकों को संदेश फीस दराते हुए सूचनापट/वैबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित करनी चाहिए।

मूल अधिनियम में सर्वेक्षकों या हानि निर्धारकों द्वारा किए जाने वाले कृत्य उपबंधित नहीं किए गए हैं अपितु विनियम 13(2) में उपबंधित उनके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में आचार संहिता का अनुपालन उनके लिए आज्ञापक बनाया गया है। इस प्रकार सर्वेक्षकों या हानि निर्धारकों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का बारे में एक निम्नलिखित उपबंध उपधारा (1क) के पश्चात सम्मिलित किया जाना चाहिए:

“सर्वेक्षक बीमाकर्ता या बीमा किए गए व्यक्ति की ओर से किसी अनिंश्चित घटना से उत्पन्न हानि का अन्वेषण, सर्वेक्षण, प्रबंधन, उसका परिमाण और मूल्यांकन करेगा और कार्यवाही करेगा, अपना कार्य आचार संहिता का दृढ़ता के साथ पालन करते हुए जिसकी ऐसे सर्वेक्षक से आशा की जाती है, निष्क्रिता और वृत्तिक निष्ठा से करेगा तथा उसके बारे में विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट देगा”।

यह सुझाव दिया जाता है कि शिकायत प्राप्त होने पर किसी स्वीकृत सर्वेक्षक से स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट मांगने के बारे में उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। यदि प्राधिकरण को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो दूसरा सर्वेक्षक या हानि निर्धारक नियुक्त करने का भी सुझाव दिया जाता है। यह समुचित होगा कि यदि इस धारा के अधीन दावों के समाधान करने की शक्ति का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किया जाए।

यह सुझाव दिया गया है कि सर्वेक्षकों/हानि निर्धारकों की नियुक्ति और संदाय चक्रानुक्रम में किया जाना चाहिए और पृथक-पृथक राज्य के सर्वेक्षक/हानि निर्धारक संस्थान की सहायता से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होना चाहिए ताकि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक साधारण बीमाकर्ताओं से स्वतंत्र हो सकें और उन्हें नियुक्ति और संदाय प्राप्त करने के लिए पृथक-पृथक विभाग/कम्बियारी/अधिकारी/प्रबंधक तुष्ट करने की आवश्यकता न पड़े।

सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को लाइसेंस देने के लिए लिखित परीक्षा को अलग रखने का सुझाव दिया गया है क्योंकि नए प्रशिक्षणार्थी अच्छी योग्यता प्राप्त तकनीकी स्तरात है। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशियों को वरिष्ठ सर्वेक्षक के अधीन एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

इस धारा के उपबंधों को भी फिर से प्रारूपित करना होगा क्योंकि प्रधान अधिकर्ता, मुख्य अधिकर्ता वाली प्रणाली अब विद्यमान नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप धारा 42ख और 42ग को निरसित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार इस धारा में जहां भी प्रधान अधिकर्ता, मुख्य अधिकर्ता या विशेष अधिकर्ता का निर्देश है, या धारा 42ख और 42ग के निर्देश हैं, ऐसे निर्देशों का लोप किए जाने की आवश्यकता है। धारा को ही निकालने का एक सुझाव भी है।

दावों की राशि की सीमा बढ़ाकर 5000 रुपए की जानी चाहिए। इसके साथ ही, इस संबंध में किए गए आदेशों को कार्यान्वित कराने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जानी चाहिए।

धारा 44 - जानकारी मांगने की शक्ति

धारा 47क - छोटी बीमा पालिसियों के दावों का निर्णय करने संबंधी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्ति

बीमा अधिनियम,  
1938 के उपबंध

प्रस्तावित परिवर्तन

धरा 53 - परिसमाप्तन

कि सी बीमा कम्पनी के परिसमाप्तन के लिए न्यायालय को आवेदन करने की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्ति का विस्तार करके उसमें ऐसी परिस्थिति को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जहां बीमाकर्ता सहकारी सोसाइटी हो।

PLD-92-CLXXXX (Hindi)

100—2005 (DSK-IV)

*Price : Rs. 1702.00 Foreign £ 25.02 or cents 35.45.*